Monday, 18 March, 1968

चतुर्थ माला, खंड 14, अंक 21

Fourth Series, Vol. XIV, No. 21

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16-1-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24— सोमवार, 18 मार्च, 1968/28 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 24— Monday, March 18, 1968/Phalguna 28, 1889 (Saka)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — MEMBER SWORN

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
658.	उर्वरकों की खरीद	Purchase of fertilizers .	399—402
660.	उपभोक्ता वस्तुओं के दाम	Prices of Consumer Goods . .	402—405
662.	निर्वाह व्यय की वृद्धि को निष्प्रभाव करना	Neutralisation of Cost of Living	405—406
663.	दिल्ली में क्षेत्रीय योजनायें	Zonal Plans in Delhi	406—408
664.	तृतीय योजना में रूसी सहायता का उपयोग	Utilization of Soviet Aid during Third Plan	409—411
666.	सुनारों को ऋण	Loan to Goldsmiths . . .	411—413
667.	बरौनी तथा गुजरात तेल-शोधक कारखाने	Barauni and Gujarat Refineries .	413—415

अल्प सूचना प्रश्न

S.N.Q. No.			
9.	राजस्थान नहर संबंधी निर्माण कार्य	Work on Rajasthan Canal	415—421

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.			
539.	उर्वरक के मूल्य	Prices of Fertilizers	421—422
659.	महामारी की रोकथाम के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Epidemic Control to States	422

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
661.	रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट ऋण	Clear Advances by Reserve Bank .	422—423
665.	नैफ्था	Naphtha	423
668.	मैसर्स साराभाई मर्कस का कारखाना	M/s. Sarabhai-Merck's Plant	423—424
669.	विलिंग्डन अस्पताल कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice of Willingdon Hospital Workers' Union . . .	424
670.	भारत पर विदेशों का ऋण	India's Indebtedness to Foreign Countries .	424—425
671.	सम्पत्ति-कर निर्धारण हेतु बम्बई के श्री आर० के० रुइया द्वारा जवाहरात का प्रकटीकरण	Declaration of Jewellery by Shri R. K. Ruia of Bombay for assessing Wealth Tax	425
672.	बैंकिंग उद्योग द्वारा निर्यात ऋण	Export Credit by Banking Industry . .	425
673.	कपास तथा रूई पर बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम धन सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाना	Removal of restrictions on advances by Banks against Raw Cotton and Cotton	426
674.	वृद्ध अवस्था पेंशन	Old Age Pension . . .	426—427
675.	परिचालित मुद्रा	Money in Circulation . .	427
676.	चिकित्सा शिक्षा को नया रूप देना	Reorientation of Medical Education . .	427—428
677.	तैल के लिये कच्छ के रन में सर्वेक्षण	Survey for Oil in the Rann of Kutch	428
678.	राज्यों द्वारा नियत राशि से अधिक राशि भारत के रिजर्व बैंक से निकाला जाना	Overdraft by States on R.B.I. .	428—429
679.	ब्रह्मपुत्र तथा गंगा को मिलाने वाली नौगम्य नहर का निर्माण	Construction of Navigable Canal linking Brahmaputra and Ganga . .	429
680.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण पर रोक	Ban on Revision of Pay Scales of Central Government Employees. . . .	429—430

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
881.	गुजरात में गैस ग्रिड	Gas Grid in Gujarat	430
682.	बिड़ला उद्योग समूह द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Excise Duty by Birla Group of Industries	430-431
683.	केरल में विकास कार्य	Development Works of Kerala . . .	431
684.	उर्वरक कारखाना, बरौनी के लिए भूमि	Land for Fertilizer Factory at Barauni . .	431-432
685.	आय करदाताओं को परेशानी	Harassment of Income-tax Assessees . .	432
686.	रेलवे पासों तथा पी०टी० ओ० पर आय कर	Income-tax on Railway Passes and P.T.Os. .	432-33
687.	स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन के विरुद्ध आरोप	Allegations against late Dr. T. Saifudin .	433

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.			
4089.	राज्यों द्वारा देय बकाया ऋण	Loans outstanding against States .	433-434
4090.	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन एण्ड मैसर्स मकेंजीज़ लिमिटेड	M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mckanzies Ltd. .	434
4091.	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s. Oriental Timber Trading Corporation	434
4092.	अस्पृश्यता	Untouchability	434-435
4093.	पाइराइट्स एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया	Pyrites and Chemical Corporation of India .	435-436
4094.	बम्बई में सीमा शुल्क (आसूचना दल) विभाग द्वारा छापा	Raid by Customs (Intelligence Squad) in Bombay	436-437
4095.	हौज खास (नई दिल्ली) में पूर्वनिर्मित फ्लैट	Prefabricated Flats Hauz Khas, New Delhi .	437
4096.	अमरीकी सहायता	U. S. Aid	437
4097.	गुजरात तेलशोधक कारखाना	Gujarat Refinery	437-438
4098.	आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अन्तर्गत छूट	Exemption under Section 88 of the Income Tax Act, 1961 . . .	438

U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4099.	क्विनीन और क्विनीन साल्टों के मूल्य	Prices of Quinine and Quinine Salts . .	438-439
4100.	मद्रास में आदिम जातीय लोगों के लिए ऋण	Loan for Tribals in Madras. . .	439
4101.	कोटा चम्बल परियोजना	Kota Chambal Project	439
4102.	कुष्ठ केन्द्र	Leprosy Centres	439-441
4103.	आन्ध्र प्रदेश की फाइलेरिया रोक-थाम योजना	Filaria Control Scheme of Andhra Pradesh .	441
4104.	भूमिगत नालियों की सुविधायें	Underground Drainage facilities. . .	441-442
4105.	निर्माण भवन, नई दिल्ली में खराब 'डोर शटर्स'	Defective Shutters in the Nirman Bhavan New Delhi	442
4106.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सलैक्शन ग्रेड सैक्शन अफसर	Selection Grade Section Officers in C.P.W.D.	442-443
4107.	वियतनाम के प्रकाशन	Vietnamese Publications	443
4108.	बकाया आयकर	Income Tax Arrears	443
4109.	भारतीय तेल निगम बस्ती	I.O.C. Township	444
4110.	राजस्थान में उत्पादित अफीम	Opium Produced in Rajasthan . . .	444-445
4111.	गुजरात में कालोल-कायली तेल पाइप लाइन	Kalol-Koyali Oil Pipeline Project in Gujarat .	445
4112.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा निर्माण-कार्य	Construction work by National Project Construction Corporation	445-446
4113.	तस्करी के माल की भारतीय बाजारों में बिक्री	Smuggled goods sold in Indian market . .	446-447
4114.	मध्य प्रदेश में आदिम जाति क्षेत्रों का विकास	Development of Tribal Areas in Madhya Pradesh	447-448
4115.	अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ समूह	Aminchand Pyarelal Group of Firms . .	448
4116.	राजस्थान में मज़दूरों की हड़ताल	Labour strike in Rajasthan . . .	448-449

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4117.	हिन्दी और अंग्रेजी टाइपराइटरों की कमी	Shortage of Hindi and English Typewriter .	449
4118.	देशी टाइपराइटरों का निर्माण	Indigenous manufacture of Typewriters .	449-450
4119.	कोयना भूकम्प पीड़ित लोगों को विदेशी संगठनों से सहायता	Aid from foreign organisations to Koyana earthquake affected people . . .	450
4120.	वर्ष 1968-69 में महाराष्ट्र के लिये योजना में नियतन	Plan allocations for Maharashtra for 1968-69 .	450-451
4121.	भारत और श्रीलंका के बीच अनाज की तस्करी	Smuggling of food between India and Ceylon	451
4122.	अनुसूचित जातियों के लोगों को रोजगार	Employment of Scheduled Castes . .	451
4123.	बिहार में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of kerosene oil in Bihar . .	452
4124.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा सहायता	Aid from International Development Association	452-453
4125.	सिंचाई क्षमता	Irrigation Potential	453-454
4126.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता पर आय-कर	Income-tax on House rent Allowance to Central Government Employees. . .	454
4127.	चरबी का आयात	Import of Tallow	454-455
4128.	राजस्थान को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Rajasthan . .	455
4129.	राजस्थान में पन-बिजली व्यवस्था	Hydel Power System in Rajasthan . .	455
4130.	पी० एल० 480 माल के लिये जहाज भाड़ा-दर	Freight rate for PL 480 shipping of Commodities.	455-456
4131.	दिल्ली में पेंशन पाने वालों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना.	C.G.H.S. for Pensioners'	456
4132.	उर्वरक कारखाना, कानपुर	Fertilizer Factory, Kanpur. . . .	456
4133.	दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियां	Co-operative Housing Societies in Delhi. .	457

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4134.	नये चिकित्सा कालेज	New Medical Colleges . . .	457-458
4135.	दिल्ली में गन्दी बस्तियां और कटरे	Slums in Delhi.	458
4136.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अनुदान	Grants for Scheduled Castes and Schedule Tribes	458-459
4137.	बरौनी तैल शोधन कारखाना	Barauni Oil Refinery	459
4138.	कीटाणुनाशी दवाइयां	Insecticides	459-460
4139.	गोरखपुर उर्वरक कारखाना	Gorakhpur Fertilizer Factory .	460.
4140.	पश्चिमी बंगाल में मिट्टी के तैल की कमी	Scarcity of Kerosene . . .	460-461
4141.	दिल्ली में धोबियों के लिये क्वार्टरों और धोबीघाटों का निर्माण	Constructionof Quarters and Dhobi Ghats for Washermen in Delhi	461
4142.	दिल्ली के अस्पतालों में आत्महत्या	Suicides in Delhi Hospitals .	461
4143.	सरकारी होटलों में दरों में वृद्धि	Revision of Charges in Government owned Hotels	462
4144.	सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to Government Employees	462-463
4145.	गर-सरकारी चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान	Grants to Private Medical Institution .	463
4146.	चमड़ा कमाने वाले कारखाने	Leather Tanning Factories. .	463
4147.	नेत्र अनुसंधान केन्द्र, चण्डीगढ़	Eye Research Centre, Chandigarh . .	463-464
4148.	उड़ीसा में ग्राम्य गृह-निर्माण योजनाएं	Rural Housing Schemes in Orissa. . .	464
4149.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये कार्यकर्ताओं का दल	Family Planning Task Force . .	464
4150.	सहायक राष्ट्रीय बचत अधिकारी को नियुक्त करने वाला अधिकारी	Appointing authority for Assistant National Savings Officer	464-465
4151.	जैसलमेर में तेल की खोज	Exploration for oil in Jaiselmer . . .	465.
4152.	स्वर्णकारों को लाइसेंस	Licences to Goldsmiths. . . .	465-466.

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
4153.	मध्य प्रदेश में शिक्षा संबंधी सुविधाओं का अभाव	Lack of educational facilities in Madhya Pradesh	466
4154.	भूमि विकास अधिकारियों की कार्यकारी शक्तियां	Functional Powers of L.D.O. . .	466
4155.	उत्तर प्रदेश और मद्रास में नलकूपों के लिये बिजली	Electricity for Tube-wells in U.P. & Madras.	467
4156.	हिन्दी प्रशिक्षण योजना	Hindi Training Scheme	467
4157.	छोटे कारखानों को बैंकों द्वारा ऋण	Bank Advances to Small Units . . .	468
4158.	आयकर का अग्रिम वसूली	Advance realisation of Income-tax. . .	468-469
4159.	जीवाणुनाशक औषध परियोजना, ऋषिकेश	Antibiotic Project, Rishikesh .	469-470
4160.	सिक्कों का परिचालन	Circulation of Coins.	470-471
4162.	अशोक होटल तथा अन्य सरकारी होटलों के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Ashoka Hotel and other Government owned Hotels . .	471
4163.	राजधानी में कोढ़ रोगियों के लिये प्लास्टिक शल्यक्रिया अस्पताल	Plastic Surgery Unit for Leprosy Patients in the Capital	471-472
4164.	विदेशों को जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल	Delegations to Foreign Countries.	472
4165.	सड़क कूटने वाले इंजनों की सप्लाई	Supply of Road Rollers. .	472
4166.	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की विदेश यात्राएं	Foreign Tours by Minister of State in Ministry of Health, Family Planning and Urban Development	472-473
4167.	दिल्ली के चारों ओर कस्बों का विकास	Development of Towns around Delhi . .	473
4168.	दिल्ली का मास्टर प्लान	Master Plan of Delhi. . . .	473-474
4169.	ग्रामीण गृह-निर्माण योजनाओं पर व्यय	Expenditure on Rural Housing Schemes .	474
4170.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	Central Social Welfare Board . .	474

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4171.	नागार्जुन सागर बांध	Nagarjunasagar Dam.	474
4172.	राजस्थान की ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाएं	Rural Electrification Schemes in Rajasthan	475
4173.	राजस्थान में बिजली का उपयोग	Power Utilisation in Rajasthan.	475-476
4175.	सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना	Gold Seized at Santa Cruz Airport	476
4176.	तस्कर व्यापार	Smuggling	476-477
4177.	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन और मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड	Messrs. Oriental Timber Trading Corporation and Messrs. Mckanzies Ltd.	477
4178.	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन और मैसर्स मेकेंजीज लिमिटेड	M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Makanzies Ltd.	478
4179.	जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनें	Automatic Machines in L.I.C.	478-479
4180.	मैसर्स राम नारायण एंड संज, बम्बई, के आय-कर संबंधी मामले	Income-tax Cases of Messrs. Ram Narain and Sons, Bombay.	479
4181.	महाराष्ट्र के हल्बा कोष्टी	Halba Koshtis of Maharashtra	479-480
4182.	1967-68 में मध्य प्रदेश को नियत राशि का उपयोग	Utilization of Funds allocated to Madhya Pradesh during 1967-68.	480
4183.	बिहार में तेल की सम्भावनायें	Prospects of Oil in Bihar	480
4184.	कोठोगुडम में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Kothagudam	481
4185.	वर्ष 1968-69 में आंध्र प्रदेश की योजना के लिये नियतन	Plan Allocation for 1968-69 for Andhra Pradesh	481
4186.	समाज कल्याण	Social Welfare.	482
4187.	समाज कल्याण के कामों के लिये धन का नियतन	Allocations for Social Welfare Activities	482-483
4188.	समाज कल्याण कार्यों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Social Welfare Activities.	483

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4189.	श्रमजीवी महिलाओं के बच्चों की देखभाल	Care for Children of Working Women .	483-484
4190.	बिहार में नदी घाटी योजनाएं	River Valley Schemes in Bihar . . .	484
4191.	बिहार को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Bihar . . .	484
4192.	बिहार में दलित वर्गों को आवास की सुविधाएं	Accommodation Facilities to Depressed Classes in Bihar	484-485
4193.	देहाती और शहरी क्षेत्रों पर कर	Taxes on Rural and Urban Sectors . .	485-486
4194.	मोटर गाड़ी उद्योग पर करारोपण	Taxation on Automobile Industry . .	486
4195.	सांप के काटे की दवाई (सर्पदंश औषधि)	Medicine for Snake-bite	486
4196.	सरकारी उपक्रमों का कार्य संचालन	Working of Public Undertakings . .	486-487
4197.	दन्तचिकित्सकों में बेरोजगारी	Unemployment among Dentists . . .	487
4198.	उर्वरकों की खरीद	Purchase of Fertilizers	487
4199.	आयकर निर्धारण	Income Tax Assessments	488
4200.	पश्चिम बंगाल में आयकर दाता	Income Tax Assesses in West Bengal . .	488
4201.	आयकर सम्बन्धी अपीलें	Income Tax Appeals	489
4202.	विदेशी चिकित्सा स्नातकों की शैक्षिक परिषद् संबंधी योजना के अन्तर्गत परीक्षाएं	Examination under Scheme of Educational Council for Foreign Medical Graduates .	489
4203.	मध्य प्रदेश के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh .	489
4204.	मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in M.P.	490
4205.	दुलियाजन (असम) में पेट्रोलियम विषयक सम्मेलन	Conference on Petroleum at Duliajan (Assam)	490

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4206.	फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर, लिमिटेड	Fertilizers and Chemicals Travancore, Ltd.	491
4207.	सीमा-शुल्क कर्मचारियों के लिये समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Customs Staff	491
4208.	कोचीन में काम करने वाले सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारी	Employees of Customs Department working at Cochin	491-492
4209.	चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश	Seats in Medical Colleges	492
4210.	शास्त्री भवन के द्वार का सजावट कार्य	Decoration work at the gates of Shastri Bhavan	492
4211.	रिज़र्व बैंक भवन, नई दिल्ली	Reserve Bank Building, New Delhi	492-493
4213.	कूच-बिहार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये होस्टल	Hostels for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Cooch-Behar	493
4214.	सब्जी मण्डी, दिल्ली के फल व्यापारियों और फल आढ़तियों की आय	Income of the Fruit Merchants and Fruit Commission Agents of Subzimandi, Delhi	493
4215.	हरिजनों के लिये मकान	Houses for Harijans	494
4216.	करंजा परियोजना	Karanja Project	494
4218.	आल्किलैट का निर्माण	Manufacture of Alkylate	494-495
4219.	विदेश यात्रा पर जाने वाले अधिकारी	Officers going on tour abroad	495
4220.	मंत्रियों के निवास-स्थानों के सम्बन्ध में बिजली, पानी और टेलीफोन पर व्यय	Expenditure on electricity, water and telephone to respect of Ministers' residences	495
4221.	भूतपूर्व मंत्रिमण्डल सचिव की बीमा सम्बन्धी समिति के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति	Appointment of former Cabinet Secretary as Chairman of Committee on Insurance	495-496

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4222.	ग्राम्य क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता योजनाएं	National Water Supply and Sanitation Scheme for rural areas	496
4223.	नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy operations . .	496-497
4224.	परिवार नियोजन शिविर	Family Planning Camps . . .	497
4226.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पार्लियामेंट वर्क्स डिवीजन के कर्मचारी	Staff of Parliament Works Division of C.P.W.D.	497
4227.	अदन से भारतीय लोगों द्वारा लाया गया सामान	Goods brought by Indians from Aden .	497-498
4228.	मध्य प्रदेश की बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं	Major and Medium Irrigation Schemes of Madhya Pradesh	498
4229.	कीटनाशी दवाइयां बनाने का कारखाना	Pesticides Factory	498
4230.	नार्थ और साउथ एवेन्यु में सर्वेन्ट क्वार्टरों में सफेदी	White-washing of servants' quarters in North and South Avenues	499
4231.	सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धक	Managers of Public Undertakings	499
4232.	विदेशी सहयोग सम्बन्धी कर विधि	Tax law on foreign collaboration	499
4233.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaint against officers of central excise	499-500
4234.	बज बज अग्निकांड	Budge Budge Fire	500
4235.	जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूंजी विनियोजन	LIC investment in Private Sector .	500-501
4236.	मानव शरीर पर जमाये हुए तेल का प्रभाव	Effect of Hydrogenated Oil on Human System	501-502
4237.	कीटनाशी दवाइयां	Pesticides	502-503
4239.	संसद सदस्यों के क्वार्टरों का संसद-सदस्यों से भिन्न लोगों को आवंटन	Allotment of M. Ps. Quarters to Non-M.Ps. .	503

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4240.	आन्ध्र प्रदेश में पम्प जलाशय योजना	Pumped Storage Scheme in Andhra Pradesh .	503-504
4241.	बजट प्रस्तुत किये जाने पर मूल्यों की वृद्धि	Rise in Prices on Presentation of Budget .	504
4242.	आय-कर अधिकारी पद की परीक्षा	I. T. O. Examination	504
4243.	नन्दीगाम आन्ध्र प्रदेश में श्रमदान योजना	Shramdan Scheme in Nandigam (Andhra Pradesh)	505
4244.	इण्डिया गेट से किंग जार्ज पंचम की प्रतिमा हटाना	Removal of Statue of King George V from India Gate	505
4245.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन —2	UNCTAD—II	505-506
4246.	डुबाई से भारत में निषिद्ध सोना लाया जाना	Contraband Gold from Dubai into India .	506
4247.	गठिया रोग के उपचार की कांग्रेस	Congress to fight Rheumatism . . .	506
4248.	तालचेर का ताप बिजली घर	Talcher Thermal Power Station . . .	507
4249.	दाऊदी बोहराओं के मुल्ला जी द्वारा विदेश से प्राप्त धन का हिसाब दिया जाना	Accounting of Overseas Receipts by Mullaji of Dawoodi Bohras	507-508
4250.	स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन की सम्पत्ति के बारे में सम्पदा शुल्क का भुगतान	Estate Duty Payment in Respect of Late Dr. T. Saifudin's Properties	508
4251.	मनीपुर में परिवार नियोजन योजनाएं	Family Planning Schemes in Manipur . .	508-509
4252.	मनीपुर में आयकर की बकाया राशि	Income-tax Arrears in Manipur. . .	509
4253.	भारतीय तेल निगम द्वारा तीव्र गति डीजल तेल का उत्पादन	High speed diesel oil production by I.O.C. .	509-510
4254.	नेफ्था का उत्पादन	Naphtha Production	510
4255.	समाज कल्याण बोर्ड	Social Welfare Boards	510-511
4256.	तीनों योजनाओं में राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए धन का नियतन	Allocation to States and Union Territories in Three Plans	511

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4257.	गोल मार्केट (नई दिल्ली) में सरकारी रिहायशी क्वाटरों को गिराने की योजना	Demolition Scheme of Gole Market, New Delhi	512
4258.	आय-व्ययक के प्रस्तावों का समूचे राष्ट्रीय उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Budgetary Proposals on Gross National Product	512
4259.	गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ मकान बनाने का कार्य-क्रम	Housing Construction Programme with Private Sector	513
4260.	कैंसर की औषधि	Medicine for Cancer . .	513
4261.	दिल्ली में स्पिरिट की कमी	Shortage of Spirit in Delhi .	513-514
4262.	गर्भनिरोधकों में आत्म निर्भरता	Self-sufficiency in Contraceptives .	514
4263.	आन्ध्र प्रदेश सरकार की ऋण के लिये प्रार्थना	Loan Request from Andhra Pradesh Govt. .	515
4264.	उर्वरक उद्योग में संगठनात्मक परिवर्तन	Organisational changes in Fertilizer Industry .	515-516
4265.	गांवों में बिजली लगाना	Electrification of Villages . .	516
4266.	दस रुपये के चांदी के सिक्के	Ten-rupees Silver Coins . . .	517
4267.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये स्टाफ कार	Staff Car for Central Government Employees.	517
4268.	खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले	Food Adulteration Cases . .	517-518
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	518
	रंगपुर कूच बिहार सीमा पर स्थित भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे का समाचार	Reported Pakistani Claim to Territory on Rangpur-Cooch Behar border . .	518
	श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tewari	519
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	Smt. Indira Gandhi	519-522
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	522-524

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	524
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Bill	524
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha . . .	524
प्राक्कलन समिति	Estimate Committee. . .	524
छियालीसवां प्रतिवेदन	Forty-sixth Report . .	524
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	524
इक्कीसवां प्रतिवेदन	Twenty-first Report . .	524
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement re. International Financial Situation . .	525
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	525
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1967–68	Demands for Supplementary Grants (General) 1967-68	525
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharati Singh Chauhan .	526
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	526
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabh	526-28
श्री किरूतिनन	Shri Kiruttinan	529
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	530
श्री शिव चरण लाल	Shri Shiv Charan Lal	530-31
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	531-533
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	533-534
श्री स० कुन्डू	Shri S. Kundu	534
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	534-35
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant .	535-36
विनियोग विधेयक, 1968	Appropriation Bill, 1968. . .	537
पुरःस्थापित तथा पारित	Introduced Passed . .	537
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक	Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill . .	538
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	538
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	538

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	538
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	538
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati .	539
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	539-40
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun .	540-41
श्री इसहाक सांभली	Shri Ishaq Sambali	541
श्री ओंकारलाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra. .	541
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok .	541-42
श्री रा० स्व० विद्यार्थी	Shri R. S. Vidyarthi. .	542-43
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	543
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2,3 & 1	543-544
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass. .	544
श्री सोनावने	Shri Sonavane	544
जम्मू काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) विधेयक	Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Bill . . .	544
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	544
श्री मुहम्मद यूनस स्लीम	Shri M. Yunus Saleem .	544-545
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok . . .	545-546
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohammed Bakshi	546
श्री अहमद आगा	Shri Ahmad Aga .	546-47
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछ-ताछ कार्यालयों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half an hour discussion complaint against C.P.W.D. Enquiry Offices. . .	548
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	548
श्री रविराय	Shri Rabi Ray. .	549
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	549
श्री ओ० प्र० त्यागी	Shri O. P. Tyagi . .	549
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao.	549-50

लोक-सभा वाद-विवाद का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

17 मार्च , 1967 । 26 फाल्गुन, 1888 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
26	नीचे से पंक्ति 16 से पहले निम्नलिखित पढ़िये : 'लोक सभा में मत विभाजन हुआ । The Lok Sabha Divided '
26	नीचे से पंक्ति 10 से पहले निम्नलिखित भी पढ़िये : 'प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । The motion was adopted
27	नीचे से पंक्ति 14 में सदस्य का नाम 'श्री के.अंभाजागन ' के स्थान पर 'श्री के.अंबाजागन 'पढ़िये ।

लोक-सभा वाद-विवाद का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

18 मार्च, 1967 । 27 फाल्गुन , 1888 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
38	नीचे से पंक्ति 11 में सदस्य का नाम 'डा.कर्णा सिंह जो ' के स्थान पर 'डा.कर्णी सिंह 'पढ़िये ।
39	पंक्ति 5 में सदस्य का नाम 'श्री क.तक्कपा ' के स्थान पर 'श्री क.लकप्पा 'पढ़िये ।

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 18 मार्च, 1968/28 फाल्गुन, 1889 (शक)

Monday, March 18, 1968|Phalguna 28, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

Monday, March 18, 1968|Phalguna 28, 1889 (Saka)

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

Member Sworn

श्री झारखण्डे (घोसी) —हिन्दी में

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरकों की खरीद

*658. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2539 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेंडर मांगने की बजाय बातचीत के द्वारा उर्वरक खरीदने की प्रणाली के अपनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इससे क्या लाभ होने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) ऐसा महसूस किया गया कि विश्व में कुछ एक प्रमुख उर्वरक पूर्तिकर्ताओं ने एक उत्पादक-संघ बना रखा है और वे खुले टेंडरों पर लगभग एक समान ही मूल्य और भाड़ा बताते हैं। पूर्तिकर्ताओं से अलग अलग बातचीत की गई और उसके परिणामस्वरूप टेंडरों पर प्राप्त दरों से पर्याप्त कम दरों पर खरीद की जा सकी है।

(ख) बातचीत के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के खर्च में पर्याप्त बचत की जा सकी है। कृषि विभाग के लिये आवश्यक उर्वरक निश्चित अवधि में अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना भी संभव हो सका है।

श्री क० प्र० सिंह देव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले वर्ष अच्छी फसल होने के परिणामस्वरूप उर्वरकों की मांग बढ़ गई है, क्या सरकार को यह विश्वास

356(Ai) LSD—1.

है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सरकार अपनी परिवर्तित नीति के द्वारा उर्वरकों का आयात कर सकेगी ?

श्री इकबाल सिंह : जब तक उर्वरकों के आयात की आवश्यकता समझी जायेगी, हम उनका आयात करते रहेंगे। मैंने सभा पटल पर रखे गये अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारी उर्वरकों की कुल कितनी आवश्यकता होगी और आगामी 6 वर्षों में हमें इसकी कम से कम कितनी आवश्यकता होगी।

श्री क० प्र० सिंह देव : हमारे देश में घरेलू उत्पादन के लिये कितनी मात्रा में आयातित रसायन की आवश्यकता होगी क्या सरकार को इस मात्रा के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास है, क्योंकि 1966 में गन्धक की कमी के कारण उर्वरकों के उत्पादन में कमी हो गई थी।

श्री इकबाल सिंह : जहां तक उन वस्तुओं के आयात का सम्बन्ध है पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय कच्चे माल से संबंधित है। हम आयात द्वारा उर्वरकों का क्रय करते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : बातचीत के द्वारा देश की कितनी मात्रा के लिये उर्वरकों की प्राप्ति हुई ? विभिन्न मूल्यों पर कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात करने का पहला लक्ष्य था और इस बातचीत के परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ हुआ है ?

श्री इकबाल सिंह : हम इस बात की ओर प्रत्येक वर्ष ध्यान देते हैं कि हमें कितने उर्वरकों की आवश्यकता होगी तथा हमें विभिन्न देशों से किन किन ऋण समझौतों के अनुसार कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात करने की आवश्यकता होगी। पिछले वर्ष अक्टूबर और नवम्बर में की गई बातचीत के परिणामस्वरूप 80 लाख रुपये की बचत हुई।

श्री स्वैल : सरकार द्वारा किन्हीं उर्वरक कम्पनियों को भारत में प्लान्ट स्थापित करने और उनके लिये बाजार और मूल्यों के सम्बन्ध में सुविधा देने की सरकार की नीति का क्या बना ? उनमें से कितनी कम्पनियां आगे आई हैं और सरकार द्वारा इन प्लान्टों से बातचीत कर 30 प्रतिशत खरीदने वाले उर्वरकों में से कितना बातचीत में निर्धारित मूल्यों पर प्राप्त होंगे ?

श्री इकबाल सिंह : यह प्रश्न पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से पूछा जाये, तो उचित होगा :

Shri Kameshwar Singh: The Hon. Minister has told the foreign exchange has been saved as a result of discontinuing tender system and purchasing fertilizers through negotiations. I want to know the total quantity of foreign exchange saved so far?

Shri Iqbal Singh: There has been a saving to the value of Rs. 80 lakhs of foreign exchange. All the savings go to the fertilizer pool.

Therefore, the loss of the fertilizer pool this year is less.

Shri K. N. Tiwari: I want to know the countries from which the fertilizers are imported and their prices thereof? Whether it is a fact that the fertilizer

manufactured in India are costlier as compared to the fertilizers manufactured in other countries? What steps Government intend to take, taking into view that the prices of foodgrains are falling, to reduce the prices of fertilizers?

Shri Iqbal Singh: We import fertilizers from West European Countries, West Germany, France, Italy, United Kingdom, U.S.A. and Canada.

Beside these we import fertilizers through State Trading Corporation from East European Countries and Japan. The price of fertilizers in India is somewhat more that is why we have established a fertilizer pool.

Shri K. N. Tiwari: I want to know the difference between the price of the fertilizers produced here and the price of the fertilizers imported from abroad and steps Government has taken to reduce the prices of the fertilizers.

Shri Iqbal Singh: It is to avoid the difference in prices that the fertilizer pool has been established.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन दोनों का अन्तर बताने में असमर्थ हैं ?

Shri Iqbal Singh: It is very difficult to tell the difference between the two. There is a difference between the price of the fertilizers produced here and the fertilizers imported from abroad. The difference goes to the fertilizer pool. Fertilizer produced in India is dearer while imported fertilizer is cheaper.

Shri O. P. Tyagi: I want to know the yearly demand and production of fertilizers in our country and the quantity of fertilizers we have to import from outside. I also want to know when we will be selfsufficient in this respect.

Shri Iqbal Singh: I have not got the statistics with me.

श्री सूर्य नारायण : कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करके विदेशों से उर्वरकों का आयात किया गया ।

श्री इकबाल सिंह : 1966–67 में 1110 लाख डालर की और 1967–68 में 2810 लाख डालर की विदेशी मुद्रा से उर्वरकों का आयात किया गया ।

श्री सूर्य नारायण : किन किन देशों से इसका आयात किया गया था ?

Shri Maharaj Singh Bharti: Is it a fact that the average price of the fertilizers imported from abroad comes to Rs. 1200 per tonne nitrogen and the price of the fertilizers produced in our country comes to Rs. 3,3000 per tonne nitrogen?

Shri Iqbal Singh: I cannot say anything in this regard. It is better if this question may be asked from the Minister of Petroleum and Chemicals.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशों में उर्वरकों के मूल्यों में बड़ी कमी हो रही है, क्या सरकार इस बात की ओर समुचित ध्यान दे रही है कि वह विदेशों से लम्बी अवधि के समझौते न करके अल्प अवधि के समझौते करें, ताकि देश को उर्वरक के कम दामों का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके ?

श्री इकबाल सिंह : हम दीर्घकालिक समझौतों के बारे में विचार कर रहे हैं।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथराव जोशी) : अभी तक हमने किसी भी देश के साथ लम्बी अवधि का समझौता नहीं किया है। जब जब आयात की आवश्यकता अनुभव होती है हमारे अधिकारी बातचीत करते हैं और बातचीत के परिणामों के अनुसार मूल्य गिर रहे हैं।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशों में उर्वरकों के मूल्य घट रहे हैं, क्या सरकार का विचार अल्पावधि समझौते करने का है ताकि उन्हें अधिक मूल्य न देना पड़े।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : हमने कोई लम्बी अवधि वाले समझौते नहीं किये हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta: The Hon. Minister has told that there has been a profit of Rs. 80 lakhs as a result of purchasing fertilizers through negotiations. Had it not been purchased through negotiations what would have to been its price?

Shri Iqbal Singh: This year there was a profit of Rs. 80 lakhs through negotiation. This year too it has been a profit of Rs. 80 lakhs by purchasing through negotiations.

उपभोक्ता वस्तुओं के दाम

*660. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हिम्मत सिंहका :
डा० कर्णी सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1967 से लेकर आज तक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) तब से लेकर अब तक विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाने के सम्बन्ध में पिछले वर्ष आय-व्ययक सत्र में उन्होंने जो आश्वासन दिये थे उनके अनुसरण में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसमें उसे कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकारी मूल्य सूची में सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कुल मिलाकर होने वाला परिवर्तन नहीं दिखाया गया है। सभा की मेज़ पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें 3 जून, 1967 से 24 फरवरी, 1968 तक अर्थात् सप्ताह समाप्ति की उस अन्तिम तारीख तक जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, महत्वपूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में हुए परिवर्तन दिखाये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—471/68]। इस अवधि में जहां चावल, गेहूं और चीनी के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है, वहां दालों से भिन्न अन्न, दालों, खाद्य तैलों और साबुन के मूल्यों में स्पष्ट रूप से कमी हुई है।

(ग) सरकार ने मूल्यों को स्थिर रखने के लिये कई उपाय किये हैं। इनमें काफी मात्रा में अन्न का आयात करना, अन्न के वितरण की विस्तृत सरकारी व्यवस्था को बनाये

रखना और कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना शामिल हैं। कृषि सम्बन्धी नयी नीति का उद्देश्य सुधरे हुए बीजों की उपलब्धि और अधिक मात्रा में संस्थात्मक ऋणों की व्यवस्था जैसे उपायों द्वारा कृषि क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता बढ़ाना है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये किये जाने वाले उपायों में औद्योगिक लाइसेंस देने की शर्तों को नरम बनाना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिये काफी मात्रा में कच्चे माल का आयात करने की व्यवस्था करना और भारतीय रिजर्व बैंक तथा औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण देने की सुविधाओं को उदार बनाया जाना शामिल है। बैंक दर में हाल ही में की गयी कमी, और बजट में रखे गये कर-प्रस्तावों का उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था को फिर से गतिशील बनाना और उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन, जिसके उपबन्धों को सितम्बर, 1967 से और कड़ा बना दिया गया है, राज्य सरकारों को अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण और मूल्यों पर नियंत्रण रखने के व्यापक अधिकार दे दिये गये हैं। हाल के महीनों में मूल्यों में स्पष्ट रूप से कमी हुई है; थोक मूल्यों के सूचक अंक में, जो 24 फरवरी, 1968 को समाप्त हुए सप्ताह में 199·7 (अनन्तिम) था, अक्टूबर, 1967 के अधिकतम स्तर की तुलना में 10·9 प्रतिशत की कमी हुई और यह सूचक-अंक एक वर्ष पहले के मूल्यों के स्तर से 2.1 प्रतिशत कम था।

Shri Raghubir Singh: In the statement placed at the Table of the House it has been stated that the index of wheat on 3rd June, 1967 was 183.5 and on February 24, 1968 it is 192.4. This shows that these indexes are not authentic because the price of the wheat in the market during June was Rs. 125 per quintal whereas its market price today is Rs. 90 per quintal.

Shri K. C. Pant: These statistics are not of today. They are the statistics of 24th February.

Shri Raghubir Singh Shastri: As the price of the agricultural products are declining as compared to the price of other commodities, whether some steps have been taken so that the farmers may not face difficulties as a result of recession.

Shri K. C. Pant: During the last two or three years the increase in the industrial prices are less than the agricultural prices.

Shri Rabi Ray: I want to know whether they are statistics of whole sale or of retail prices?

Shri K. C. Pant: Retail prices of consumers' goods are not collected. There is no All India Index of it.

Shri Deorao Patil: Taking into consideration the falling of the prices in the consumers' goods whether the Government intends to reduce the dearness allowance?

Shri K. C. Pant: If the prices of the consumers' goods fall, the dearness allowances will be reduced according to the recommendation of the Gajendra Gadkar.

श्री कण्डप्पन : सभा पटल पर रखे गये विवरण से यह पता लगता है कि खाने के तैल में भारी गिरावट आई है—और यह लगभग 26·9 प्रतिशत है। सरकार सभा को

यह आश्वासन दे सकती है कि खाने के तेल में भारी कमी होने को ध्यान में रखते हुए, मूंगफली के उत्पादकों पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हां, तो मूल्यों को स्थिर रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस समय मूल्य को स्थिर करना आवश्यक नहीं है। मूल्य बहुत ऊंचे नहीं गये थे अतः इसे मूल्यों में अधिक गिरावट नहीं कहा जा सकता।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : यद्यपि हाल के कुछ महीनों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है फिर भी चावल, गेहूं आदि के मूल्य स्थिर हैं। लेकिन चीनी के मूल्यों में 14 प्रतिशत वृद्धि हुई है। चीनी के मूल्य में असमान्य रूप से वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने के पश्चात् अन्त में चीनी के मूल्य में कमी हो जायेगी। इस बीच हमने चीनी के मूल्य को विनियोजित करने के अभिप्राय से आंशिक नियंत्रण और नियंत्रण प्रणाली अपनायी है।

Shri Hardayal Devgun: In the statistics shown there are certain things for which Government issues import licences and gives foreign exchanges. These goods are sold at a profit of 400 per cent.

Shri K. C. Pant: It is good if the Government takes some profit on them.

Shri Achal Singh: Will it not be desirable to fix prices of necessities of life at the 1964-65 price and stores provided from Government depots to obviate the necessity of fixing of commission etc.?

Shri K. C. Pant: It is not possible. But dearness allowance is enhanced when necessary.

Shri Madhu Limaye: There is a news that during this year the crops are expected to be exceptionally good. Taking this into view whether the Government propose to abolish those Zonal restrictions and to abolish rationing for those whose income is more than Rs. 500?

Shri K. C. Pant: So far as the restrictions on distribution of jawar and bazra are concerned, consideration on their removal is going on. So far as abolishing of rationing for the persons whose income is more than Rs. 500 the provisions of only statutory rationing is there.

Shri Madhu Limaye: I want to know whether rationing is to be abolished for those whose income is more than Rs. 500.

Shri Morarji Desai: It is very difficult to discriminate where is rationing.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : सरकार ने समय समय पर सभा को और जनता को यह आश्वासन देती रही है कि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य स्थिर करने के प्रयास किये जायेंगे। लेकिन अभी तक उन आश्वासनों के कोई परिणाम नहीं निकले हैं। चालू बजट के प्रयोजनों से जनता में यह भय उत्पन्न हो गया है कि और अप्रत्यक्ष कर लगेंगे और उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमतें और बढ़ जायेंगी और वह मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता नहीं दे

सकेंगे । क्या माननीय मंत्री इस बात का आश्वासन देंगे कि चालू बजट प्रस्तावों से उपभोक्ता मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह ध्यान देने योग्य बात है कि मई, 1962 से आने वाले प्रत्येक वर्षों के अन्तिम सप्ताहों में पहला सप्ताहों की तुलना में उपभोक्ता की वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है । यह कहना ठीक नहीं है कि मूल्य स्थिर नहीं रहे हैं ।

निर्वाह व्यय की वृद्धि को निष्प्रभाव करना

*662. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनों ने निर्वाह व्यय देशनांक के अनुसार निर्वाह व्यय की वृद्धि को पूर्ण रूप से निष्प्रभाव करने की मांग हाल में की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है तथा क्या उन्होंने सितम्बर, 1967 में इस मामले पर पुर्नविचार करने का वचन दिया था ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) कर्मचारियों ने इस मामले पर विचार करने के लिए संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद् की एक विशेष बैठक के लिए निवेदन किया है ।

(ख) अगस्त, 1967 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया था कि कर्मचारी अप्रैल, 1968 से, मूल्य में वृद्धि के शत प्रतिशत निराकरण के लिए अपनी मांग संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र में अथवा अन्य किसी अधिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात होगा कि दास आयोग ने तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 70 प्रतिशत बढ़ी हुई महंगाई को निष्प्रभाव किया लेकिन गजेन्द्र गडकर आयोग जिससे कि हमें अधिक आशा थी केवल 30 और 40 प्रतिशत और महंगाई को निष्प्रभावित किया। सरकार की इसके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है। क्या सरकार, निर्वाह व्यय देशनांक के अनुसार कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के निर्वाह व्यय की वृद्धि को पूर्ण रूप से निष्प्रभाव करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई न केवल संयुक्त सलाहकार की बैठक बल्कि राष्ट्रीय गोष्ठी तथा विभिन्न श्रमिक संघ अभियानों से सम्बन्धित राष्ट्रीय नेताओं की बैठक में फिर से विचार करने का है।

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मेरा ऐसी कोई गोष्ठी बुलाने का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : सूती कपड़ा तथा अन्य उद्योगों में स्वयं ही निर्वाह व्यय निर्धारित हो जाता है और उन्हें इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । यदि मूल्य बढ़ जाते हैं तो उन की महंगाई भत्ता अपने आप बढ़ जाता है। क्या सरकार महंगाई भत्ता देने के सम्बन्ध के वतमान प्रस्ताव पर पुनः विचार करेगी और कुछ प्रस्तावों पर सहमत होगी जिनपर सरकारी कर्मचारी सहमत हैं, ताकि उनके महंगाई भत्ते में स्वयं वृद्धि हो जाये और देश में महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में कोई आन्दोलन न हों ।

श्री मोरारजी देसाई : जहां तक सरकार की राय का संबंध है, वह विरुद्ध दिशा में है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या उन राज्य सरकारों के सम्बन्ध में भी वह सूत्र लागू होगा जो राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत हैं और जिनका प्रशासन केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

श्री मोरारजी देसाई : जी नहीं।

ZONAL PLANS IN DELHI

+

668. **Shri R. S. Vidyarthi:**
Shri Sharda Nand:
Shri N. S. Sharma,
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Kanwar Lal Gupta:

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the time by which the Zonal Plans of Delhi would have been prepared according to the Delhi Master Plan;

(b) the number of Zonal Plans prepared so far and the number thereof which remain yet to be prepared;

(c) The time by which all the Zonal Plans are likely to be prepared;

(d) whether it is a fact that house construction work in the areas in regard to which the Zonal Plans have not been prepared is not making any progress; and

(e) if so, the steps being taken by Government to remove the said difficulty?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली मास्टर प्लान अथवा दिल्ली विकास अधिनियम में, जिसके अधीन मास्टर प्लान बनाया गया है क्षेत्रीय योजनाओं के बानाये जाने के लिये समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) कुल 136 क्षेत्रों में से अभी तक 82 क्षेत्रीय विकास योजानाओं के प्रारूप तैयार किये गये हैं। 54 क्षेत्रीय योजनाओं अभी बनानी बाकी हैं।

(ग) शेष क्षेत्रीय योजनाएं शहर के बसे हुए भाग से सम्बन्धित हैं, जिस पर काम चल रहा है। क्योंकि इस काम में बहुत श्रम और समय लगेगा इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि सभी क्षेत्रीय विकास योजनाएं कब तक बन सकेंगी।

(घ) प्राधिकार ने मात्र व्यवस्थित आयोजन और विकास के हित में दिल्ली नगर निगम को सलाह दी है कि जब तक (क) क्षेत्रीय योजनाएं अनुमोदित नहीं होतीं, अथवा (ख) जहां रास्ते के निश्चयन की निर्धारित अलाइनमेंट प्लान को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक भवन निर्माण कार्य को स्थगित रखा जाए।

(ङ) क्षेत्रीय योजनाओं को अन्तिम रूप देने के कार्य में जल्दी करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकार से कहा जा रहा है।

Shri R. S. Vidyarthi: India has not good relations with China and Pakistan. The capital of India, Delhi, may be attacked at any time. I would like to know whether this view has been kept in mind while preparing the 82 Zonal Master Plans of Delhi. This aspect has not been taken into consideration at the time of constructing the Government buildings like Krishi Bhawan, Udyog Bhawan or Parliament House. May I know whether this aspect will be taken into consideration by Government in future planning of the city and whether Government will revise the plans already approved?

श्री ब० सू० मूर्ति : मास्टर प्लान इस दृष्टि से तैयार की गई है कि प्रत्येक क्षेत्र का सदुपयोग और विकास ठीक प्रकार से हो । जहां तक प्रतिरक्षा का प्रश्न है, यह प्रतिरक्षा मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये था ।

Shri R. S. Vidyarthi: I want your protection, Sir. In what way the Ministry of Defence is concerned with the preparation of development plans of the city. I want to know that if you had not kept this thing in mind in the past whether it will be taken into consideration in future.

श्री ब० सू० मूर्ति : मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रतिरक्षा से सम्बन्धित इस प्रश्न का सम्बन्ध प्रतिरक्षा मंत्रालय से है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मंत्री महोदय ने प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं समझा है ।

Shri R. S. Vidyarthi: I have specifically pointed out that the representative of the Defence Ministry has said that there was no provision keeping in view the defence of the city.

श्री ब० सू० मूर्ति : माननीय सदस्य को पता है कि जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तो दिल्ली की रक्षा के लिए प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की गई थी सरकार इन बातों के प्रति जागरूक है और इन सब बातों पर भविष्य में भी ध्यान दिया जायेगा ।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने प्रश्न को ठीक से नहीं समझा ।

श्री ब० सू० मूर्ति : इस प्रकार के विषय को प्रश्नोत्तर का विषय नहीं बनाया जा सकता ।

श्री बलराज मधोक : माननीय सदस्य कय यह प्रश्न था कि अब तक निर्मित भवनों के नक्शे और प्लान तैयार करते समय प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा गया, क्या सरकार इसे भविष्य में ऐसी प्लान तैयार करते समय ध्यान में रखेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस प्रकार की सब बातों पर ध्यान दिया जाता है ।

Shri R. S. Vidyarthi: Is it a fact that the people in charge of the town planning never visited the site while surveying for the purpose of Master Plan and that is why the areas covered by the colonies have been shown as vacant in the survey maps of that time? If it is a fact why local congress leaders are now going to launch an agitation against the Master Plan.

श्री ब० सू० मूर्ति : मास्टर प्लान तैयार करते समय दलगत बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि दिल्ली के लोगों के कल्याण की बात को ध्यान में रखा जाता है।

श्री कंवरलाल गुप्त : इस प्रश्न का उत्तर निर्माण, ग्रावास तथा पूर्ति मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री डा० चन्द्र शेखर द्वारा दिया जाना चाहिये, क्योंकि दिल्ली विकास ग्रधिकरण पहले निर्माण, ग्रावास तथा पूर्ति मंत्रालय के ग्रधीन था।

ग्रध्यक्ष महोदय : परन्तु यदि डा० चन्द्र शेखर भी सदस्यों को संतुष्ट न कर सके, तो क्या होगा।

श्री ब० सू० मूर्ति : 1960 में जब मास्टर प्लान तैयार किया गया था तो लोगों से इस बारे में सुझाव ग्रौर उस पर ग्रापत्ति, यदि कोई हो तो, मांगे गये थे। लगभग 600 व्यक्तियों ने दिल्ली विकास ग्रधिकरण से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया था। जो ग्रापत्तियां की गई थीं या सुझाव दिये गये थे, उन सब पर विचार करने के पश्चात् मास्टर प्लान में कुछ परिवर्तन किया गया था ग्रौर उसे प्रकाशित किया गया था। ग्रतः यह कहना गलत है कि दिल्ली विकास ग्रधिकरण ने मौके पर जाकर स्थानों का निरीक्षण नहीं किया था।

Shri Kanwarlal Gupta: Sir, this Master Plan is not realistic and practicable one, and it has rendered about one lakh constructions as unauthorized in Delhi. May I know whether in view of it Government will consider to make some adjustments in the Master Plan or will set up a machinery for this purpose?

श्री ब० सू० मूर्ति : दिल्ली विकास ग्रधिकरण ग्राज भी लोगों की शिकायतें सुनता है। यदि माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत करनी है तो वह ग्रपनी शिकायत दिल्ली विकास ग्रधिकरण के पास भेज सकते हैं।

Shri Kanwarlal Gupta: The adjustments in respect of Master Plan are effected by the Central Minister and not by D.D.A.

ग्रध्यक्ष महोदय : जहां दिल्ली विकास ग्रधिकरण को फेरबदल करने की शक्ति नहीं है वहां क्या सरकार मास्टर प्लान में थोड़ा बहुत फेरबदल करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी, हां।

Shri Balraj Madhok: It is a planless Plan and the very basis of this Plan does not exist now. Zonal Plans are also lying in the same State. May I know whether in view of the difficulties being faced in the implementation of the Master Plan some adjustments will be made in it and whther the representatives of the Corporation or Metropolitan Council will be invited for consultation in this matter?

श्री ब० सू० मूर्ति : सरकार इस प्रकार की सब ग्रापत्तियों पर विचार करेगी।

Utilisation of Soviet Aid during Third Plan

***664. Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the reasons for utilising only half of the Soviet assistance during the Third Five Year Plan when the USSR Government had promised to grant assistance before the Third Five Year Plan was started;

(b) whether it is a fact that Government would be able to purchase less goods in view of increased prices and country would have to suffer loss; and

(c) if so, the steps taken to make full utilisation of the Soviet aid?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (c). During the five years of the third Five Year Plan, contracts were placed for about 77 per cent of the amount of the two credits extended by USSR for financing industrial projects under the Third Five Year Plan. Because of greater availability of indigenous equipment, the requirements of the projects under these credits were considerably less than originally anticipated when credit agreements were concluded. Some more contracts of approximately 7 per cent of the amount of these credits have been concluded after the end of the Third Plan period. Efforts are being made in consultation with the Soviet authorities to utilise the balance of the credit for Fourth Five Year Plan projects.

(b) The reference to increased prices is not clear. The requirements of the projects will be met in full under these credits provided the items in question are not available indigenously and the prices quoted by the USSR suppliers are internationally competitive.

Shri Maharaj Singh Bharati: The Minister has stated that the Soviet assistance was not utilised because some of the things intended to be imported earlier, became available indigenously. There were so many things other than these, which were available for sale in Russia and which we had been importing from other countries. May I know the reason why such things, which Russia wanted to give us on good terms, were not purchased therefrom and why the purchases were made from hard currency area instead of soft currency area?

Shri Morarji Desai: But they do not allow us to make purchases in this manner. You should not think that there are not ties. There are such ties that we cannot purchase the things from the market of our choice. We can purchase only if others want to sell. Secondly, there are some things which are produced in the country after the time, when the agreements are concluded. In such cases we do not import those things which become available as a result of indigenous production. We want to utilize fully all that which we receive as loans from abroad. Balance will be utilized for other purposes of this Plan.

Shri Maharaj Singh Bharati: It appears from the Minister's answer that there is no planning in our country, and we do not know what things will be produced in coming five years and what kind of aid we are going to receive from any country. I would specifically like to know it.

Shri Morarji Desai: I have no jealousy if he is a greater authority on planning. But the fact is this that we have not adequate resources to make purchases whenever we like. Sometimes planning also lag behind, because we do not receive the required materials in time.

Shri Maharaj Singh Bharati: I could not understand the statement of hon. Minister that the production of somethings start suddenly, for which there is no planning.

Shri Morarji Desai: No production takes place all of a sudden.

श्री वेद व्रत बरुग्रा : ग्रकटाड के प्रतिवेदनों से ऐसा प्रतीत हुग्रा है कि केनेडी राउंड के ग्रन्तर्गत शायद यह ग्रन्तिम ग्रमरीकी रियायत होगी। भारत से इस्पात की खरीदारी के सम्बन्ध में रूस का रवैया हम देख चुके हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या रूस से मिलने वाली इस सहायता का पूर्ण उपयोग करने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ग्रौर क्या रूस से ग्रधिकतम सहायता लेने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री मोरारजी देसाई : रूस से जितना ग्रधिक हमें मिल सकता है, उसे प्राप्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सरकार के सामने समझौते या कार्यक्रम के ग्रनुसार माल न मिलने के कारण कठिनाई उपस्थित हुई ग्रथवा हम परियोजनाग्रों को निश्चित समय के ग्रन्दर शुरू करने की स्थिति में नहीं थे ग्रौर इस कारण से पूर्ण सहायता का उपयोग न किया जा सका ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ परियोजनाग्रों को पूरा करने के लिये सामान मंगाने के लिये रूस के साथ समझौता किया गया था। उसके पश्चात् जिस सामान के लिये समझौता किया गया था उसमें से कुछ हमारे देश में तैयार होने लगा ग्रौर ऐसा सामान हमने रूस से नहीं मंगाया। ऐसे सामान के ग्रनुपात में ही रूसी सहायता का कुछ ग्रंश शेष बच गया है।

श्री लोबो प्रभू : क्या ब्याज ऋण के केवल उस भाग पर दिया जायेगा जो प्रयोग में लाया जा चुका है ? यदि हां तो कितना ? क्या यह सच है कि 1966 में रूस ने भुगतान संतुलन पर ध्यान न देते हुए 7 करोड़ रुपये का ग्रधिक सामान हमारे यहां से ग्रायात कर लिया था ?

श्री मोरारजी देसाई : जब तक ऋण लिया नहीं जाता तब तक उसका ब्याज नहीं देना पड़ता। बिना ग्रांकड़ों को देखे यह नहीं कहा जा सकता कि 1966 में व्यापार संतुलन क्या था।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वेज नहर के बन्द हो जाने से रूस तथा अन्य देशों से आने वाले माल पर खर्च अधिक पड़ता है, क्या सरकार ने आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं पर पुनर्विचार किया है और क्या इस कारण हमारे कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न हुई है?

श्री मोरारजी देसाई : स्वेज नहर के बन्द होने से जो प्रभाव पड़ा है, हमने उस पर भली भांति विचार किया है। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि किस सामान के कहां से मंगाने पर हमें लाभ होगा। परन्तु इस प्रकार के विश्लेषण से कोई विशेष लाभ नहीं होता क्योंकि यह सम्भव नहीं होता कि हम जहां से चाहें, अपनी आवश्यकता का सामान खरीद ल। मेरे विचार से नहर के बन्द होने से हमारी योजनाओं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है।

सुनारों को ऋण

\+

*666. **श्री रा० बरुआ :**	**श्री राजा राम :**
श्री द० रा० परमार :	**श्री रा० की० अमीन :**
श्री प्र० न० सोलंकी :	**श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री श्रीकान्तन नायर :	**श्री मोहन स्वरूप :**
श्री किक्कर सिंह :	**श्री रामचन्द्र ज० अमीन :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :	**श्री ओ० प्र० त्यागी :**
	श्री उमा नाथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वर्णकारों तथा उनके संघों तथा फैडरेशनों से कोई मांगें तथा सुझाव मिले हैं कि उनको और सुविधायें दी जायें तथा उनके उन ऋणों को अनुदान में बदल दिया जाये जो उनको केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों ने उनकी आर्थिक दशा देखते हुए दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) स्वर्णकारों से व्यक्तिगत रूप से तथा उनकी संस्थाओं से विभिन्न मामलों पर समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें स्वर्णकारों को दिये गये पुनर्वास-ऋणों को राज सहायता अथवा सहायतार्थ अनुदानों में बदलने की प्रार्थना भी की गई है।

(ख) प्राप्त अभ्यावेदनों के गुण-दोषों के आधार पर जांच की गई और जहां कहीं किसी मांग अथवा सुझाव को स्वीकार करना सम्भव था वहां आवश्यक कार्यवाही की गई। किन्तु, स्वर्णकारों को दिये गये पुनर्वास-ऋणों को पूर्ण रूप से राज-सहायता में बदलने अथवा उनकी वसूली माफ कर देने की प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार बता सकती है कि कितने सुनारों को वैकल्पिक लाभप्रद रोजगार मिल गया है? यदि हां, तो किस अनुपात में?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 15265 सुनारों को रोजगार मिला है।

श्री रा० बरुआ : उन सुनारों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है जिनके मामलों पर सहानुभतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऐसे प्रत्येक सुनार के मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा जिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

श्री श्रीकान्तन नायर : आजकल कितने सुनारों की दशा अत्यन्त शोचनीय है और कितने सुनार आत्म हत्या करने की बात सोच रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा एक भी सुनार नहीं है।

श्री राजाराम : जिन सुनारों ने आत्महत्या की है, क्या उन के परिवारों को कुछ सहायता दी जायेगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : हमारे देश में ही नहीं, अन्य अनेक देशों में भी लोग आत्म हत्या करते हैं।

श्री हेम बरुआ : किसी कारण से की गई आत्म हत्या और सरकार के कृत्य के कारण की गई आत्म हत्या में तो अन्तर है ?

Shri O. P. Tyagi: The Gold Control Act has badly affected the goldsmiths and the bullion merchants have not been at all affected by it. May I know whether in view of it, government are considering to bring forward a bill connected with the same?

श्री मोरारजी देसाई : एक विधयक इस सम्बन्ध में लाया जा रहा है। इस बार उससे अधिक प्रभावकारी बनाया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि स्वर्णकारों को ऋण उद्योगों के निदेशक या ऐसी ही अन्य एजेंसियों द्वारा बाँटा गया है और कुछ मामलों में ऐसे लोगों को यह ऋण दिया गया है जो स्वर्णकार नहीं थे ? क्या विभिन्न राज्य सरकारों तथा अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के प्रतिनिधियों के साथ इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक 13.6 करोड़ रुपये की राशि स्वर्णकारों में ऋण के रूप में बाँटने के लिये दी गई है। इस में से 10.34 करोड़ रुपये की राशि 1,09,000 सुनारों में बाँटी जा चुकी है। यदि मेरे माननीय मित्र के पास कोई इस प्रकार का कोई विशिष्ट मामला है तो उसकी जानकारी मेरे पास भेज दी जाये ताकि अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सम्बन्ध में जाँच की जानी चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : यदि स्वर्ण संघ ने उन से शिकायत की है, तो वह मुझे यह सूचना कार्यवाही हेतु भेज दें।

श्री विक्रम चन्द महाजन : कितने सुनारों ने स्वर्ण नियंत्रण आदेश के लागू होने के बाद आत्म-हत्याएं की हैं तथा ऐसे कितने सुनारों की विधवाओं या बच्चों को आर्थिक सहायता दी गई है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 1,81,000 स्वर्णकारों को या उन के आश्रितों को शिक्षा सम्बन्धी या तकनीकी प्रशिक्षण सम्बन्धी सूविधाएं ी गई हैं ।

Shri Randhir Singh: May I know whether Government will prepare a plan to rehabilitate the goldsmiths, who have been uprooted as a result of the Gold Control Order?

Shri Morarji Desai: I cannot commit for such a provision.

श्री क० नारायण राव : स्वर्णकारों को जितना ऋण दिया गया है और उनके लिये रोजगार के जितने अवसर उपलब्ध हैं वे पर्याप्त नहीं हैं । जो ऋण उन्हें दिया गया था, उसे वे खाने पीने में खर्च कर चुके हैं । एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय अपनाना भी बहुत कठिन होता है । सरकार ने सुनारों को यथोचित काम धंधा देने के लिये जितने उपाय किये थे वे सब असफल रहे हैं । इस बात को देखते हुए क्या सरकार इस सम्बन्ध में नई नीतियाँ अपनायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं यह नहीं समझता हूं कि सुनारों के पुनर्वास के लिये किये गये सरकार के सब कार्य असफल रहे हैं । इस सम्बन्ध में जो नये उपाय किये जायेंगे, वे उस समय सभा के सामने आयेंगे जब स्वर्ण नियंत्रण विधेयक पर चर्चा की जायेगी ।

श्री मोरारजी देसाई : जब स्वर्ण नियंत्रण विधेयक सभा के समक्ष आयेगा तो इन सब बातों पर विचार किया जायेगा ?

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को पता है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सुनारों के लिये नियत ऋण गैर-सुनारों में बांटा गया है ।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

बरोनी तथा गुजरात तेल शोधक कारखाने

*667. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 1966 को बरोनी और गुजरात तेल शोधक कारखानों में तेल साफ करने की प्रति मीट्रिक टन वास्तविक लागत क्रमशः 199.32 प्रतिशत और 175.52 प्रतिशत थी ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन पर इतनी अधिक लागत आने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या भविष्य में तेल साफ करने की लागत में कमी होने की कोई सम्भावना है और जून, 1967 में तेल साफ करने की लागत क्या थी; और

(घ) यदि तेल साफ करने की लागत कम नहीं की जा सकती है तो परियोजना रिपोर्ट और वास्तविक कार्य-करण में इतना अन्तर होने का क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिक उत्पादन लागत का कारण अधिक पूंजी व्यय है; जो पुनः अंतरस्थलीय स्थिति, दूसरी शोधन शालाओं में न पाई जाने वाली सुविधाओं की व्यवस्था (अर्थात् बड़ी आवास कालोनी, विद्युत् संयंत्र आदि) और प्रयोग किये जाते कच्चे तेल की किस्म से सम्बन्धित तकनीकी कारणों के परिणामस्वरूप है । बात यह भी है कि गुजरात शोधनशाला 1965-66 के पिछले तीन महीने में ही ठीक से चालू हुई और तब ही इसमें व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ और बरौनी शोधन-शाला ने 2.00 मिलियन टन निर्धारित उत्पादन के मुकाबले में केवल 0.74 मिलियन मीटरी टन उत्पादन किया ।

(ग) जी हाँ । उत्पादन में वृद्धि होने से, इन शोधन शालाओं में से प्रत्येक में विघायन (प्रौसैसिंग) लागत में कमी हुई है । जून, 1967 में समाप्त हुए चतुर्थांश में विघायन लागत निम्न प्रकार थी :—

बरौनी शोधन शाला	41.25 रुपये । प्रतिमीटरी टन
गुजरात शोधनशाला	20.99 रुपये । प्रति मीटरी टन

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखिए ।

Shri Prem Chand Verma: Whether the increase in processing cost is not due to overstaffing? For example in the Project Report of Administration and Designs Group of Barauni Refinery there were 64 men required while it has not started working fully but even than 232 men are working there. May I know whether any investigation has been made in this respect, if so, what are the results and what action has been taken?

श्री रघुरामैया : लागत में कमी माननीय सदस्य द्वारा बताये गये उपाय अर्थात् अतिरिक्त स्टाफ में कमी करके भी की जायेगी ;

Shri Prem Chand Verma: What steps have been taken and what are being taken to bring the cost according to the Project Report?

श्री रघुरामैया : लागत में कमी करने के लिये बहुत से कदम उठाए गये हैं जो इस प्रकार हैं :—पहले, उत्पादन का बढ़ाया जाना, दूसरे परिचालन के दौरान उपभोग की गयी रसायनिकों की लागत में कमी करना, तीसरे, सूचियों में कमी करना, चौथे अतिरिक्त स्टाफ में कमी करना, जिसका वर्णन पहले भी किया जा चुका है और पांचवें व्यय, की सारी मदों पर कठोर बजट नियंत्रण रखना ।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : माननीय सदस्य ने बताया है कि कुछ विशेष विभागों में आवश्यकता से अधिक स्टाफ नियुक्त किया गया था, क्या इसका तात्पर्य यह है कि उनकी छंटनी कर दी जायेगी जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है ?

श्री रघुरामैया : मैंने सोचा था कि यह प्रश्न सामान्यतः सम्पूर्ण शोधनशाला में अतिरिक्त स्टाफ से सम्बन्धित है ।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : लेकिन माननीय सदस्य की ओर से अतिरिक्त स्टाफ़ की छंटनी करने के लिए कोई सुझाव नहीं था । यह केवल आपकी धारणा है ।

श्री रघुरामैया : यह उन उपायों में से एक है जो लागत कम करने के लिए हम प्रयोग में ला रहे हैं।

श्री स्वैल : हाल में बरौनी शोधनशाला के बन्द होने के कारण उसे कितनी हानि हुई और क्या यह हानि विधायन (प्रौसेसिंग) लागत में जोड़ दी जायेगी ?

श्री रघुरामैया : बरौनी शोधन शाला अभी बन्द ही है। इसलिए, कितनी हानि हुई है इसका निर्धारण इस समय नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त हमें न केवल उत्पादन हानि को ही गिनना है अपितु इस बात को भी लेना है कि हम काफी कच्चे तेल का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। और न ही बाजार में भेज रहे हैं। हानि निर्धारण के लिए इन सब बातों को देखना होगा।

श्री स्वैल : शोधनशाला बन्द कर दी गयी थी और यह फिर खोल दी गयी है। क्योंकि शोधनशाला की प्रतिदिन की कमाई का निर्धारण निश्चय रूप से होता है इस लिए हानि-निर्धारण भी किया जा सकता है। इतने दिनों के बाद अब मंत्री महोदय कैसे कह सकते हैं कि हानि-निर्धारण नहीं हो सकता ?

श्री रघुरामैया : मैं केवल अनुमानित आंकड़े दे सकता हूं। यह प्रतिदिन $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये के लगभग होगा। यह बिल्कुल अनुमानित आंकड़े हैं और यह केवल शोधन-शाला के विधायन (प्रोसेस) से संबंधित हैं, लेकिन मैं इसकी जांच करना चाहूंगा।

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Question

राजस्थान नहर संबंधी निर्माण कार्य

+

9. **डा० कर्णी सिंह :**

श्री अमृत नाहाटा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर संबंधी निर्माणकार्य बन्द कर दिया गया है जिस से कई सैक्टरों में काम बिल्कुल बन्द हो गया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस के परिणामस्वरूप कितने तकनीकी तथा अन्य व्यक्तियों की छंटनी किये जाने की संभावना है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि इस कारण जो मशीनें अप्रयुक्त रहेंगी वे खराब नहीं होने पायेंगी और राष्ट्र की हानि नहीं हो पायेगी ; और

(घ) 48वें मील से लिफ्ट चेनल पर कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं जो अधिक भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाने तथा राजस्थान के कुछ भागों में खारे पानी वाले क्षेत्रों में पेय जल की सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से बहुत अधिक लाभदायक समझी जाती है ?

856(Ai) LSD—2.

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख): यह सत्य नहीं है कि राजस्थान नहर का काम बन्द कर दिया गया है । परन्तु संसाधनों की तंगी के कारण और लगाई जा चुकी पूंजी से अधिकाधिक लाभ उठाने के लिये राजस्थान नहर के निर्माण-कार्य में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, जिस के अनुसार सर्वप्रथम वितरण प्रणाली समेत नहर को 70वें मील तक पूरा किया जाएगा और फिर कोई अन्य काम आरम्भ किया जाएगा । 15 स्नातक इंजीनियरों, 115 डिप्लोमाधारी इंजीनियरों, 278 क्लर्कों और ट्रेसरों तथा लगभग 700 वर्कचार्ज कुशल कर्मकों की छंटनी की गई है । उप-प्रधान मंत्री द्वारा 1968-69 में चुनी हुई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये घोषित 25 करोड़ रुपयों में से अतिरिक्त धन उपलब्ध होने की संभावना के कारण और छंटनी की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ग) आवद्धित आवंटन के कारण आशा है कि सारी की सारी उपयोगी मशीनरी इसी परियोजना पर ही प्रयोग में लाई जाएगी ।

(घ) राजस्थान सरकार ने हाल ही में लिफ्ट चैनल के निर्माण के लिए एक स्कीम स्वीकार की है जिसे शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा ।

डा० कर्णी सिंह : मंत्री महोदय ने बड़ी उत्साहवर्धक बात कही है कि राजस्थान नहर परियोजना बन्द नहीं हुई है । हमें नहर क्षेत्र में इस के बिल्कुल विपरीत स्थिति बतायी गयी थी। आपको विदित है कि राजस्थान नहर परियोजना दुनिया में सब से अधिक शक्ति-शाली परियोजना है और भारत को इस पर गर्व है । यह उन 37 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई करेगी ... ।

इस समस्या को भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने उत्पन्न किया है क्योंकि इनमें से कोई भी उसके उत्तरदायित्व को लेना नहीं चाहता। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये कि यह देश की बहुत महत्त्वपूर्ण नहर परियोजना है; खाद्यान्न की कमी के कारण इस नदी घाटी परियोजना के विस्तार की आवश्यकता है; विदेशों पर खाद्यान्न की निर्भरता को समाप्त करना है; देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना है। तथा खाद्यान्न के आयत से जो विदेशी मुद्रा का काम होता है उसमें सुधार करना क्या भारत सरकार के पास राजस्थान नहर परियोजना को उच्चतर प्राथमिकता देने के लिये जिस प्रकार कि पाकिस्तान सरकार ने मंगला डाम केमामले में किया था उसी प्रकार इसे नियत समय से पूर्व पूर्ण करने के लिये तथा इसमें ढील न करने के लिये सुझाव है ।

(ख) क्या सरकार के पास सुझाव है कि उस जल का राजस्थान तथा भाखड़ा नहर प्रणाली में तत्काल उपयोग किया जाय जो उन्हें सिन्ध जल संधी की समाप्ति पर तो एक साल के अन्तर्गत उपलब्ध होगा ?

(ग) सरकार क्या कदम उठाने जा रही है जिससे की स्टाफ की छंटनी न हो। यदि छटनी की गयी तो कुशल तथा प्रशिक्षण प्राप्त जन-शक्ति की हानि होगी और कार्य के पुनः आरम्भ, होने पर वे प्रशिक्षण प्राप्त तथा कुशल अनुभवी न मिल सकेंगे ।

(घ) परियोजना के कीमती उपकरणों की देखभाल तथा उनके संधारण के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डा० कु० ल० राव : (ग) और (घ) के उत्तर दे चुका हूं। जहाँ तक (क) का संबंध है हम प्रयत्न करेंगे कि परियोजना यथा सम्भव शीघ्र पूरी हो जाय। संभवत: इसमें एक वर्ष और लग

जायेगा। पहले यह आशा थी कि परियोजना का पहला चरण 1970-1971 तक पूरा कर दिया जायेगा। लेकिन बहुत संभव है इसमें एक वर्ष और लग जाये। यह ध्यान रखा जायेगा कि परियोजना का पहला चरण जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाये। (जहां तक सिन्धु जल) संधि की समाप्ति पर उपलब्ध जल के उपयोग का प्रश्न है यह नहीं कहा जा सकता है कि हम उस सारे के सारे पानी का उपयोग कर सकेंगे। हम उस जल का पूर्ण उपयोग नहीं कर पायेंगे क्योंकि बांध (डैम) अभी पूरा नहीं बना है और यह इसके नियत समय सन् 1970 के दो या तीन वर्ष बाद पूरा हो पायेगा।

डा० कर्णी सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो 48 वें मील से लिफ्ट चैनल की योजना है उसके लिए राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार को इस कार्य को अपने हाथ में लेने लिए कार्यक्रम का प्रावस्था-प्राक्कलन दे दिया है कि नहीं और यह कार्य कब आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्री कु० ल० राव : राजस्थान सरकार ने 48वें मील लिफ्ट चेनल की योजना का समर्थन कर दिया है। यह 1.3 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी। यह लुनकरन सागर तक जायेगी तथा बाद में उद्योगों को सप्लाई के लिये तथा पीने के पानी के प्रयोजन के लिये बिकानेर तक जायेगा। इस पर कार्य बहुत ही शीघ्र होने वाला है।

श्री अमृत नाहाटा : माननीय मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि वित्त मंत्री बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये 25 करोड़ रुपये नियत किये हैं लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि इसमें से राजस्थान नहर के लिये कितना नियत किया है और क्या राजस्थान नहर के लिये यह आवंटन राजस्थान सरकार की योजना के अधीन है अथवा उसके बाहर है क्योंकि यदि यह उसके अन्तर्गत है तो राजस्थान सरकार इसको अपने हाथ में लेने की स्थिति में नहीं है।

कुछ समय पूर्व केन्द्र सरकार तथा राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ था, तब राजस्थान सरकार अपने कुछ क्षेत्रीय तथा दूसरे अधिकारों का समर्पण करने के लिये राजी हो गयी थी तथा केन्द्र सरकार राजस्थान नहर प्राधिकार स्थापित करने को सहमत हो गयी थी, यहाँ तक कि एक बिल का प्रारूप बनाया गया था जिसे सदन में प्रस्तुत करना था। मैं जानना चाहता हूं कि उस बिल का क्या हुआ तथा केन्द्र सरकार राजस्थान नहर परियोजना को लेने के लिये तैयार क्यों नहीं है जो कि राष्ट्रीय परियोजना है न कि राज्य परियोजना।

डा० कु० ल० राव : राजस्थान नहर परियोजना के लिए जो विशेष राशि नियत की गयी है वह अभी पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है लेकिन यह एक अच्छी खासी रकम होगी तथा जो अधिकतम कार्यक्रम हम इस वर्ष राजस्थान नहर परियोजना पर करेंगे उनको पूर्ण करने के लिए इस राशि को उपयोग में लाया जायेगा। सहायतार्थ जो अतिरिक्त राशि दी जायेगी वह राज्य योजना से बाह्य होगी।

जहां तक भारत सरकार द्वारा परियोजना को अपने हाथ में ले लेने का प्रश्न है यह अभी पूर्णतः तय नहीं हुआ है, लेकिन इस समय ऐसी धारणा है कि इसके लेने में कोई विशेष लाभ नहीं क्योंकि परियोजना की प्रगति काफ़ी अच्छी चल रही है और अब प्रश्न केवल इसके लिये फन्ड्स एकत्र करने का है उसके लिए सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है।

श्री कृ० मा० कौशिक : क्या यह सच है कि करोड़ों रुपये की मशीनरी, वार्किंग ड्रिग लाइनें, सामान्य ड्रिग लाइनें तथा ट्रैक्टर नहर क्षेत्र मे बेकार पड़े हैं और काम के बन्द होने के कारण उनका क्षय हो रहा है ? यदि यह सत्य है तो क्या यह आवश्यक नहीं कि उसका कार्य आरम्भ कर दिया जाये जिससे मशीनरी और अधिक खराब होने से बच जायें ?

डा० कु० ल० राव : यही बात मैंने अपने मूल उत्तर मे कही थी, पिछले वर्ष पर्याप्त साधनों के उपलब्ध न होने के कारण कुछ मशीनरी को भंडार गृह (स्टोर) में रखना पड़ा, लेकिन इस वर्ष अतिरिक्त निधि उपलब्ध है इसलिए सारी उपयोगी मशीनरी को प्रयोग में लाया जायेगा । कुछ मशीनरी फालतू है उसे दूसरे निर्माण कार्यों के लिए दे दिया जायेगा ।

श्री तिरुमल राव : मंत्री महोदय ने बताया है कि बड़ी परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ रुपये नियत किए गये हैं । क्या वे योजना का पूरा-पूरा स्पष्टीकरण देंगे और यह भी बताएंगे कि क्या इस में नागार्जुनासागर को भी लिया गया है . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । यहां राजस्थान नहर के बारे मे चर्चा हो रही है न कि नागार्जुनासागर के बारे मे ।

श्री तिरुमल राव : महोदय, मैंने स्पष्टीकरण चाहा है, वह उसका उत्तर दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आंकड़ों का ब्योरा भिन्न विषय है, असली बात यह है कि जैसे ही वे नागार्जुनासागर की बात छेड़ेंगे वैसे ही भारत की सारी परियोजनाएं एक-एक कर आने लगेंगी . . . .

श्री तिरुमल राव : तब मैं नागार्जुनासागर वाली बात को वापस लेता हूं । वे मेरे प्रश्न के पूर्वभाग का उत्तर दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

Shri Onkar Lal Berwa: Last year Rs. 7 crores were allotted to this Project out of which half the amount was to be spent by the Central Government and half by the State Government. But instead of Rs. 7 crores only Rs. 3 crores was spent. I would like to know why Rs. 4 crores remained unspent? This is a national problem and is not only confined to Rajasthan. State Government cannot execute this project alone. Why the Central Government want to leave this project over the State Government? Why the Central Government do not take his projec in its own hand?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि गत वर्ष केन्द्र ने इस परियोजना के लिए 7 करोड़ रुपये नियत किए थे लेकिन इतना रुपया खर्च न हो सका क्योंकि यह राज्य योजना की ओर से होना था और राज्य ऐसा करने में असमर्थ रहा, लेकिन इस वर्ष राज्य सरकार अपने बजट से केवल 2.25 करोड़ रुपये खर्च करेगी और अतिरिक्त राशि ऋण के रूप में सहायतार्थ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य योजना के अलावा दी जायेगी ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : कुछ राष्ट्रीय परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए 25 करोड़ रुपये दिए गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि राज्य योजनाओं के बाहर से जो राशि खर्च की जा रही है उससे इन योजनाओं के पूरा होने के परिणामस्वरूप क्या खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा इन राष्ट्रीय परियोजनाओं को दी गयी अतिरिक्त सहायता के फलस्वरूप कितनी अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की

आ सकेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन पांच परियोजनाओं के पूरा-होने पर कितने अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन होगा ?

डा० कु० ल० राव : यह आशा है कि इन परियोजनाओं पर, जिनका पर्याप्त निर्माण कार्य हो चुका है तथा जिनमें तुरन्त परिणाम देने की क्षमता है 25 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। हमें आशा है कि कम से कम 10 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई हो सकेगी।

श्री गिरिराज शरण सिंह : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में पोंग बांध (पोंगडैम) का उल्लेख किया। मंत्री महोदय क्या यह आश्वासन दे सकते हैं पोंग बांध, जो कि राजस्थान नहर को पानी देने के लिए बनाया जा रहा है, के पूर्ण होने पर राजस्थान नहर तथा उसकी शाखा नहरों की खुदाई हो जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान नहर पोंग बांध की सहायता के बिना लगभग 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकेगी, पोंग बांध के निर्मित हो जाने पर राजस्थान नहर 3 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की और सिंचाई कर सकेगी। सरकार पोंग बांध के महत्त्व से अवगत है और जहां तक सम्भव होगा इसे शीघ्र पूर्ण करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : देश में खाद्यान्न की कमी को देखते हुए हमें राजस्थान नहर तथा नर्मदा नहर जैसी परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य करना होगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में खाद्यान्न उत्पादन के कार्यक्रम को तेज गति देने के लिए तथा खाद्यान्न के आयात में कमी करने के लिए क्या सरकार अधिक निधि प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक या अन्य स्रोतों से सम्पर्क स्थापित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न वित्त मंत्री महोदय को संबोधित होना चाहिए।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह नहर परियोजना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है किन्तु सरकार ने इसकी कार्यान्विति को राज्य सरकार पर छोड़ने की बजाय स्वयं इस परियोजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए जबकि यह कार्य राज्य सरकार की सामर्थ्य के बाहर है।

डा० कु० ल० राव : मैं पहले भी बता चुका हूं कि केन्द्र सरकार केवल वित्त के मामले में सहायता कर सकती है। सभा इस बात से अवगत है कि इस वर्ष उप-प्रधान मंत्री महोदय ने बड़ी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि नियत की है इसलिए इस परियोजना के लिए सरकार कुछ अतिरिक्त निधि दे सकेगी।

Shri Prem Chand Verma: Hon. Minister has just stated about the Pong Dam. May I know whether this Pong Dam will not be delayed because no arrangement has been made to settle the people living there at present and they also do not want to leave that place? It has created some conflict there. Will the Minister be pleased to state whether Pong Dam will be completed in time, if not, what time it will require for completion?

श्री कु० ल० राव : बेदखलों को बसाने की समस्या के कारण पोंग बांध के कार्य में देरी नहीं होगी। इससे सम्बन्धित बड़ी-2 समस्याओं के समाधान के लिए हर प्रकार की सावधानियां बरती गयी हैं। अब तो केवल बेदखलों को बसाने तथा राजस्थान नहर के निर्माण के उपायों को कार्यान्वित करने का प्रश्न है, यह आशा की जाती है कि पोंग बांध 1973-74 तक पूर्ण हो जायेगा।

Shri Maharaj Singh Bharati: Mr. Speaker, the main canal never do irrigation work but the subsidiaries irrigate, Hon. Minister has stated that the construction work on the main canal has been stopped because the subsidiaries are being constructed in the areas where the main canal has already been dug. I would like to know whether it was in the original plan to dig out the main canal first and then bring out subsidiaries. Or whether it was settled to construct the main canal up to a particular point and then take up the construction work of subsidiaries. So far as I know subsidiaries and main canal go side by side. May I know whether the subsidiaries which are being constructed are the part of the old plan and whether the construction work on the main canal has been stopped on account of shortage of the foreign exchange or the funds in Indian currency?

डा० कु० ल० राव : ऐसी ही योजना अच्छी होती है जिसमें मुख्य नहर और शाखाओं का कार्य साथ साथ चले क्योंकि जिस पानी हम का उपयोग करेंगे उसे इन शाखा नहरों के द्वारा भेजा जा सकेगा, राजस्थान नहर के विषय में यह विवाद था कि इसे 120 वें मील तक ले जाया जाए लेकिन अब इसे 70 वें मील तक सीमित किया जा रहा है क्योंकि 70 वें मील के बाद का क्षेत्र केवल एक लाख एकड़ है और इसे बाद में लिया जायगा जबकि नहर 70 वें मील तक बन जायेगी।

Shri Bal Raj Madhok: Mr. Speaker, Rajasthan Canal is important from the economic as well as strategic point of view because it goes along the whole border and will serve our purpose from defence point of view. Keeping its this importance in view and the increase in production after its completion and thereby resulting in a decrease in the imports. May I know whether the defence expenditure will be diverted towards this for its early completion? My second question is that whether there is any plan to extend this canal up to Kutch?

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि राजस्थान नहर सामिरक दृष्टि से भी महत्व रखती है, हम इस बात से अवगत है, आशा है कि पहले तो यह नहर 1970–71 में पूरी हो जायेगी लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा इसमें एक वर्ष और लग सकता है, इसलिए यह 1971–72 तक पूरी होगी।

जहां तक कच्छ सीमा का सम्बन्ध है नहर में इतना पानी नहीं है कि उतनी दूर तक ले जाया जा सके और मूल परियोजना में ऐसा उपबन्ध भी नहीं है ।

श्री रंगा : अभी हाल में कच्छ के दौरे की अवधि में कच्छ के महाराव से सम्बन्धित लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि कभी एक बार चर्चा हुई थी कि यह जल उस क्षेत्र तक ले जाया जायेगा और हमें भी यह अधिकार था कि उस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिए कच्छ की खाड़ी तक जल का सम्भरण किया जाय । क्या मेरे माननीय मित्र चर्चा के उन पिछले अभिलेखों को देखने का कष्ट करेंगे ? क्या राजस्थान नहर के विकास के लिए योजना में फर बदल के लिए वे अभिलेख पर्याप्त होगें जिस से कि उसे जल का एक भाग कच्छ तक ले जाया जा सके और खाड़ी के कुछ भाग की सिचाई हो सके ?

डा० कु० ल० राव : यह सत्य है कि पहले यह विचार था कि इस जल को कच्छ की खाड़ी तक ले जाने की सम्भावना थी लेकिन ब्यौरे वार चर्चा के दौरान यह विदित हुआ कि उन ऊंचाइयों पर पर्याप्त क्षेत्र है और यह पानी इतना पर्याप्त नहीं है कि 290 वें मील से आगे जा सके ।

जहां तक कच्छ का संबंध है हमारे पास वैकल्पिक योजनाएं हैं जिनके द्वारा कच्छ क्षेत्र में पानी ले जाना सम्भव हो सकेगा।

Shri Randhir Singh: Mr. Speaker, Rajasthan Canal is a thing of proud for Indian farmers. I congratulate Congress Government for building such a huge Canal but simultaneously I have some complaints also and I want to ask questions as well that whether there is majority of the Canal employees namely, from Chief Engineer down to Beldar and Patwari who are engaged in the allotment of the land in their own names? The poor farmers are being exploited. May I know whether any ban is being imposed over the non-agriculturist and whether any efforts are being made to allot maximum land possible in that area to the ex-service men of military?

डा० कु० ल० राव : मुझे इन शिकायतों की जानकारी नहीं है, यदि माननीय सदस्य मुझे इसके बारे में लिखेंगे तो मैं पूछ ताछ करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरक के मूल्य

*539. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व के विभिन्न भागों में अति आधुनिक प्रकार उर्वरक के कारखानों के स्थापित हो जाने के कारण उर्वरक के मूल्य बहुत गिर गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में कितनी कमी हुई है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विशेषकर अमरीका, जापान इंग्लैण्ड और पाकिस्तान में प्रत्येक प्रकार के उर्वरक के यह कम हुए मूल्य भारत में प्रत्येक प्रकार के उर्वरक के वर्तमान मूल्य की तुलना में कितने हैं ; और

(ग) विश्व में उर्वरक मूल्यों में अत्यधिक कमी हो जाने के फलस्वरूप प्रत्येक प्रकार के उर्वरक के मूल्यों में कितनी कमी हुई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यद्यपि यह सच है, तथापि मूल्य की गिरावट के कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे आयातकर्ता देशों की समग्र मांग और निर्यातकर्ताओं के स्टाक की सूची की स्थिति।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिस में अमरीका, जापान और इंग्लैंड से उर्वरकों के आयात के लिए अदा किए गए मूल्य और भारत में चालू-पूल मूल्य देदिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 473/68]**। हमने पाकिस्तान से कभी भी उर्वरक का आयात नहीं किया है।

(ग) यद्यपि आयातित उर्वरकों के मूल्यों में गिरावट का रुख रहा है तो भी देशीय उर्वरकों की लागत में वृद्धि करके इसकी आंशिक पूर्ति कर दी गई है। इसलिए पूल-मूल्य में, जो देशीय

तथा आयातित उर्वरकों की लागत पर निर्भर करता है कोई परिवर्तन नहीं आया। आयातित उर्वरकों की अधिप्राप्ति के मूल्यों को कम कर देने का प्रभाव यह हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष में उर्वरक-पूल में जो 15 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि थी उसके अब इससे नीचे आ जाने की संभावना है ।

महामारी की रोक थाम के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

*659. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 तक राज्यों में महामारियों की रोक थाम का पूरा व्यय सरकार वहन करती थी ;

(ख) वर्ष 1967 से इस योजना के लिये सहायता की प्रणाली बदल दी गई है और तदनुसार सहायता की मात्रा घटा दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली के अन्तर्गत कितनी सहायता दी जाती है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने सहायता की मात्रा में कमी न किए जाने का अनुरोध किया है और इस योजना के लिये पहली प्रणाली के अनुसार सहायता देने की मांग की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). संचारी रोगों से सम्बन्धित कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता के पैटर्न का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 472/68]।

(घ) एक राज्य सरकार ने राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम के लिये सौ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था।

(ङ) संशोधित चौथी योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय इस विषय पर विचार किया जायेगा ।

रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट ऋण

*661. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित बैंकों द्वारा उपबन्ध की गई हुंडी बनाने की सुविधाओं को रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से ऋण ही माना जाता ; और

(ख) क्या काफी बड़ी प्रतिशतता में बैंकों ने स्पष्ट ऋणों की अपनी सीमा पूरी कर ली है और इस कारण लघु उद्योगों को बैंकों से ऋण प्राप्त करना कठिन हो गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) कुछ किस्मों के अप्रतिभूत अग्रिमों को जैसे निर्मीत प्रलेखी हुंडियों और अन्तर्देशीय प्रलेखी हुंडियों के, जिन की अवधि 90 दिन से अधिक न हो, आधार पर दिये गये अग्रिमों, विलम्बित अदायगी की शर्तों के जिन्हें खरीदार के बंक द्वारा

स्वीकार किया जा चुका हो, आधार पर सप्लाई की गयी मशीनों के लिए जारी की गयी हुंडियों के आधार पर दिये गये अग्रिमों और चैकों तथा खरीदी गयी दर्शनी हुंडियों को, अप्रतिभूत अग्रिमों के सम्बन्ध में किसी बैंक पर लागू होने वाली कसौटी के प्रयोजन के लिए अप्रतिभूत अग्रिम नहीं माना जाता ।

(ख) अनुसूचित बैंकों को इस बात की छूट है कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऐसे निरी हुंडी उधारों (क्लीन क्रेडिट) को, जिन की गारण्टी ऋण गारण्टी संगठन द्वारा गारण्टी योजना के अन्तर्गत दी गयी हो, इस कसौटी के प्रयोजन के लिए, कुल अप्रतिभूत अग्रिमों में शामिल न करें ।

नेफ्था

*665. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में नेफ्था की कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ख) क्या यह मात्रा नये उर्वरक कारखानों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पर्याप्त है ; और

(ग) नेफ्था का उत्पादन बढ़ाने के लिये किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ?

पट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 1967 में नेफ्था को शामिल करते हुए हल्के आपुतों का कुल उत्पादन लगभग 2·4 मिलयन मीटरी टन था ।

(ख) नेफ्था जो उर्वरकों के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, इस समय जरूरत से ज्यादा है । कच्चे माल के तौर पर नेफ्था पर आधारित अधिक उर्वरक परियोजनाओं की कार्यान्वित से आगामी 3–4 वर्षों में नेफ्था की कमी होने की सम्भावना है ।

(ग) निम्न समिश्रों से नेफ्था के उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है :—

(i) जहां सम्भव हो हल्के अशोधित तेलों का प्रयोग ;

(ii) शोधनशालाओं के उत्पादन-नमूने का संशोधन ताकि हल्के प्रभाजी की बड़ी मात्रा में प्राप्ति हो ; और

( ) चुनी हुई शोधनशालाओं में हाइड्रोकेंकिंग जैसी गौण प्रक्रिया का प्रयोग ।

मैसर्स साराभाई मर्कस का कारखाना

*668. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बड़ोदा स्थित मैसर्स साराभाई मर्कस का कारखाना बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कारखाने को विटामिन "सी" और सोरविटोल बनाने का भारत में एकाधिकार प्राप्त है ; और

(घ) क्या इस कम्पनी को अपने माल का बिक्री मूल्य बढ़ाने की अनुमति देने का सरकार का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स साराभाई मर्कस के अनुसार, ज्यादा आयात के कारण, स्टाक के संचय तथा असन्तोषजनक माल की खपत के कारण कारखाने को बन्द करना पड़ा।

(ग) जबकि इस समय केवल यह फर्म ही विटामिन "सी" और सोरविटोल के एकमात्र उत्पादक है, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, को भी विटामिन "सी" के उत्पादन के लिये लाइसेन्स दिया गया है।

(घ) विटामिन "सी" के विक्रय मूल्य को बढ़ाने के लिये पार्टी से, सरकार की स्वीकृति के लिए एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

विलिंग्डन अस्पताल कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

*669. **श्री द० रा० परमार :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री श्रीकान्तन नायर :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री किंकर सिंह :
श्री रा० की० अमीन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1967 में 'विलिंग्डन' अस्पताल कर्मचारी संघ (रजिस्टर्ड) ने प्रबन्धकों को हड़ताल का नोटिस दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हड़ताल रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): (क) जी हां।

(ख) यूनियन ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की गई हैं।

(ग) हड़ताल नहीं हुई। यूनियन बहुत कम कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

भारत पर विदेश का ऋण

*670. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत पर विदेशों के आज तक कितने ऋण हैं तथा ये ऋण कब देय हो जायेंगे;

(ख) ये विदेशी ऋण जब देय हो जायेंगे तब इनका भुगतान किन साधनों से तथा किस प्रकार किया जायेगा; और

(ग) खाद्यान्नों के आयात के कारण यह ऋण ग्रस्तता प्रत्यक्षतः कितनी है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पहली जनवरी, 1968 को, भारत सरकार के विदेशी ऋणों के दायित्वों में से 3353 करोड़ रुपये की वापसी विदेशी मुद्रा के रूप में, 464 करोड़ रुपये की अदायगी माल के निर्यात द्वारा और 1295 करोड़ रुपये की अदायगी ऐसे रुपयों के रूप में की जानी है जो न तो सीधे और न निर्यात के द्वारा रूपान्तरित किये जाते हैं।

देन ारियां, विभिन्न ऋणों के साथ जुड़ी शर्तों और निर्बन्धों के अनुसार, 50 वर्ष तक की अवधियों में उपयुक्त किस्तों में चुकायी जाएंगी।

(ख) पहली श्रेणी के सम्बन्ध में ऋणों की वापसियां, निर्यात से होने वाली आय और विदेशी-मुद्रा की अन्य प्राप्तियों से, दूसरी श्रेणी के सम्बन्ध में माल के निर्यात द्वारा और अंतिम श्रेणी के सम्बन्ध में सरकार के रुपया-साधनों से की जाती हैं। ये अदायगियां, उपलब्ध साधनों पर हमेशा प्रथम प्रभार होती हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा के रूप में वापस किये जाने वाले ऋणों से 171 करोड़ रुपये के अन्न का आयात किया गया।

सम्पत्ति-कर निर्धारण हेतु बम्बई के श्री आर० के० रुइया द्वारा जवाहरात का प्रकटीकरण

*671. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के श्री आर० के० रुइया ने सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु जवाहरात के मूल्य के बारे में गलत विवरण दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) प्रकट नहीं की गयी सम्पत्तियों को कर-निर्धारण में लेने के लिये 1957-58 से 1962-63 तक के कर निर्धारण वर्षों के कर निर्धारण की कार्यवाही पुनः आरम्भ कर दी गयी है। प्रकट नहीं की गयी सम्पत्तियां कर-निर्धारण में शामिल की जायेंगी और कानून के अन्तर्गत दंड लगाने की कार्यवाही भी की जायगी।

बैंकिंग उद्योग द्वारा निर्यात ऋण

*672. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात ऋण वित्त सम्बन्धी अध्ययन दल ने दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली को बैंकिंग उद्योग द्वारा दिये गये निर्यात ऋण पर भी लागू करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख) कार्यकारी दल ने यह सिफारिश दी थी कि वाणिज्यिक बैंकों को अपने निर्यात-ऋण के कारबार के सम्बन्ध में अधिकतम दर निर्धारित करने और इस प्रकार होने वाले घाटे को देश के अन्दर दिये जाने वाले ऋण पर कुछ अधिक दर से ब्याज लेकर पूरा करने की बाबत विचार करना चाहिए।

(ग) हाल में, रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के निर्यात-ऋणों के लिए समय-समय पर अधिकतम दरें निर्धारित करता रहा है। मौजूदा अधिकतम दर, जो 2 मार्च, 1968 के बाद से प्रभावी हुई है। समस्त निर्यात-ऋणों के लिए 6 प्रतिशत है। चूंकि निर्यात का क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है इसलिए बैंकों द्वारा दिये गये निर्यात ऋणों के सम्बन्ध में सरकार उपयुक्त राजसहायता देकर कुछ सीमा तक उनके घाटे की पूर्ति करना चाहती है और इस बारे में रिजर्व बैंक द्वारा एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

Removal of Restrictions on Advances by Banks against Raw Cotton and Cotton

*673. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the banks are advancing less amount for the purchase of raw cotton and a reduction has been effected in the raw cotton quota to be given to the cotton textile mills;

(b) whether as a consequence of this, the prices of raw cotton are falling during the raw cotton season;

(c) whether a demand has been made for the removal of the heavy restrictions on the advances by Banks against raw cotton and cotton; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) The Reserve Bank has fixed certain margin and ceiling restrictions in respect of advances against cotton and kapas. The Indian Cotton Mills' Federation has put a voluntary restraint on the purchase of cotton by their mills at levels lower than permitted by Government.

(b) While there has been some fall in prices of raw cotton, they are still ruling higher than the last year ceiling prices.

(c) Certain representations have been received in this regard.

(d) The Reserve Bank has been scrutinising the credit limits for cotton and kapas sanctioned by the commercial banks to traders to assess the extent to which these limits have been exhausted in the areas covered by the cotton markets. By and large, the existing limits have been found to be adequate to meet the current demand. Additional limits have, however, been sanctioned wherever the banks have already exhausted or are about to exhaust their limits and where traders are likely to face genuine difficulties in meeting their commitments to growers. As regards the mills, the Reserve Bank is also granting additional limits to banks to take care of their genuine credit needs. These measures are considered to be adequate to meet the requirements of the present situation and no general liberalisation of the Reserve Bank's directive appears to be necessary at present. The position is, however, being watched by the Reserve Bank and by Government and appropriate steps will be taken as may be considered necessary from time to time.

वृद्ध अवस्था पेंशन

*674. श्री जगेश्वर यादव :
श्री ओंकार लाल बोहरा :
डा० रानेन सेन :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निराश्रित व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी।

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

परिचालित मुद्रा

*675. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने मूल्य की मुद्रा परिचालित है;

(ख) 1967 में यह बढ़ी अथवा घटी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1966-67 का वर्ष वह अन्तिम वर्ष है, जिस के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय के आंकड़े उपलब्ध हैं, और उस वर्ष मुद्रा-परिचालन की आय सम्बन्धी गति (इंनकम वेलासिटी अर्थात् प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय और औसत मुद्रा उपलब्धि के बीच का सम्बन्ध) 5·21 निकलती है ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चिकित्सा शिक्षा को नया रूप देना

*676. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा शिक्षा को अर्ध-नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये उसे नया रूप देने की वांछनीयता पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) से (ग) देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद् के चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों का निर्धारण कर दिया है । उपस्नातक चिकित्सा पाठ्यचर्या में सामाजिक एवं निरोधी उपचार तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर अधिक बल दिया गया है । इस पाठ्यचर्या के अनुसार 12 महीने की अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप करनी होती है जिसमें चिकित्सा, सर्जरी, जन स्वास्थ्य और प्रसूती व स्त्री-रोग प्रत्येक का तीन-तीन महीने का प्रशिक्षण सम्मिलित हैं । 12 महीने के प्रशिक्षण में से इस समय 3 महीने ग्रामीण क्षेत्रों में बिताने पड़ते हैं ।

मेडिकल कालेजों के डीनों और प्रिंसिपलों के अगस्त 1967 में हुये सम्मेलन में भी चिकित्सा शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव दिये गये :—

1. प्रत्येक मेडिकल कालेज को चाहिये कि वह हर डाक्टर के लिए चाहे वह वरिष्ठ हो अथवा कनिष्ठ एक बार कम से कम तीन महीने की अवधि तक किसी ग्रामीण केन्द्र में

काम करने का एक नियमित कार्यक्रम तैयार करे ताकि नये डाक्टर उनका अनुकरण कर सकें।

2. इन्टर्नशिप कार्यक्रम में किसी ग्रामीण केन्द्र में एक वर्ष तक प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन का काम करना अनिवार्य कर दिया जाय। यदि आवश्यक हो तो इन्टर्नशिप की कुल अवधि साल या छः महीने और बढ़ा दी जा सकती है।

3. किसी भी स्नातक को तब तक स्नातकोत्तर कोर्स अथवा किसी विदेशी कोर्स के लिये न लिया जाये जब तक वह कम से कम 2 वर्ष किसी ग्रामीण केन्द्र में काम न कर ले। इन दो वर्षों में एक वर्ष उसे परिवार नियोजन तथा प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य का काम करना चाहिए।

सरकार, राज्य सरकारों तथा विश्व विद्यालयों से परामर्श लेते हुये इन सुझावों पर विचार कर रही है।

तेल के लिये कच्छ रन में के सर्वेक्षण

*677. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ के रन में देश के लिए भूकम्पीय, भूतत्वीय, प्रस्तार विज्ञान संबंधी तथा अन्य सर्वेक्षण किये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो समुद्री चट्टानों में किस हद तक तेल होने का पता लगा था ; और

(ग) खोजे गये तेल वाले इस क्षेत्र में से कितना क्षेत्र न्यायाधिकरण के पंचाट के अधीन पाकिस्तान को चला गया है।

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) रन की अगम्यता के कारण क्षेत्र में बहुत थोड़ा सर्वेक्षण कार्य किया गया है। रन में समुद्री चट्टानों में तेल का कोई चिह्न नहीं पाया गया।

(ग) छड़बेट के निकट के थोड़े से भाग के सिवाय, जहाँ गुरुत्व तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण किये गये हैं, न्यायाधिकरण द्वारा पाकिस्तान को दिये गये क्षेत्र में तेल को खोज करने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किये गये।

राज्यों द्वारा नियत राशि से अधिक राशि भारत के रिजर्व बैंक से निकाला जाना

*678. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ है कि राज्य उनके लिए नियत राशि से अधिक राशि भारत के रिजर्व बैंक से निकाल लेते हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान की सरकारों द्वारा पिछले वर्ष के अन्त तक अपनी जमा रकमों

से अनधिकृत रूप से अधिक निकाली गयी रकमें केन्द्र द्वारा 31 मार्च 1967 तक 55 करोड़ रुपये की और चालू वर्ष में 58 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दिये जाने के परिणाम-स्वरूप चुका दी गयी थीं। लेकिन आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी के इन राज्यों ने 11 मार्च, 1968 तक अपनी जमा रकमों से अधिक 7382 करोड़ रुपये की रकम फिर निकाली।

(ख) राज्य सरकारों को यह बात आग्रहपूर्वक बतायी गयी है कि वे रिजर्व बैंक से अपनी जमा रकमों से ज्यादा रकमें न लिया करें। इस संबंध में बजट-भाषण के पैराग्राफ संख्या 19 की ओर ध्यान दिलाया जाता है। राज्यों द्वारा जमा रकमों से अनधिकृत रूप से अधिक रकमें निकाली जाने की समस्या और इस तरह अधिक रकमें निकालने से बचने के लिए अपनायी जाने वाली प्रणाली को भी पाँचवें वित्त आयोग के विचाराधीन विषयों में शामिल कर लिया गया है।

ब्रह्मपुत्र तथा गंगा को मिलाने वाली नौगम्य नहर का निर्माण

***679 श्री बें० कृ० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी को मिलाने वाली एक नौगम्य नहर जो आसाम, उत्तरी बंगाल और बिहार से होकर जायेगी, के निर्माण का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) क्या उसके लिये बहुत सी भूमि का अर्जन भी किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण पर रोक

***680 श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधीन सब वर्गों के पदों के वेतनमानों को बढ़ाने पर 30 जून, 1968 तक रोक लगा रखी है।

(ख) यदि हाँ, तो आपात की स्थिति समाप्त हो जाने के पश्चात् भी इस रोक को जारी रखने का क्या औचित्य है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा निर्णय किया है, जैसा कि समाचार 20 अगस्त, 1966 के दैनिक समाचार पत्र 'इन्डियन एक्सप्रेस' में छपा है कि तुलनात्मक मजूरी अथवा वेतनों की विषमता को दूर करने के लिये किया जाने वाला वेतन मान का संशोधन इस रोक के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) जी, हाँ।

(ख) रोक किफायत के रूप में लगाई गयी है और संकटकालीन स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं है।

(ग) और (घ) 20 अगस्त, 1966 के इण्डियन एक्सप्रैस में छपी खबर प्रत्यक्ष रूप से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा मसौदे के अध्याय 4 के पैराग्राफ 14 पर आधारित है। उसमें कहा गया है कि सम्भावी मजदूरियों अथवा तनख्वाहों में जो स्पष्ट असंगतियाँ हों उनको न्याय की दृष्टि से दुरुस्त करने के लिए जो व्यवस्था करना जरूरी हो, वैसे परिवर्तन करने के अलावा, मजदूरी अथवा तनख्वाह के सम्पूर्ण ढांचे में कोई सामान्य वृद्धि करने से मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ेगा और विकास के लिए उपलब्ध साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की राष्ट्रीय विकास परिषद् की 20 तथा 21 अगस्त 1966 को हुई बैठक में चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा का मसौदा केवल सामान्य रूप से ही अनुमोदित किया गया था।

समभावी मजदूरियों अथवा तनख्वाहों में असंगतियों को दुरुस्त करने की व्यवस्था उन आदेशों की परिधि के बाहर नहीं हैं जो सरकार ने किसी भी स्तर पर वेतन के ढांचे में संशोधन करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए जारी किये हैं, क्योंकि पहले से वर्तमान असंगतियों को दुरुस्त करने में आम तौर पर वेतन क्रम को बढ़ाने की बात निहित रहती है, और प्रतिबन्ध का प्रयोजन ही है ऐसी बढ़ोतरी को रोकना।

गुजरात में गैस ग्रिड

*681 **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड बनाने की योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस का ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा और इससे क्या-क्या लाभ होने की संभावनाएं हैं?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Evasion of Excise Duty by Birla Group of Industries..

682. Shri Nihal Singh: Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 784 on the 16th November, 1967 and state:

(a) whether the inquiry into the evasion of excise duty by the Birla Group of Industries situated in Maharashtra and Gujarat has since been completed;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of years for which the evaded excise duty was outstanding; and

(d) whether Government propose to recover the outstanding amount with interest?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) Investigation in respect of nine concerns out of the 11 belonging to Birla Group in Maharashtra and Gujarat, which were mentioned in reply to Unstarred Question No. 784 on the 16th November, 1967 has since been complated.

(b) Enquiries made so far have not revealed any serious irregularity involving loss of revenue.

(c) and (d) Do not arise. It may however, he stated that under the Central Excise law, as it is, there is no provision for recovery of interest on outstanding amount of duty, even if there is any.

केरल में विकास कार्य

*683. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार चावल और गेहूं पर दी जाने वाली राज सहायता हटा लिये जाने तथा राज्य के कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर मंहगाई भत्ता मंजूर किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार पर पड़े अतिरिक्त वित्तीय बोझ को वहन करने के लिये सहमत नहीं हुई, तो राज्य सरकार को राज्य में विकास कार्यों को बन्द करना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) भारत सरकार का ध्यान, केरल के मुख्य मंत्री के, समाचार-पत्रों में प्रकाशित एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार ने, राज्य सरकार द्वारा खाद्य संबंधी राजसहायता पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति न की तो राज्य में विकास-कार्यक्रमों को बन्द करना पड़ेगा।

(ख) भारत सरकार, राज्य सरकार पर लगातार इस बात के लिए जोर देती रही है कि वे अपने आयोजना-व्यय और गैर-आयोजना व्यय दोनों प्रकार के व्यय को स्पष्टतः उपलब्ध साधनों तक सीमित रखें। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य सरकारों द्वारा महंगाई भत्ते की वृद्धि या खाद्य संबंधी राजसहायता पर किये जाने वाले खर्च के संबंध में कोई सहायता नहीं दे सकेगी।

उर्वरक कारखाना बरौनी के लिये भूमि

*684. **श्री भगवान दास :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री नम्बियार :**
श्री रामावतार शर्मा : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम तथा बिहार सरकार के बीच उर्वरक कारखाना, बरौनी की स्थापना के लिए भूमि पर कब्जा करने के बारे में विवाद है;

856 (Ai) LSD—3.

(ख) यदि हां, तो विवाद की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विवाद को निपटाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

आय करदाताओं को परेशानी

*685. **श्री यशवन्त शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने समस्त आयकर अधिकारियों को एक विभागीय परिपत्र जारी किया है जिस में यह कहा गया है कि स्वेच्छा से बताई गई राशियों पर जो आय-कर के विभिन्न आयोगों द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत दी गई कर की छूट केवल स्वयं घोषित करने वाले करदाताओं के लिये है और यह छूट उस समय समाप्त हो जाती है जब कि यह स्वीकृत धनराशियों घोषणा करने वाले करदाताओं के अपने व्यापारों अथवा कार्यों के अलावा कहीं और दे दी जाती हैं अथवा लगा दी जाती हैं।

(ख) क्या उपरोक्त परिपत्र के अनुसरण में मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर और हरियाणा में आयकर अधिकारी भारी जुर्माना लगा रहे हैं और करदाताओं से असंगत प्रश्न कर रहे हैं और इस प्रकार से जनता को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1965 की धारा 24 के विस्तार क्षेत्र को स्पष्ट करने के अनुदेश जारी किये हैं। छूट तब मिल सकती है जब रकम वस्तुतः ऐसे व्यक्तियों द्वारा लगाई गई हो अथवा उधार दी गई हो जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत घोषणाएं की हों।

(ख) जी, नहीं। जिन मामलों में यह प्रमाणित हो जाय, कि अमुक रकम विशेष घोषणाकर्त्ता से भिन्न व्यक्ति की आय है और उसने अपनी आयकर विवरणी में उसे प्रकट नहीं किया है, तो उन मामलो में कानून के अनुसार दण्ड लगाया जाता है। घोषणा करने वाले व्यक्तियों का कर निर्धारण करते समय कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते ; यदि घोषणा कर्त्ता से भिन्न व्यक्ति के मामले में पूछताछ की जाती है तो वह कोई परेशानी की बात नहीं है।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

रेलवे पासों तथा पी० टी० ओ० पर आय-कर

*686. **श्री लोबो प्रभु** :
श्री गार्डिलिंगन गौड़ :
श्री शिवप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे पासों तथा पी० टी० ओ० पर आय-कर नहीं लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ?

(ख) कारण ये हैं :—

(i) स्वयं आयकर अधिनियम में यह व्यवस्था है कि 18,000 रुपये प्रतिवर्ष तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में, रुपये से भिन्न रूप में प्राप्त लाभों के रुपयों के रूप में मूल्य को, कर निर्धारण के लिए, वेतन की रकम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) 18,000 रुपये से अधिक वार्षिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में भी कर्मचारियों को पास तथा पी० टी० ग्रो० के रुपये के रूप में मूल्य पर नहीं, वरन् यात्राओं पर जो खर्चा नियोजक की ओर से वास्तव में किया जाता है उस पर कर लगता है, विचार करने पर पाया गया कि उक्त प्रकार की रियायत की लागत का निर्धारण करना बहुत कठिन होगा ; और इस रियायत की अनुमति लागत के बदले आमदनी में इकट्ठी रकम जोड़ देने पर भी सरकार को मिलने वाला अतिरिक्त राजस्व थोड़ा सा ही होगा।

स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन के विरुद्ध आरोप

*687. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या वित्त मंत्री स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन के विरुद्ध आरोपों के बारे में 13 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5629 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुल्लाजी तथा उनके परिवार के सदस्यों की कर की बकाया राशि के बारे में जांच अब पूरी हो गई है।

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) यदि नहीं, तो जांच करने में इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके कब तक पूरी होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) जांच पड़ताल से किसी आमदनी अथवा धन के छिपाये जाने का पता नहीं चला है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों द्वारा देय बकाया ऋण

4089. **श्री किर्वतिनन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को इस समय केन्द्रीय सरकार को ऋणों की कितनी कितनी राशि देनी बाकी है ; और

(ख) किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत ये ऋण दिये गये थे और किन-किन तारीखों को लौटाये जाने थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एक विवरण साथ लगा है, जिसमें 31 मार्च, 1967 को राज्य सरकारों के नाम बकाया ऋणों का स्थूल मदों के अनुसार ब्योरा दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 474/68]

ऋणों की संख्या 10,000 से भी काफी अधिक है और उनकी पकने की अवधि 1 वर्ष से कम से लेकर 40 वर्ष तक है। साथ ही, ऋण लगातार मंजूर किये जा रहे हैं, इसलिए बकाया ऋणों की वापसी की तारीखें बताना कठिन है।

मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन एण्ड मैसर्स मकेंजीज लिमिटेड

4090. **श्री सूरज भान** : क्या वित्त मंत्री 30 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2416 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स मैकेंजीज लिमिटेड के सौदों के बारे में जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

M/s Oriental Timber Trading Corporation

4091. Shri Suraj Bhan: Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2417 and state:

(a) whether the investigations into the tax evasion by M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. have since been completed;

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अस्पृश्यता

4092. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मन्दिरों के नाम क्या हैं तथा उनकी राज्यवार संख्या कितनी कितनी है जिनमें, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनने के पश्चात, हरिजनों को जाने की अनुमति दी गई ;

(ख) गर्भगृह समेत अन्य मन्दिरों में वास्तव में कितने हरिजनों को जाने की अनुमति दी गई ;

(ग) गत तीन वर्षों में राज्यवार ऐसी कितनी घटनायें हुई जिनमें पुजारियों ने हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश करने से रोका तथा ये घटनायें किन किन मन्दिरों में हुईं और वे कहां कहां पर स्थित हैं तथा ऐसी घटनाएं होने के क्या कारण थे ; और

(घ) उपर्युक्त घटनाओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) संविधान के अनुच्छेद 17 तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अनुसार एक ही धर्म को मानने

वाले तथा एक ही धार्मिक वर्ग से संबंधित लोगों के लिए सार्वजनिक उपासना के सभी स्थानों खुले हैं। इसलिए सरकारी तौर पर मन्दिरों में जाने की अनुमति दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

(ख) मन्दिरों अथवा सार्वजनिक उपासना के अन्य स्थानों में जाने वाले लोगों के लिए सामान्यतया कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता है और न ही रखा जाना अपेक्षित है।

(ग) और (घ). सामान्यतया एकत्रित किए गए आंकड़े अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन लिए गए मामलों से संबंधित हैं। ऐसे मामलों का एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 475/68]

पाइराइटस् एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया

4093. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाइराइट्स एण्ड कैमिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया कब स्थापित हुआ था तथा उसमें अब तक कितनी पूंजी लगाई जा चुकी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में किन-किन अधिकारियों ने विदेश यात्रा की तथा किस-किस तारीख को की तथा प्रत्येक पर कितनी भारतीय मुद्रा और कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ;

(ग) गत दस वर्षों में इस कारपोरेशन को चलाने पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय हुआ तथा इस कारपोरेशन द्वारा किये गये काम का सही-सही ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या गत दस वर्षों में इस कारपोरेशन द्वारा किये गये अनुसंधान-कार्य के परिणामस्वरूप सल्फर की सप्लाई बढ़ गई है और यदि हां, तो कितनी ?

पैट्रोयिम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 22 मार्च, 1960 को पाइराइट्स एण्ड कैमीकल डिवेल्पमेंट कम्पनी लि० की नेशनल इण्डस्ट्रियल डिवैलपमेंट कारपोरेशन की एक सहायक संस्था के रूप में स्थापना हुई। यह 16 सितम्बर 1963 को स्वतन्त्र निकाय मानी गई।

सरकार द्वारा इस कम्पनी में अब तक (29-2-1968 तक) लगाई पूंजी 459.50 लाख है।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1965-67 में कम्पनी के अफसरों द्वारा की गई विदेश यात्रा का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

अफसर का नाम	अवधि	खर्चा	
		भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा
		रु० पसे	रु० पैसे
1. श्री एम० एम० उप्पल, वर्कस मैनेजर .	10-4-1965 से 18-5-1965	6225.83	2768.00
2. डा० जी० पी० काने . .	13 दिसम्बर, 1967	.	722.31

(ग) कम्पनी की स्थापना के समय से लेकर वार्षिक खर्च निम्न प्रकार है :—

1960-61	15.68	लाख रुपये
1961-62	8.58	लाख रुपये
1962-63	10.67	लाख रुपये
1963-64	13.55	लाख रुपये
1964-65	12.92	लाख रुपये
1965-66	38.00	लाख रुपये
1966-67	40.20	लाख रुपये
1967-68	315.00	लाख रुपये (अनुमानित)

कम्पनी इस समय निम्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है :—

(i) खनन योजना : अमझोर (बिहार) में प्रतिवर्ष 2.4 लाख मीटरी टन पाइराइट्स का उत्पादन ।

(ii) अमझोर पाइराईट्स पर आधारित सिन्दरी में एक सलफ्यूरिक अम्ल परियोजना की स्थापना । ये परियोजनाएं विकास की अन्तिम स्थिति में हैं और इनके सितम्बर, 1968 तक चालू होने की सम्भावना है। इन दो परियोजनाओं के अतिरिक्त प्रति वर्ष और एक मिलियन मीटरी टन पाइराइट्स के उत्पादन कार्यक्रम की कार्यान्विति को दृष्टि में रखते हुए कम्पनी ने अमझोर क्षेत्र में अतिरिक्त पाइराइट्स विस्तृत खोज की स्कीम को हाथ में लिया है । अन्वेषी कार्य प्रगति पर है ।

(घ) कम्पनी को स्थापित हुए लगभग 8 वर्ष हुए हैं पहले पहल व्यापारिक समुपयोजन के लिए काफी भण्डारों की स्थापना में पर्याप्त खोज कार्य करना है। देश में यह अपने किस्म की पहली परियोजना है । प्रारम्भिक स्थितियों में इसे बहुत कठिनाइयों का सामना करन पड़ा। इन कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया है और इस वर्ष सितम्बर तक व्यापारिक उत्पदन शुरू होने को आशा है । कोई तात्विक गन्धक उत्पादित नहीं किया जायेगा यद्यपि सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में गन्धक के स्थान पर पाइराइट्स का इस्तेमाल होगा ।

बम्बई में सीमा शुल्क (आसूचना दल) विभाग द्वारा छापा

4094. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई के मस्जिद और जावेरी बाजार क्षेत्रों में दिसम्बर, 1967 में सीमा शुल्क (आसूचना दल) विभाग ने किन व्यक्तियों, दुकानों और लाकरों पर छापा मार कर उनकी तलाशी ली और तस्करी की कौन-कौन-सी तथा कितने मूल्य की वस्तुओं को पकड़ा;

(ख) इन छापों में कितनी कलाई घड़ियां और कितनी नगदी और विदेशी मुद्रा पकड़ी गई, विशेषकर बम्बई के भूलेश्वर स्थित एक बैंक के लाकर से; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई, किन किन व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया और प्रत्येक से कितनी-कितनी राशि की जमानत ली गई?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना का विवरण पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 476/68)।**

(ग) मामलों की जांच-पड़ताल चल रही है। परमानन्द अमृतलाल दोशी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसे बाद में एक लाख रुपये की जमानत पर रिहा किया गया।

हौज खास (नई दिल्ली) में पूर्वनिर्मित फ्लैट

4095. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा नई दिल्ली में हौज खास में बनाये गये पूर्वनिर्मित फ्लैट 18 महीने से अधिक समय से खाली पड़े हैं ;

(ख) उन फ्लैटों को अब तक अलाट न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक अलाट किया जायेगा; और

(ग) क्या कोई योजना है कि और अधिक पूर्वनिर्मित मकान न बनायें जायें ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां। 16 पूर्वविरचित फ्लैट 20 अगस्त, 1965 को पूरे कर दिये गये थे जो पानी और बिजली उपलब्ध न होने के कारण खाली रहे। हाल ही में पानी और बिजली उपलब्ध हो जाने के कारण अब ये सब फ्लैट दे दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं।

अमरीकी सहायता

4096. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीका सरकार द्वारा निर्धनता निवारण कार्यक्रम के लिए निश्चित 1,773 मिलियन डालर में से इस वर्ष भारत को कितनी सहायता मिलने की आशा है ; और

(ख) यह सहायता किन परियोजनाओं तथा योजनाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार का "निर्धनता निवारण कार्यक्रम (वार आन पावर्टी प्रोग्राम)" पूर्णतः राज्य संयुक्त अमरीका के अन्दर चलाया जाने वाला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कम आमदनी वाले लोगों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, समाज-कल्याण आदि के अवसर बढ़ाना है, इसलिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को कोई धन-राशि मिलने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

गुजरात तेलशोधक कारखाना

4097. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री 19 फरवरी, 1068 के तारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा में सरकारी क्षेत्र में "ऐरोमेटिक' कारखाना तथा 'नेफ्था क्रेकर' परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ;

(ख) इनमें से प्रत्येक पर कितना खर्च आयेगा और कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ?

पट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) बड़ौदा के पास जाइलीन और डी० एम० टी० के निर्माण के लिए 'ऐरोमेटिक' सन्यन्त्र के 1971 में चालू होने की आशा है और उसी क्षेत्र में नेफ्था भंजक के 1972 में चालू होने की सम्भावना है।

(ख) ऐरोमेटिक परियोजना पर लगभग 21 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से विदेशी मुद्रा अंश 6 करोड़ रुपये होगी। नेफ्था सन्यन्त्र पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है; जिसमें से विदेशी मुद्रा अंश 6 करोड़ रुपया होगा।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अन्तर्गत छूट

4098. **श्री न० कु० सोंघी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अन्तर्गत छूट के लिये 1 अप्रैल, 1965 से 31 दिसम्बर, 1967 तक की अवधि में आय-कर आयुक्तों को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

(ख) इन में से कितने आवेदन-पत्र छः महीने से अधिक अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) इनको निपटाये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना आयकर आयुक्तों से मंगाई जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी।

क्विनीन और क्विनीन साल्टों के मूल्य

4099. **श्री महादेवप्पा रामपुर :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने क्विनीन और क्विनीन साल्टों के मूल्यों में कोई वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उनमें कब और कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) सरकार ने मूल्यों में वृद्धि की कब अनुमति दी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार की पहले मंजूरी लिए बिना पश्चिमी बंगाल और मद्रास सरकारों ने अपनी निर्मित क्विनीन उत्पादों के विक्रय मूल्यो को क्रमश: 17 जून, 1965 और पहली अप्रैल, 1965 से बढ़ा दिया। संलग्न विवरण पत्र में पहली अप्रैल, 1963 और इस समय के विक्रय मूल्य दर्शाये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 477/68]

(घ) उत्पादन के व्यय के ब्योरों को मंगवाया गया है और वे विचाराधीन हैं।

उड़ीसा में आदिम जातीय लोगों के लिये ऋण

4100. **श्री के० प्रधान** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उड़ीसा में आदिम जातीय लोगों को ऐसे साहूकारों के चुंगल से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है, जो अपने साहूकारी के धन्धे से आदिम जातीय लोगों की भू-सम्पत्ति छीन लेते हैं?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह] : राज्य सरकार ने हाल में (1) उड़ीसा (अनुसूचित क्षेत्र) ऋण राहत विनियमन, 1967 तथा (2) उड़ीसा (अनुसूचित क्षेत्र) साहूकार विनियमन, 1967 अपनाए हैं। इन विनियमनों से उड़ीसा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित आदिम जातियों को ऋणता से राहत दिलाई जाएगी तथा रुपया कर्ज देने के व्यापार पर नियन्त्रण तथा उसका नियमन किया जाएगा।

कोटा चम्बल परियोजना

4101. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने कोटा चम्बल परियोजना के लिये केन्द्र से नियत की गई राशि के अतिरिक्त और अधिक सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) चम्बल नियंत्रण बोर्ड ने इस परियोजना के लिये राज्य योजना में निर्धारित राशियों के अतिरिक्त और धन देने के प्रश्न पर हाल ही में विचार किया और यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग कार्यप्रगति का अवलोकन करके अतिरिक्त धन की आवश्यकताओं का आंकन करे।

कुष्ठ केन्द्र

4102. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्थानिक कुष्ठ क्षेत्रों के सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर गैर-सरकारी और सरकारी धन से भारत में इस समय कितने कुष्ठ केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) किन विदेशी चिकित्सा कर्मचारियों ने आदमियों और धन से इन केन्द्रों के सर्वेक्षण और स्थापना में सहायता की है ;

(ग) राज्य सरकारों ने किस प्रकार की और कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की है और आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं को कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में जहाँ कुष्ठ के रोगियों की बहुत अधिक संख्या है केन्द्र की पूर्ण सहायता से एक केन्द्र स्थापित करने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 478/68]

(ख) कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में निम्नलिखित विदेशी एजन्सियाँ भाग ले रही हैं तथा उनके द्वारा खोले गये केन्द्रों को अनेक मेडिकल अफसर और नर्सें चला रही हैं, भारत में उन्होंने लगभग कितनी रकम खर्च की यह उनके आगे दिया गया है ।

	एजेन्सी का नाम	राज्य	खर्च की गई रकम (लगभग) (रुपये लाखों में)
1.	डैनिश सेव दि चिल्ड्रेन आर्गेनाइज़ेशन	आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा	58.60
2.	स्वैडिश रेड क्रास लेप्रसी कम्पेन काटपडि	मद्रास	30.00
3.	वैल्जियन लेप्रसी सैंटर, पोलाम्बक्क	मद्रास	14.22
4.	जापान लैप्रसी मिशन फार एशिया	उत्तर प्रदेश	40.00
		योग	142.82

(ग) अपने अपने कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिए राज्य सरकारें 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। राज्यों को यह सहाय्यानुदान योजनावार नहीं अपितु विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए एक मुश्त दिया जाता है । कुष्ठ केन्द्रों पर राज्य सरकारों ने कितनी-कितनी सहायता का उपयोग किया है यह बतलाना सम्भव नहीं है । गत सात वर्षों में आन्ध्र प्रदेश के निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठनों को लगभग 3.95 लाख रुपये के अनुदान दिये गये हैं :—

		रुपये
1.	वी० वी० एस० दैवस्थानम्, चेन्दूर्ती . . .	82,009.00
2.	श्री गौतमी जीव कारुण्य, राजमुन्द्री . . .	94,653.00
3.	कुष्ठ व्याधि निवारण संघम, मुक्त्याला .	4,267.00
4.	विजयनगरम कुष्ठ गृह एवं अस्पताल, विजयनगरम . .	24,400.00
5.	कुष्ठ अन्वेषण एवं उपचार केन्द्र, जहीराबाद . . .	82,000.00
6.	पूर्वी गोदावरी जिला कुष्ठ सहायता संगठन, किरलामपुडी .	53,000.00
7.	प्रेम समाजम् कौडावरम, विशाखापतनम . . .	54,954.00
	योग . .	3,95,283.00

(घ) कुष्ठ नियंत्रण योजना केन्द्र सहायित स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है जिसके लिए राज्यों को 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा सकती है। इस राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा तेलंगाना जिले में कुल मिला कर कुष्ठ का प्रकोप कम है। किसी खास राज्य को सौ प्रतिशत अनुदान देना सम्भव नहीं होगा।

आन्ध्र प्रदेश की फाइलेरिया रोक-थाम योजना

4103. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई उस योजना पर जिस में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में फाइलेरिया की रोक-थाम के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी गई है कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या "लर्विसाइड्स" की मुफ्त सप्लाई के अतिरिक्त इस राज्य को कोई सहायता देने का सरकार का विचार है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी नहीं। भारत सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना में फाइलेरिया के नियंत्रण के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से अभी तक कोई योजना प्राप्त नहीं हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमिगत नालियों की सुविधायें

4104. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न राज्यों में भूमिगत नालियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सहायता किस आधार पर दी गई है;

(ख) क्या इस उददेश्य हेतु आँध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता माँगी है; और

(ग) यदि हाँ, तो अब तक कितनी धनराशि दी गई है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत मल निष्कासन योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत सहायता के रूप में दी जाती है। यदि मल का उपयोग कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए किया जाय तो सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि केन्द्र और राज्य बराबर वहन करेंगे।

(ख) और (ग). आन्ध्र प्रदेश सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए अभी कोई प्रार्थना नहीं मिली है।

निर्माण भवन, नई दिल्ली में खराब डोर शटर्स

4105. **श्री सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण भवन, नई दिल्ली में "डोर शटर्स' टेढ़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसका कारण घटिया किस्म के माल का प्रयोग है अथवा वास्तुकार ने इसी प्रकार के "डोर शटर्स" का डिजाइन निश्चित किया था;

(ग) यदि हाँ, तो वहाँ इस प्रकार के खराब "डोर शटर्स" लगे रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों पर कोई तकनीकी नियंत्रण है और यदि हाँ, तो किस प्रकार का?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित निर्माण-कार्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षण संगठन (चीफ टैक्नीकल एक्जामिनर्स आर्गेनाईज़ेशन) के बारम्बार तकनीकी परीक्षण के अध्यधीन रहते हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सलेक्शन ग्रेड सेक्शन अफसर

4106. **श्री सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सलैक्शन ग्रेड वाले सैक्शन अफसरों की नियुक्ति के बारे में क्या नियम बनाये गये हैं;

(ख) इन पदों पर नियुक्ति की, जिनकी दूसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की है, क्या शर्तें हैं और इस संवर्ग के लिये कितने पदों की सिफारिश की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि काम करने वाले वर्तमान सैक्शन अफसरों को पदोन्नत करने के लिये जितने पदों को बनाने की सिफारिश की गई थी, उतने पद नहीं बनाये गये हैं?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) नियमों में यह उपबंधित है कि सलेक्शन ग्रेड के अनुभाग अधिकारियों के लिए पदोन्नति उन अनुभाग अधिकारियों में से की जायेगी जिन्होंने कि उस ग्रेड में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

(ख) दूसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि अनुभाग अधिकारियों के दस प्रतिशत पद सलेक्शन ग्रेड में (335-15—485 रुपये) होने चाहिएं।

(ग) जी नहीं। स्थाई पदों का 10 प्रतिशत सलैक्शन ग्रेड में परिवर्तित किया जा चुका है।

Vietnamese Publications

4107. Shri Bhogendra Jha: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have banned such publications as 'Vietnam People on the path of freedom', 'Our Victory is Sure', 'Another Bitter and dry season for America', 'South Vietnam is bound to Win', 'The Way he lived' and other books on Vietnam; and

(b) the complete list of such books?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai): (a) Government have not issued any notification banning specifically the import of the publications referred to in the Question. However, if any such books fall within the purview of the prohibitory notifications issued in respect of books in general, entry is not allowed. Thus, the import of two publications, namely "A Bitter Dry Season for the Americans" and "The Way He Lived", out of those specifically listed in the Question, was not permitted as they attracted the provisions of notification No. 25-Cus. dated the 9th March, 1960.

(b) A list of the books on Vietnam, entry of which was not allowed by the Customs authorities, is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library, *See* No. LT—479|68.]

बकाया आयकर

5108. **श्री बणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तिम दिन को जिसके लिये कर की बकाया राशि निर्धारित की गई है, कर की कितनी राशि बकाया थी और वह कितने करदाताओं पर ये बकाया है ;

(ख) उसमें से कितनी राशि ऐसे करदाताओं से ली जानी है, जिन पर 10,000 रुपये से अधिक का कर बकाया है, और उनकी संख्या क्या है; और

(ग) ऐसे करदाताओं की संख्या क्या है जिन पर 10,000 रुपये से कम राशि बकाया है और उन पर कितनी राशि बकाया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31-3-1967 को बकाया कर की जो रकम 541.71 करोड़ रुपए थी, वह घटकर 31 जनवरी 1968 को 381 करोड़ रुपये रह गई। जिन कर-निर्धारितियों की तरफ यह रकम बकाया है उनकी संख्या के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

भारतीय तेल निगम बस्ती

4109. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के तेलशोधन विभाग द्वारा सैक्टर 2 में बस्ती के लिये स्थायी स्थान तैयार करने के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये थे और ासन ने 6,94,640 रुपये के न्यूनतम टेंडर को अस्वीकार कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेंडर दोबारा माँगे गये थे और एक अन्य ठेकेदार को यह काम 8,34,863 रुपये में सौंप दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो 1,45,000 रुपये का अतिरिक्त धन व्यय करने के लिये कौन जिम्मेदार था और यह अतिरिक्त राशि क्यों खर्च की गई थी; और

(घ) क्या कोई जांच की गई है और इस मूल के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

राजस्थान में उत्पादित अफीम

4110. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बहुत से क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो 1967-68 में राजस्थान से अफीम के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि जितने एकड़ भूमि में अफीम की खेती इस समय होती है वह दस वर्ष पहले की तुलना में बहुत कम है ;

(घ) यदि हां, तो उस समय कितनी भूमि में खेती होती थी तथा इस समय कितनी भूमि में होती है ; और

(ङ) अफीम की खेती की भूमि का क्षेत्र किन कारणों से कम किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राजस्थान के कोटा झालवार, चित्तोड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में अफीम पैदा की जाती है।

(ख) राजस्थान में पैदा की जानेवाली अफीम का अलग से परिशोधन तथा निर्यात नहीं किया जाता । अफीम के निर्यात से वित्तीय वर्ष 1967-68 (फरवरी के अन्त तक) कुल 328 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। राजस्थान राज्य में 1957–58 में 7173 हैक्टेयर भूमि में अफीम की खेती की गई थी, जबकि 1967–68 में 7655 हैक्टेयर भूमि में खेती की गई है।

(ङ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

Kalol-Koyali Oil Pipeline Project in Gujarat

4111. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Oil and Natural Gas Commission have asked a firm of Italy to prepare design of Kalol-Koyali pipeline in Gujarat;

(b) whether it is also a fact that the Sabramati and Kalol-Koyali pipelines are being coneeted; and

(c) if so, the estimated quantity of oil which would be pumped from Kalol-Koyali into Sabarmati through this pipeline every day and the expenditure which would be incurred on preparing the design of the pipeline?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah): (a) It is proposed to get the design of the Kalol-Nawagam-Koyali Pipeline prepared by an Italian firm.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Construction Work by National Projects Construction Corporation

4112. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Projects Construction Corporation declared a profit of Rs. 24 lakhs and 83 thousands for the year 1966-67;

(b) whether it is also a fact that the Corporation had undertaken worth Rs. 57 crores and has completed work worth Rs. 28 crores; and

(c) the important works completed by the Corporation this year and the works which are in progress?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The National Projects Construction Corporation earned a net profit of Rs. 24.83 lakhs for the year 1966-67 before providing for Development Rebate Reserve.

(b) The Corporation has, since its inception, undertaken works costing Rs. 59.4 crores and has completed work costing Rs. 27.7 crores.

(c) During 1967-68 the National Projects Construction Corporation completed civil works of the Third unit at the Thermal Power Station of the Damodar Valley Corporation at Durgapur costing Rs. 122 lakhs and the Wazirabad Regulator and slow sand filter at Delhi costing Rs. 27 lakhs. The

works which are being executed by the National Projects Construction Corporation are listed below:—

Sr. No.	Name of work	State in which situated	Cost in Rs. lakhs
1	Civil work at various place x	J & K	370
2	Farakka Barrage Regulator and 12 bays of Spillway	West Bengal	1200
3	Earthen Dam across the river Chandan	Bihar	360
4	A barrage with 36 bays on the river Gandak at Valmiki Nagar	Bihar	570
5	Civil works of the Nepal Power House on the Main Western Canal of Gandak Project	Bihar	68
6	Civil works of cement factory at Churk in Mirazpur district	U. P.	136
7	Masonary Dam across river Mulla in Ahmednagar District	Maharashtra	121
8	A dam with a power canal and power house on river Gumti	Tripura	120
9	Masonary Spillway of the Hidkal Dam	Mysore	228

Smuggled Goods Sold in Indian Market

4113. Shri Kanwar Lal Gupta: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a number of articles such as Japanese sarees, watches, fountain pens are smuggled into India and they are sold in open market;

(b) if so, the countries from which they are smuggled into our country and the manner in which they are smuggled;

(c) the preventive measures adopted by Government during the last one year; and

(d) the amount of goods seized and the number of persons arrested during the last one year?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Foreign goods, including Japanese sarees, watches, etc., some of which are smuggled into India and some are acquired from other sources, such as passengers baggage cleared on payment of the fine and duty, are sold in small quantities in some shops and by hawkers.

(b) These are mainly smuggled from Persian Gulf area, especially Dubai, through Arab dhows|fishing vessels|launches etc. Some are smuggled

across the land frontier of Nepal. These items are also brought as 'baggage' or as 'gifts' by post from various countries particularly Singapore, Hongkong but are later sold in the market.

(c) During the last one year normal preventive measures including land and sea patrols, rummaging of country crafts and keeping them underguard, collection of intelligence for organising raids, surveillance and watch in the markets, etc. were taken. Periodical searches of shops and pavement stalls displaying and selling foreign goods were also carried out. When seizures were effected, departmental proceedings were instituted leading to confiscation of seized goods and imposition of personal penalty.

(d) Smuggled goods e xcluding old, diamonds, currency and forein exchange valued approximately at Rs. 11 crores were seized by the Customs & Central Excise authorities during 1967. Information regarding number of persons arrested is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Development of Tribal Areas in Madhya Pradesh

4114. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the amount allocated for the development of Tribal Areas in Madhya Pradesh during the years 1966-67 and 1967-68;

(b) the district or districts for which the amount was allocated; and

(c) the names of the schemes on which this amount was utilised?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) and (b). The Allocation for the welfare and development of Scheduled Tribes is Rs. 332.72 lakhs for 1966-67, and Rs. 243.53 lakhs for 1967-68. The allocations are made statewise and not district-wise.

(c) The schemes are:—

STATE SECTOR

Education

(1) Pre-matric Scholarships.
(2) Mid-day meals.
(3) Reimbursement of tuition fees.
(4) Reimbursement of Boards' examination fees.
(5) Hostels.
(6) Equipment in old hostels.
(7) Libraries in hostels.
(8) Construction of school hostel buildings and staff quarters.
(9) Additional stipends in General Industrial Training Institutes.
(10) Youth Welfare Programme, Educational Seminar tour, etc.

Economic Development

(11) Horticulture.
(12) Industrial Training Institute.
(13) Consolidation of existing industrial centres.
(14) Organisation of Industrial and Tribal Industrial Corporation.

856(Ai) LSD—4.

Health, Housing and Other Schemes

(15) Drinking water wells.
(16) Aid to Voluntary Agencies.
(17) Legal Aid.
(18) Administration.
(19) Pre-Examination Training Centre (S.A.F. Battalion).

Central Sector

(1) Post-Matric Scholarships.
(2) Development of agriculture, co-operation and communication.

अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ समूह

4115. श्री मधु लिमये :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये कि काली-सूची में दर्ज फर्मों के साथ उनका विभाग कोई लेन–देन न करे, उनके मंत्रालय में प्राप्त होने वाले फर्मों की काली-सूची में रखने वाले परिपत्रों के सम्बन्ध में कौन-कौन से अधिकारी ग्रामतौर पर कार्यवाही करते हैं ;

(ख) वर्ष 1962-63 में प्राप्त हुए मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ समूह को काली-सूची में रखने वाले परिपत्र के बारे में खाद्य मंत्रालय तथा ग्रन्य मंत्रालयों ने क्या कार्यवाही की थी; ग्रौर

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कम्पनियों को ब्लैक-लिस्ट करने के बारे में वित्त मंत्रालय में प्राप्त होने वाले परिपत्रों पर कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के नाम जाहिर करना लोकहित में नहीं होगा—यह व्यवस्था इसलिए है कि सम्बन्धित पक्ष उन अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं करे।

(ख) मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल फर्म समूह को वर्ष 1962–63 में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था। इसलिए इस फर्म के बारे में मंत्रालयों द्वारा ब्लैक-लिस्ट करने के परिपत्र मिलने ग्रथवा उन पर कार्यवाही करने के सवाल ही नहीं उठते।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में मजदूरों की हड़ताल

4116. श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **सिंचाई ग्रौर विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में कुछ सिंचाई परियोजनाओं को त्याग दिये जाने के कारण उस राज्य में 10,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राज्य में कुछ सिंचाई परियोजनाओं के बन्द करने के कारण कोई हड़ताल नहीं हुई थी। किन्तु अन्य कारणों से 15 फरवरी, 1968 से 6,000 वर्कचार्ज़ कर्मचारियों ने हड़ताल की। यह हड़ताल 23 फरवरी, 1968 को समाप्त हो गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी और अंग्रेजी टाइपराइटरों की कमी

4117. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कार्यालयों में अंग्रेज़ी/हिन्दी टाइपराइटरों की भारी कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतर सरकारी कार्यालयों में पुराने/अप्रयुक्त टाइपराइटरों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ग) यदि हाँ, तो नई मांग को पूरा करने के लिये और पुराने टाइपराइटरों के स्थान पर नये टाइपराइटरों की व्यवस्था करने के लिये प्रत्येक मंत्रालय को अंग्रेज़ी/हिन्दी के कितने टाइपराइटरों की आवश्यकता है; और

(घ) उस मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). निर्माताओं से अंग्रेजी/हिन्दी टाइपराइटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमें नये टाइपराइटरों की अधिप्राप्ति में कठिनाई के विषय में किसी भी कार्यालय से कोई शिकायत नहीं आई है।

देसी टाइपराइटरों का निर्माण

4118. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदरेज और रेमिंगटन कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को अब सप्लाई किये गये टाइपराइटरों के निर्माण में घटिया किस्म के माल का प्रयोग किये जाने के कारण उनकी देख रेख पर काफी व्यय होता है।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार किसी विदेशी के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में इन टाइपराइटरों का निर्माण करने की व्यवस्था करने का है जिससे कि सरकारी कार्यालयों की बढ़ती हुई माँगों और पुरानी पड़ी माँगों की पूर्ति की जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) मैसर्स रेमिंगटन द्वारा सप्लाई किये गए टाइपराइटरों के बारे में कोई शिकायतें नहीं आई हैं।

मैसर्स गोदरेज द्वारा सप्लाई किये गये टाइपराइटर माडल एम-8 की कार्य-कुशलता के बारे में शिकायतें थीं, परन्तु मैसस गोदरेज ने उस माडल को देना बन्द कर दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

कोयना भूकम्प पीड़ित लोगों को विदेशी संगठनों से सहायता

4119. **श्री देवराव पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी संगठन ने कोयना भूकम्प पीड़ित लोगों को सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सहायता का ब्यौरा क्या है तथा यह सहायता किस काम के लिए दी गई थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). कोयना के भूकम्प-पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए विदेशों और विदेशी संगठनों से प्राप्त सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) आस्ट्रेलिया से लगभग 8,000 पौण्ड मखनिया दूध का पाउडर ;

(2) नीदरलैण्ड्स से रामकृष्ण मिशन के माध्यम से प्राप्त लगभग 1000 मेट्रिक टन गेहूं ;

(3) सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ से प्राप्त 3,000 किलोग्राम चीनी, 25 मैट्रिक टन खाद्य पदार्थ, दवाओं के 42 बक्से और 4800 किलोग्राम संघनित दुग्ध चूर्ण ;

(4) जापान के जस्ती लोहे की चादरें तैयार करने वालों के संघ (कार्टेल) ने 11,000 जस्ती लोहे की चादरें भेजी हैं।

भारत सरकार के खाद्य विभाग को आस्ट्रेलिया के "फूड फार इण्डिया कैम्पेन" नामक संगठन से 21 मैट्रिक टन मखनिया दूध के चूर्ण का और नयी दिल्ली के चर्च वर्ल्ड सर्विस से 480 मैट्रिक टन गेहूं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। खाद्य विभाग ने पहले ही अपने स्टाक में से इतनी ही मात्रा में दूध का चूर्ण और गेहूं राज्य सरकार को दे दी है।

इस के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1,00,000 रुपया और पश्चिम जर्मनी ने 25,000 रुपया दान के रूप में दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20,000 डालर (1.50 लाख रुपया) और 1000 मैट्रिक टन अन्न देने के लिए कहा है।

Plan Allocations for Maharashtra for 1968-69

4120. **Shri D. S. Patil:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether plan allocations to be made for Maharashtra for 1968-69 have been finalised;

(b) the share of the Centre and the State therein; and

(c) the manner in which the State Government propose to meet her share?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

भारत और श्रीलंका के बीच अनाज की तस्करी

4121. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने उस तरीके को रोकने के लिये ऐसी प्रभावी कार्यवाही करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, जिसके द्वारा श्रीलंका और भारत के यात्रियों द्वारा दोनों देशों में ऐसी वस्तुओं का, जिनको एक देश से दूसरे देश में ले जाने पर रोक लगी हुई है, एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है ;

(ख) इस संबंध में मिल जुल कर कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Employment of Scheduled Castes

4122. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government have tried to provide jobs other than traditional jobs to the Scheduled Castes with a view to improve their economic condition;

(b) if so, the jobs which are especially being provided to them; and

(c) the extent to which Government have attained success in this regard?

The Minister of State in the Department of Social Welfare [Dr. (Smt.) Phulrenu Guha]: (a) The Constitution of India provides for preferential treatment to the members of the Scheduled Castes in making of appointments to services under the control of Government. Such appointments are mainly of a non-traditional character.

(b) Reservation of posts have been effected in all classes of Government services both Central and State, except in a few highly specialised fields such as research.

(c) This information is available in the annual Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Shortage of Kerosene Oil in Bihar

4123. Shri Chandra Shekhar Singh:

Shri Bhogendra Jha:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Kerosene oil is selling at the rate of 75 paise per bottle in many parts of Bihar particularly in Darbhanga;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the quantity of kerosene oil supplied to Bihar during the last three months as compared to the last three months of the preceding two years?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The quantity of kerosene oil supplied to Bihar during November, December, 1967 and January, 1968 was 41332 Metric Tonnes as compared to 39,354 Metric Tonnes supplied during November, December, 1966 and January, 1967. State-wise figures of monthly kerosene sales for the period November, December, 1965 and January 1966 are not available as such figures are being separately kept only from the date State-wise allocations for Kerosene oil were made viz. 1-3-1966.

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा सहायता

4124. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने 1967-68 में भारत को गैर-परियोजना सहायता देने के लिए भारत सहायता क्लब को अपना अंशदान घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने कितनी सहायता देने का वचन दिया है ;

(ग) विभिन्न अंशदायी एजेंसियों द्वारा पृथक पृथक अब तक 1967–68 के लिये भारत सहायता क्लब की गैर परियोजना सहायता के लिये कितनी धन राशि देने का वायदा किया गया है; और

(घ) उक्त सहायता के अन्तर्गत कौन-कौन सी वस्तुओं का आयात करने का विचार है और इनका किन-किन देशों से आयात किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

(घ) रासायनिक खाद, हानिकारक जीवों को मारने वाली दवाओं, औद्योगिक कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों और फालतू पुर्जों जैसी वस्तुओं के आयात की वित्त व्यवस्था करने के लिए सहायता का इस्तेमाल करने का विचार है। उक्त रकम का थोड़ा सा हिस्सा पूंजी की किस्म की चीजों, जैसे संतुलक उपकरणों आदि के आयात पर भी खर्च किया जायेगा।

सहायता की रकम आमतौर पर सहायता देने वाले देश से खरीद करने पर ही खर्च करनी होती है। लेकिन 1967–68 के लिए दी गयी सहायता का एक अंश परिवर्तनीय मुद्रा या ऋण-परिशोध

संबंधी सहायता के रूप में है, जो दूसरे देशों से खरीद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चालू वर्ष में इस प्रकार की सहायता आस्ट्रिया, कनाडा, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन द्वारा दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 480/68]।**

सिंचाई क्षमता

4125. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिंचाई योजनाओं और पन-बिजली परियोजनाओं के लिये पानी के साधनों का किस हद तक उपयोग किया जा रहा है और किस हद तक उसका उपयोग किया जाना शेष है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा विभिन्न साधनों से सिंचाई और बिजली उत्पादन क्षमता का अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार पानी के सब प्रकर के संसाधनों के बारे मे क्या अनुमान लगाया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इस समय 10 प्रतिशत पन बिजली शक्यता को और वर्तमान अनुमानों के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत उपयोज्य तलवर्ती जल संसाधनों को काम में लाया जा रहा है।

(ख) जी, हां ? सिंचाई व विद्युत उत्पादन के लिये जल संसाधनों का मोटे तौर पर अवलोकन किया गया है।

(ग) जल संसाधनों का बेसिन-वार तथा पन-बिजली शक्यता का क्षेत्र वार आंकन किया गया है जो कि निम्नलिखित है :—

उपयोज्य तलवर्ती जल संसाधन

	करोड़ एकड़ फुट)
सिंधु	6.0
गंगा	12.0
ब्रह्मपुत्र	1.5
पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	6.0
पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	19.05
कुल	45.0

पन-बिजली शक्यता (मै० वाट)

दक्षिणी क्षेत्र	8,100
उत्तरी क्षेत्र	10,730
पश्चिमी क्षेत्र	7,170
पूर्वी क्षेत्र	2,700
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	12,450
कुल	41,150

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता पर आयकर

4126. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ता पर आय-कर लगाने का हाल में निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने के क्या कारण हैं विशेषकर जब कि उन कर्मचारियों को जिनको सरकारी क्वाटर नहीं मिले हुए हैं, अपने आप रिहायश का बन्दोबस्त करने पर खर्च करना पड़ता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य वेतनभोगी करदाताओं को दिये जाने वाले मकान-किराया भत्ते पर आयकर नियम, 1962 के नियम 2क के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्दिष्ट सीमा के अन्दर आयकर की छूट दी जाती है। इन उपबन्धों में किसी प्रकार के संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Import of Tallow

4127. **Shri Bramhanandji:**
Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5407 on th e21st December, 1967 and state:

(a) whether Government have ascertained that the tallow, imported from U.S.A., which is used for manufacturing soap, contains pig fat also;

(b) if so, whether Government propose to restrain the soap manufacturers from the use of this cow and pig fat; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) No, Sir. The Government have made no enquiries in this regard.

(b) and (c) Government do not consider it necessary to take any action in this regard as no complaints of consumer resistence have come to notice and as this is a matter more appropriately for the manufacturers to consider if and when consumer resistence is encountered.

राजस्थान को बिजली की सप्लाई

4128. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्बल और भाखड़ा बिजली ग्रिडों से राजस्थान को बिजली की सप्लाई कम कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कटौती के कब तक बहाल कर दिये जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजस्थान में पन-बिजली व्यवस्था

4129. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने समूचे राज्य में पन-बिजली व्यवस्था चालू करने के लिये कोई योजना स्वीकृति के लिये भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) राजस्थान के उत्तरी भागों को भाखड़ा नंगल पन-बिजली प्रणाली से और दक्षिणी भागों मे कुछ को चम्बल पन-बिजली प्रणाली से और कुछ को सत्पुड़ा ताप विद्युत केन्द्र से बिजली मिल रही है। राजस्थान सरकार ने सारे राज्य को पन-बिजली प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिये कोई नया प्रस्ताव नहीं भेजा है।

पी० एल० 480 माल के लिये जहाज भाड़ा-दर

4130. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1956 में पी० एल० 480 करारों के लागू होने के बाद आज तक पी० एल० 480 के अन्तर्गत भेजे गये माल के लिये अमरीका को कुल कितना जहाज-भाड़ा दिया गया है; और

(ख) यह भाड़ा-दर अन्य नौवहन लाइनों की भाड़ा-दर की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1956 से जनवरी, 1968 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका के जहाजों से लाये गये, पी० एल० 480 के अन्तर्गत

मिले अन्न के भाड़े के रूप में, लगभग 120 करोड़ रुपये की रकम अदा की गयी। इसमें से लगभग 78 करोड़ रुपये की रकम रुपयों में और लगभग 42 करोड़ रुपये की बाकी रकम डालरों में अदा की गयी। अन्न से भिन्न वस्तुओं का आयात सरकारी तौर पर नहीं किया जाता, इसलिए, ऐसी वस्तुओं के लिए दिये गये भाड़े की रकमों के आंकड़े आयातकों से इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के भाड़े की दरें, दुनियां के जहाजी भाड़े की दरों से ज्यादा हैं, लेकिन, पी० एल० 480 के करारों के अनुसार, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के जहाजों को, दुनिया के जहाजी भाड़े की दरों के बराबर की दरों पर भाड़ा अदा करता है। भाड़े की दरों के अन्तर की रकम संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार चुकाती है।

दिल्ली में पेंशन पाने वालों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

4131. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पेंशन पाने वालों के लिये केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना लागू कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण है; और

(ग) यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) फिलहाल केन्द्रीय सरकारी पेंशनर, जिनमें अखिल भारतीय सेवा पेंशनर भी सम्मिलित हैं, इस योजना के अधीन आते हैं। यदि राज्य सरकारों के पेंशनर दिल्ली/नई दिल्ली की कुछ चुनी हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरियों के क्षेत्र में रहते हों तो वे भी आम जनता की तरह केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के सदस्य बन सकते हैं।

उर्वरक कारखाना, कानपुर

4132. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कानपुर में उर्वरक कारखाना स्थापित करने से कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या 1968 में उत्पादन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो उत्पादन कब शुरू होगा?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) धरती, बिजली और रेलवे साइडिंग के लिए प्रबन्ध कर लिया गया है। स्थल पर सिविल् कार्य आरम्भ हो गया है। सारा निर्माण उपकरण कार्य-स्थल पर भेज दिया गया है। परियोजना की प्रगति यथा कार्यक्रम हो रही है।

(ख) आशा है कि परियोजना अप्रैल 1970 में चालू हो जायगी।

Co-operative Housing Societies in Delhi

4133. Shri R. S. Vidyarthi:
Shri Sharda Nand:
Shri N. S. Sharma:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Kanwar Lal Gupta:

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of Co-operative Societies in Delhi which have applied for allotment of land;

(b) the number of Co-operative Societies which have been given possession of land and the number thereof whose lay-out plans have been approved;

(c) the number of Co-operative Societies which have started the development work and the number of houses constructed on the plots of the land allotted to them;

(d) the number of Co-operative Societies whose deposits are lying with Government;

(e) whether some Co-operative Societies have sent applications to Government wherein they have mentioned their difficulties; and

(f) if so, the details thereof and the action taken by Government in the matter?

he Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) 210.

(b) 38 Societies have been allotted undeveloped land. Developed plots have been allotted to the members of 18 societies. Lay-out plans have been approved in respect of 30 societies.

(c) 18 societies have completed the development of land, measuring about 900 acres and providing 4300 residential plots of various sizes. Construction of houses by the members of these societies has, however, not yet started.

(d) 71 societies have deposited full amount and 37 societies have made part payments so far towards the premium of undeveloped land.

(e) and (f) . Some of the main difficulties pointed out by the societies are delay in (i) the sanction of lay-out|service plans and (ii) providing external services. For these matters, the authorities concerned have been advised to expedite action.

New Medical Colleges

4134. Shri Sharda Nand:
Shri N. S. Sharma:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Kanwar Lal Gupta:

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether Government propose to open some more medical colleges next year;

(b) if so, the number thereof and the names of places where they are likely to be opened;

(c) whether some medical colleges are proposed to be opened in Delhi also; and

(d) if so, when and the locations thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (d). No proposal for the establishment of any new medical college next year has yet been finalised.

Slums in Delhi

4135. Shri Sharda Nand:
Shri Ram Gopal Shalwale:

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of people putting up in Delhi slums excluding the Jhuggies; and

(b) the number of slums and the number of people putting up there whom Government have allotted alternative accommodation and the amount spent for the construction of houses for them and the administrative expenditure of the Slum Department so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Grants for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

4136. Shri Bharat Singh Chauhan: Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have heavily reduced the amounts of grants to be allocated for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if so, whether the development plans in States would be adversely affected as a result thereof;

(c) the amount reduced in respect of each State; and

(d) whether any State Government has protested against the proposed reduction?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) and (b). The allocation for 1967-68 is less than that made for the year 1966-67 by approximately 23 per cent. This reduction affected all programmes and all States.

(c) A statement showing allocations for 1966-67 and for 1967-68 for each State is attached. (Placed in Library. See No. LT-481|68).

(d) No State is happy about the shrinkage in resources and allocations.

Barauni Oil Refinery

4137. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the total number of Officers working in the Oil Refinery at Barauni in Bihar (Statewise);

(b) the total number of Class IV employees working in the Refinery;

(c) the number of Bihari employees out of them; and

(d) whether Government have laid down any rules for the appointment of officers and other employees in that refinery; and if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) According to the latest figures available, the number of officers at Barauni refinery is 209, the break-up of which is as follows:—

Bihar	74
West Bengal	28
Punjab	19
Uttar Pradesh	17
Kerala	16
Andhra Pradesh	16
Maharashtra	10
Mysore	7
Madras	6
Harayana	6
Assam	5
Madhya Pradesh	1
Rajasthan	1
Gujarat	1
Goa	1
Delhi	1
TOTAL:	209

(b) and (c). The total number of Class IV employees in the refinery is 569, of which 512 are from Bihar.

(d) The recruitment to various posts in the refinery is governed by the Recruitment procedure framed by Indian Oil Corporation for the Refineries Division as a whole.

Insecticides

4138. Shri Maharaj Singh Bharati:
Shri Shiv Charan Lal:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the names of the insecticides being manufactured in the country and of those being imported; and

(b) whether the target of requirements of insecticides upto 1970-71 would be met indigenously or import would be resorted?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) A statement showing the names of the pesticides produced in the country and of those currently imported is attached. (Placed in Library. *See* No. LT-482|65).

(b) In the case of some insecticides the installed capacity exceeds the current consumption and can be expected to cover the targets set for 1970-71. In regard to others every effort is being made to achieve the targets. Thus licences and letters of intent for manufacture of most of the major pesticides currently being **imported have been issued and every effort is being made to expedite erection of these plants; so that imports are limited to miscellaneous and relatively new pesticides which will continue to be imported from time to time in small quantities for trial purposes.

Gorakhpur Fertilizer Factory

4139. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether a letter containing certain allegations was handed over to him by the Labour Union of Gorakhpur Fertilizer Factory in December, 1967; and

(b) if so, the action taken thereon by Government?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) Yes, Sir.

(b) The points brought out in the letter are under examination.

पश्चिमी बंगाल में मिट्टी के तेल की कमी

4140. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के 24 परगना में अलीपुर सदर और डायमंड हार्बर के सब-डिवीजनों में मिट्टी के तेल की बिक्री के लिये क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की अत्यन्त कमी है ; और

**i.e., BHC, DDT, Endrin, Kalthane, Lindane, Paratnion, Carbaryl, Phosphamidon and DDVP).

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जैसा कि और स्थानों पर होता है, इन सब–डिवीजनों में तेल कम्पनियों के एजेंट-विक्रेता मिट्टी का तेल वितरण करते हैं।

(ख) दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 में, जैसा कि देश के दूसरे भागों में हुआ, इन क्षेत्रों में कमी की कुछ शिकायतें थीं।

(ग) 1 मार्च, 1968 से, समस्त मिट्टी के तेल की प्राप्ति में सुधार होने पर, अधिक सप्लाई के लिए प्रबन्ध कर दिया गया है।

Construction of Quarters and Dhobi Ghats for Washermen in Delhi

4141. Shri Bal Raj Madhok: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to construct residential accommodation and Dhobi ghats for the washermen who have their Dhobi ghats in Jhuggies in New Delhi; and

(b) if so, when the construction of Dhobi ghats would be taken in hand?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). The New Delhi Municipal Committee propose to undertake construction of dhobi ghats and houses for dhobis for which they have approached the Government for allotment of land. The question of allotment of land to the Committee for the purpose is under consideration.

दिल्ली के अस्पतालों में आत्महत्या

4142. श्री सीताराम केसरी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अस्पतालों में भरती कई रोगियों द्वारा हाल में आत्महत्या किये जाने के मामले हुए हैं;

(ख) क्या इन मामलों के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) विलिंगडन अस्पताल में आत्महत्या की एक घटना हुई बताई गई है।

सफदरजंग अस्पताल में तीन व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली है। एक रोगी 11-11-67 को वार्ड से कूद पड़ा था, दूसरा अस्पताल से भाग कर चलती गाड़ी के आगे आ गया और तीसरे ने 15 फरवरी, 1968 को, जिस दिन वह भरती हुआ था, फांसी लगाली बताते हैं।

(ख) पुलिस में इन मामलों की रपट लिखा दी गई थी।

(ग) पुलिस की छानबीन के परिणाम उपलब्ध नहीं है।

सरकारी होटलों में दरों में वृद्धि

4143. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी होटलों में हाल में दरें बढ़ा दी गई हैं ;

(ख) क्या इस बारे में कोई शिकायतें की गई हैं कि वहां की सेवा को देखते हुए दरें बहुत अधिक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सेवा में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अशोक, रणजीत तथा लोधी होटलों की शुल्क-सूची (दरें) 1 जनवरी, 1968 से पुनरीक्षित कर दी गयीं थी ।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Dearness Allowance to Government Employees

4144. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the average monthly price index during the last 12 months beginning from February, 1967;

(b) whether it is a fact that the price index in January, May and October, 1967 was 186.50, 195, and 207 respectively;

(c) if so, the reasons for granting Dearness Allowance by the Central Government to its employees with effect from February, June and October, 1967 when the average price-index during the last twelve months prior to January, May and October, 1967, entitled them for increased dearness allowance; and

(d) whether Government propose to grant additional dearness allowance to its employees if the average monthly price-index for the last twelve months has exceeded the required limit; and if not, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The 12-monthly average of the All-India Working Class Consumer Price Index (1949—100) for the 12 Months beginning from February, 1967 was as under:—

February	1967	188.50
March	1967	190.67
April	1967	192.92
May	1967	195.00
June	1967	197.17
July	1967	199.25
August	1967	201.33
September	1967	203.25
October	1967	205.33
November	1967	207.17
December	1967	208.58
January	1968	210.50

(b) The monthly index numbers and the 12-monthly averages for these months were as below:—

	Monthly Index	*12-monthly average*
January, 1967	197	186.50
May, 1967	206	195.00
October, 1967	217	205.33

(c) Increases in Dearness Allowance become payable from the month following that in which the 12-monthly average of the index number reaches 185, 195, 205 and so on. This practice has been endorsed by the One-Man Independent (S. K. Das) Body and the Gajendragadkar Commission on Dearness Allowance.

(d) The question does not arise for consideration at present.

Grants to Private Medical Institutions

4145. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to grant financial assistance to 35 private medical institutions;

(b) if so, the names and locations thereof; and

(c) the amount of assistance proposed to be grant to each of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement showing the required information is enclosed. [Placed in Library, *See* No. LT-483/68].

Leather Tanning Factories

4146. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of income-tax outstanding against each of the leather tanning factories in the country during the last three years; and

(b) the action taken by Government to realise the same from them?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The information is not available.

Eye Research Centre, Chandigarh

4147. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether an Eye Research Centre is functioning at Chandigarh in collaboration with the Government of U.S.A.;

(b) if so, the number of U.S.A. experts and Indian employees working therein; and

(c) the percentage of the expenditure thereon being borne by the Government of India and U.S.A. respectively?

356(Ai) LSD—5.

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

उड़ीसा में ग्राम्य गृह-निर्माण योजनाएं

4148. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, अवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966–67 और 1967–68 में उड़ीसा में ग्राम्य गृह-निर्माण योजनाओं के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ख) राज्य सरकार ने उपरोक्त अवधि में इस कार्य के लिए वस्तुत: कितनी धनराशि का उपयोग किया; और

(ग) 1968–69 के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

निर्माण, अवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकाबाल सिंह) : (क) ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए उड़ीसा में 1966–67 में 2 लाख रुपये तथा 1967–68 में 3 लाख रुपये की कुल राशि नियत की गयी।

(ख) राज्य सरकार ने 1966–67 के दौरान 1.83 लाख रुपये का उपयोग किया तथा 1967–68 में 3 लाख रुपये के उपयोग किये जाने की संभावना है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी अधुनातम सूचना के अनुसार उन्होंने 1968–69 के लिए योजना के अधीन 2.10 लाख रुपये का परिव्यय अब प्रस्तावित किया है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कार्यकर्त्ताओं का दल

4149. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार** नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये परिवार नियोजन कार्यकर्त्ता दल बनाने की योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) नोट संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 484/68**]

सहायक राष्ट्रीय बचत अधिकारी को नियुक्त करने वाला अधिकारी

4150. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बचत विभाग की स्थापना की तारीख से लेकर वर्ष 1956 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार के अधीन सहायक राष्ट्रीय बचत अधिकारी (जिसे अब सहायक क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत कहां जाता है) के पद के लिये नियुक्ति-अधिकारी के रूप में घोषित अधिकारी का नाम तथा पद-नाम क्या है ; और

(ख) राज्यों में जनवरी, 1955 से लेकर दिसम्बर, 1956 तक की अवधि में जिस अधिकारी ने सहायक राष्ट्रीय बचत अधिकारियों की नियुक्ति की, उसका नाम तथा पद-नाम क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी थी जिसमें सहायक राष्ट्रीय बचत अधिकारी के पदों के लिए नियुक्ति-अधिकारी के रूप में किसी अधिकारी के नाम और पद का उल्लेख किया गया हो। ऐसे पदों के लिए, विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय बचत संगठनों के मुख्य अधिकारी ही नियुक्ति–अधिकारी थे।

(ख) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

Exploration for Oil in Jaisalmer

4151. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the progress made so far in regard to the exploration and development of petroleum in the Jaisalmer area of Rajasthan; and

(b) whether Government have under consideration any scheme to conduct a survey elsewhere in Rajasthan for exploration of petroleum?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah): (a) Aeromagnetic, geological, gravity and magnetic surveys have been completed. Reconnaissance seismic surveys have also been completed except in the area around and to the south of Shahgarh. In one of the wells drilled to test oil and gas potentialities of the structures delineated by the seismic surveys, natural gas was encountered. It is proposed to drill some more wells in this area.

(b) Geological surveys have been conducted in the Bikaner district and gravity and magnetic surveys are currently in progress in this area. Further steps will depend upon the results obtained.

स्वर्णकारों को लाइसेंस

4152. श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री किकर सिंह :
श्री रा० को० अमीन :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री द० रा० परमार :
श्री श्रीकान्तन नायर :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री उमानाथ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों में स्वर्णकारों को लाइसेंस देने के लिये राज्य सरकारों को 'कार्ड' नहीं भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में शीघ्रता करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) यह सच नहीं है कि सरकार ने कुछ राज्यों में स्वयं-नियोजित स्वर्णकारों को प्रमाण-पत्र देने के लिए राज्य सरकारों को 'कार्ड' नहीं भेजे। भारत रक्षा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1966 जारी होने के बाद स्वयं-नियोजित स्वर्णकारों को प्रमाण-पत्र देने का काम राज्य सरकारों के पास से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग को दे दिया गया है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा नहीं होते।

Lack of Educational Facilities in Madhya Pradesh

4153. Shri Ram Singh Ayarwal: Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the tribal areas in Madhya Pradesh are lagging behind other areas of the State in respect of educational facilities; and

(b) if so, the steps being taken to extend such facilities to tribal areas to bring them at par with other areas of the State?

The Minister of State in the Department of Social Welfare [Dr. (Smt.) Phulrenu Guha]: (a) and (b). The literacy and educational levels among the Scheduled Tribes, particularly those living in the Scheduled Areas, are lower in comparison with fully developed areas. During the last three plans, considerable investments have been made in developing educational institutions, including Ashram Schools, Industrial Training Institutes and Teachers Training Colleges. A large number of tribals have also been recruited as school teachers.

भूमि विकास अधिकारियों की कार्यकारी शक्तियां

4154. **श्री गजराज सिंह राव** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराने पट्टाविलेख के पैरा 1(8) के अनुसार पट्टाधारी को बिक्री की अनुमति देने से पूर्व भूमि विकास अधिकारी की क्या कार्यकारी शक्तियां, विशेषकर कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां हैं; और

(ख) अधिक से अधिक कितने समय में बिक्री की अनुमति दे दी जाती है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) पुराने पट्टाविलेख के पैरा 1 (8) का उल्लेख शायद गलती है। तथापि उल्लिखित पैरा कुछ पुनर्वास संपत्ति पर लागू डिसप्लेस्ड पर्सेंज़ (कम्पनसेशन एण्ड रिहेबिलीटेशन) एक्ट, 1954 के अन्तर्गत बने डिसप्लेस्ड पर्सन्ज़ (कम्पनसेशन एण्ड रिहेबिलीटेशन) रूल्स, 1955 के परिशिष्ट XII मे दिया गया है। यह खण्ड यह उपबंधित करता है कि पट्टेदार की अनुमति की तभी आवश्यकता है जबकि पट्टे पर दिये गये परिसर की बिक्री पट्टे के पहले पांच वर्षों में हो। भूमि तथा विकास अधिकारी यह अनुमति देने से पूर्व सुनिश्चित कर लेते हैं कि पट्टाविलेख तो भंग नहीं होता तथा प्रत्याशित ख़रीददार के अथवा उसके किसी आश्रित के नाम दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली केन्ट में कोई अन्य रिहायशी संपत्ति तो नहीं है। बिक्री के लिए अनुमति देने में जो समय लगता है वह प्रत्येक मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है।

Electricity for Tube-Wells in U.P. and Madras

4155. Shri Ram Charan Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8771 on the 10th August, 1967 and state:

(a) the reasons for supplying power to Madras State seven times more for tube-wells than those in Uttar Pradesh during the last five years; and

(b) the reasons for supplying power to Madras State for three times more tube-wells than those in Uttar Pradesh in 1967-68 also?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b). As indicated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 4295 on 14th December, 1967, vis-a-vis U.P., Madras had the advantage of wider network of transmission and distribution systems in rural areas, even before the beginning of the First Five Year Plan. Moreover, in Madras, the wells are predominantly surface-type whereas in U.P. these are predominantly tube-wells. The cost of energisation of a surface well in Madras is about one-third of the cost of energisation of a tube-well in U.P. Within the same capital outlay, it is, therefore, possible to energise a larger number of wells in Madras than in U.P. The number of wells energised in 1967-68 (up to December, 1967) is 34,404 in Madras and 17,173 in U.P.

Hindi Training Scheme

4156. Shri Ram Charan: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the number of officers and employees in his Ministry and in its attached and subordinate offices who have so far passed the Praveen. Prabodh and Pragya Examinations under the Hindi Training Scheme being implemented by the Ministry of Home Affairs;

(b) their percentage to the total number of officers and employees;

(c) the number of persons among them who have started doing their work in Hindi; and

(d) the time by which the remaining officers and employees are likely to start work in Hindi?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah):

(a) No. of Officers|Employees.	No. of Officers|Employees who have passed.		
	Prabodh	Praveen	Pragya
*97	13	18	31

*This does not include offcers|employees who are exempted under the scheme. There are no Attached or Subordinate Offices under the Ministry.

(b) 64 per cent. approximately.

(c) None.

(d) Due to the technical nature of the work of the Ministry, the officers and employees are not likely to start doing nothing and drafting in Hindi in the near future.

छोटे कारखानों को बैंकों द्वारा ऋण

4157. श्री प्रेम चन्द शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऐसे उपायों का विचार कर रही है जिनके द्वारा छोटे कारखानों को व्याज की अपेक्षाकृत कम दरों पर उदारतापूर्वक बैंकों द्वारा ऋण और अन्य सुविधाएं दी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या रियायतें देने का विचार है ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और ये उपाय कब लागू किये जायेंगे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) ऐसे किसी नये प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस उद्देश्य से, कि छोटे पैमाने के उद्योग बैंकों से धन प्राप्त कर सकें, एक गारंटी-योजना पहले से ही लागू है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को, 1966-67 की आधार-अवधि मे दिये गये ऋणों से, जितने अधिक ऋण दिये जायेंगे, उनके संबंध में, उन मामलों में जिन में इन ऋणों की गांरटी, ऋण गारंटी संगठन द्वारा दी गयी हो, रिजर्व बैंक ने अभी हाल में $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज की दर से बैंकों को पुनर्वित्त देने की पेशकश की है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आयकर की अग्रिम वसूली

4158. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि आयकर अधिकारी तो अग्रिम आयकर की वसूली के लिये नोटिस भेजने में तत्परता दिखाते हैं परन्तु कर निर्धारण के काम में अत्याधिक विलम्ब होता है ;

(ख) क्या उनको इस प्रकार की शिकायतें भी मिली हैं कि आयकर की अग्रिम वसूली अनुचित आधार पर की जाती है जिस से करदाताओं को परेशानी होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच की गई है और करदाताओं की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 210 के अन्तर्गत अग्रिम कर, नोटिस में उल्लिखित तारीखों मे जमा करानी होती हैं। अग्रिम कर को मांग के नोटिस, वित्तीय वर्ष मे 1 अप्रैल को अथवा उसके बाद जारी करने होते है।

कर-निर्धारिती द्वारा वर्ष-विशेष के लिए अदा किये गये अग्रिम-कर को तब हिसाब में लिया जाता है जब उस वर्ष का नियमित कर-निर्धारण पूरा किया जाता है। नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही वित्तीय वर्ष की समाप्ति तथा आयकर-विवरणी प्राप्त होने पर ही शुरू की जा सकती है। इसलिए अग्रिम कर की अदायगी की तारीख और नियमित कर-निर्धारण पूरा किये जाने की तारीख

के बीच समय का व्यवधान होना अनिवार्य है। आयकर अधिकारी द्वारा कर-निर्धारण की कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करने की कोशिश के बावजूद कभी-कभी विभिन्न कारणों से विलम्ब हो ही जाता है। किसी भी मामले विशेष मे इस प्रकार के विलम्ब की शिकायत सरकार की जानकारी में लाये जाने पर उन मामलों में नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा करने की हिदायतें बराबर जारी की जाती हैं।

(ख) जिस व्यक्ति का पहले कर-निर्धारण हो चुका होता है उसके मामले मे उन पिछले अन्तिम वर्षों की आय के आधार पर नोटिस जारी किये जाते हैं जिनके लिए उसका कर निर्धारण किया गया होता है। फिर भी, करनिर्धारिती को यह विकल्प तो प्राप्त है ही कि यदि उसके खयाल से जिस आय के आधार पर कर की मांग की गई है वह चालू वर्ष के लिए कर-निर्धारिती के अपने अनुमान से अधिक है तो वह देय कर का अपना अनुमान पेश कर सकता है। जिस व्यक्ति का अब तक कर-निर्धारण नहीं किया गया है उसे अपने अनुमान के आधार पर अग्रिम कर देना होता है।

इसलिए अनुचित आधार पर अग्रिम-कर वसूल करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) इस समय करनिर्धारिती को वापस करने योग्य कर की रकम का निश्चय करने के लिए अस्थायी कर-निर्धारण करने की कोई व्यवस्था नहीं है इस समय स्थिति यह है कि जिन मामलों में अदा किया गया अग्रिम-कर की रकम करनिर्धारिती की कुल आय पर देय कर की रकम से अधिक होती है उनमे अधिक रकम वापसी नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही पूरी होने पर ही की जा सकती है। जिन मामलों में नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही पूरी होने में विलम्ब की सम्भावना हो उनमें कर की वापसी के आदेश जारी करने मे होने वाले विलम्ब से जो कठिनाई हो सकती है, उसे दूर करने के उद्देश्य से वित्त विधेयक, 1968 के खण्ड (11) अन्तर्गत एक नई व्यवस्था की गई हैं, जिससे कर निर्धारिती द्वारा आयकर-विवरणी के आधार पर किये गये अस्थायी कर निर्धारण पर, कर की वापसी का दावा किया जा सकता है।

जीवाणुनाशक औषध परियोजना, ऋषिकेश

4159. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवाणुनाशक औषध परियोजना, ऋषिकेश चालू कर दी गई है और यदि हां, तो इसे कब चालू किया गया था ;

(ख) इसमें 1967-68 मे कितना उत्पादन हुआ था और इस की उत्पादन क्षमता कितनी थी ; और

(ग) परियोजना की निर्धारित क्षमता कितनी है और यह क्षमता कब तकपूरी हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां, मई, 1967 के पेनिसिलीन के लिये किण्वन सुविधाएं चालू कर दी थीं। इस समय संयंत्र मे पोटोसियम पेनिसिलीन और स्टेप्टोमाइसिन का उत्पादन हो रहा है। इस मे चालू महीने के दौरान सोडियन पेनिसिलीन का उत्पादन शुरू हो जायगा। प्रोकेन पेनिसिलीन

श्रौर ट्ट्रासाइकलिन का उत्पादन क्रमशः अप्रैल तथा जून के आरम्भ मे चालू हो जाने की आशा है। उत्पादन प्रोग्राम मे शामिल की गई अन्य मदों का उत्पादन बाद में होगा।

क) श्रौर (ग) : पूरा उत्पादन शुरू करने पर संयंत्र की क्षमता 280 मीटर टन निम्न-प्रकार होगी :—

1. सोडियम पेनिसिलीन "जी" . . .	30 मीटरी टन
2. प्रोकेन पेनिसिलीन "जी" . .	45 मीटरी टन
3. स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट . . .	70 मीटरी टन
4. डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट . . .	15 मीटरी टन
5. टेट्रासाइकलीन	25 मीटरी टन
6. श्रोक्सी-टेट्रासाइकलिन	25 मीटरी टन
7. क्लोर टेट्रासाइकलिन	70 मीटरी टन
8. निसटाटिन	10 मीटरी टन

1967-68 (फरवरी, 1968 के अन्त तक) में पोटासियम पेनिसिलीन का वास्तविक उत्पादन 3 मीटरी टन है श्रौर स्ट्रप्टोमाइसीन का थोड़ा है क्योंकि इसकी गुणवस्था को स्थिर किया जा रहा है।

गुणावस्था श्रौर विसंकमणता की दृढ़ आवश्यक्ताओं को दृष्टि मे रखते हुए, संयंत्र की पूर्ण निर्धारित क्षमता, उत्पादन के शुरू हो जाने की तिथि से, लगभग तीन वर्षों बाद प्राप्त कर लेने की आशा है।

Circulation of Coins

4160. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Finance be pleased tc state:

(a) the reasons for withdrawal from circulation of coins of certain denominations;

(b) whether new coins would be issued in their place; and

(c) if so, their denomination, composition and the date from which such coins would be issued?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Quaternary Alloy coins of the denomination of one rupee, half rupee and quarter rupee and Cupro-Nickel 4 anna coins (scalloped) are being withdrawn from circulation with effect from 1st April, 1968. They will, however, continue to be accepted at the offices of the Reserve Bank of India, Government treasuries and sub-treasuries, Post & Telegraph Office and Railway Offices for payment of dues, upto 30th September, 1968.

The Cupro-Nickel 4 annas coin (scalloped) belonged to the anna pie series and has now been formally withdrawn, the other coins of the anna pie series having been withdrawn already. The quaternary alloy coins, which bore the effigy of the British Monarch, were issued over 21 years ago and contained 50 per cent Silver and their circulation had already come down substantially, with the rise in the metal value following the rise in the price of the silver etc. These are now being formally withdrawn.

(b) and (c) These coins have to large extent been already replaced by other coins issued during the last 10 years. The normal issue of coins would meet the requirements arising out of the withdrawal of the coins now announced.

Demands of Employees of Ashoka Hotel and other Government-owned Hotels

4162. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum in regard to the demands of the employees of the Ashoka Hotel and other Government-owned hotels;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c). There are four Government owned hotels in Delhi under the administrative control of the Ministry of Works, Housing and Supply viz., Asoka, Janpath, Ranjit and Lodhi Hotels. Government have not received recently any Memorandum of Demands from the employees of these hotels. The Labour Unions operating in the hotels submit, from time to time, their demands to the Managements and the same are dealt with on merits.

Plastic Surgery Unit for Leprosy Patients in the Capital

4163. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have set up a plastic surgery unit for leprosy patients in the Capital;

(b) if so, the total number of such units in the country and the locations thereof; and

(c) the expenditure being incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Development (Shri B. S. Murthy): (a) No. The Hind Kusht Nivaran Sangh has, however, recently opened a Reconstructive Surgery Unit in the Shahdra Leprosy Home, near Delhi.

(b) There are 30 Hospitals in the country in which Reconstructive Surgery is also undertaken. The State-wise distribution of these hospitals is as under:—

Andhra Pradesh	..	3
Bihar	..	2
Kerala	..	1
Madhya Pradesh		2
Madras	..	7
Maharashtra	..	7
Mysore	..	3
Uttar Pradesh	..	2
West Bengal	..	2
Delhi	..	1
Total	..	30

(c) The expenditure on these Hospitals is being incurred by the respective State Governments and the Voluntary Organisations who maintain them.

विदेशों को जाने वाले प्रतिनिधिमण्डल

4164. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 मार्च, 1967 के बाद से अब तक सरकार द्वारा विदेशों को कुल कितने प्रतिनिधिमंडल भेजे गये तथा वे किन-किन देशों को भेजे गये ;

(ख) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन-कौन थे ;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल किस प्रयोजन के लिये भेजा गया था : और

(घ) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

सड़क कूटने वाले इजनों की सप्लाई

4165. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित मैसर्स अगरिंड एण्ड कम्पनी के साथ कोई व्यवस्था की गई है कि वह सड़क कूटने के शेष इजनों को सरकार को सप्लाई करें, और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) मेसर्स यू० पी० सी० सी० (प्राइवेट) लिमिटिड, कलकत्ता ने जो मेसर्स अगरिंड फेब्रीकेशन्स लिमिटेड के विक्रय-एजन्ट हैं, रोड रोलर्ज की सप्लाई का कार्य फिर से आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है। क्योंकि फर्म पहले ही 90 प्रतिशत पेशगी धन ले चुकी है, इस लिए उन का यह प्रस्ताव इस शर्त के अधीन विचाराधीन है कि उसके लिए आवश्यक सुरक्षण प्राप्त हो सके।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की विदेश यात्राएं

4166. **श्री बाबराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमण्डल में शामिल होने से 31 दिसम्बर, 1967 तक स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री कितनी विदेशी यात्राओं पर गए तथा उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की ;

(ख) विमान किराये सहित प्रत्येक यात्रा पर भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में पृथक्-पृथक् कितना व्यय हुआ ; और

(ग) मंत्री की प्रत्येक विदेशी यात्रा से देश को क्या लाभ हुआ ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना, परिशिष्ट में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 485/68].**

दिल्ली के चारों ओर कस्बों का विकास

4167. श्री म० ला० सौंधी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वृहद् योजना में यह व्यवस्था की गई है कि लोनी, गुड़गाँव, नरेला जैसे दिल्ली के आस पास के कस्बों का विकास किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि गाजियाबाद तथा फरीदाबाद का तो तेजी से विकास किया जा रहा है, जबकि अन्य कस्बों का विकास नहीं हो रहा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हाँ ।

(ख) गाजियाबाद और लोनी के लिये मास्टर प्लान उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए हैं । फरीदाबाद के लिये मास्टर प्लान हरियाणा सरकार ने बनाया है । नरेला के लिये मास्टर प्लान दिल्ली विकास प्राधिकार ने बनाया है तथा जनता से विरोध/सलाह मांगने के लिये इसे शीघ्र ही प्रकाशित किया जा रहा है । दिल्ली के इर्द गिर्द के शहरों के मास्टर प्लान भी संबंधित राज्य सरकारें बना रही हैं । गाजियाबाद और फरीदाबाद का विकास बड़ी तेजी से हुआ है क्योंकि वे मुख्य पथ पर स्थित हैं तथा राज्य सरकारों ने उनके विकास में रुचि ली है ।

दिल्ली का मास्टर प्लान

4168. श्री म० ला० सौंधी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की मास्टर प्लान पर एडविन लुटियन्स द्वारा नई दिल्ली की योजना के लिये अपनाये गये रेडियल पैटर्न का ही विस्तार है; और

(ख) क्या तेज चलने वाली गाड़ियों के लिये गुंजायश छोड़ने के लिये इस पैटर्न में परिवर्तन करने के लिये कोई प्रयास किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी नहीं। नई दिल्ली के आयोजन के संबंध में सर एडविन लुटयन्स द्वारा अपनाया गया पैटर्न अप्रचलित पाया गया है। दिल्ली का मास्टर प्लान 1981 की जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया है और उसके बनाने में इस सिद्धान्त को आधार माना गया है कि शहर की समस्त गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था हो।

(ख) जी हां, तो विभिन्न सड़कों की उपयुक्तता निश्चित कर दी गई है और 250 फुट चौड़ी वृताकार सड़क की व्यवस्था करके तेज चलने वाली गाड़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है ।

ग्रामीण गृह-निर्माण योजनाओं पर व्यय

4169. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 और 1966-67 में विभिन्न राज्यों में राज्य-वार ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत गांवों का चयन कैसे और किस तरीके से किया जाता है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दे दी गयी है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 486/68]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

4170. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने देश के विभिन्न राज्यों को 1965-66 और 1966-67 में कितना-कितना अनुदान दिया था ।

(ख) ये अनुदान किस आधार पर दिये गये ; और

(ग) क्या जनसंख्या के आधार पर अनुदान देने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 1965-66 तथा 1966-67 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को बाँटी गई धनराशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 487/68]**

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अधीन उन स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान मंजूर किए जाते हैं, जो अनुदानों की अदायगी की शर्तों को पूरा करती हैं ।

(ग) नहीं ।

नागार्जुन सागर बांध

4171. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागार्जुन सागर परियोजना के दूसरे चरण को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 1969-70 से आरम्भ होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना अभी बनाई ही नहीं गई है ।

राजस्थान की ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाएं

4172. डा० कर्णी सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में, गांव में, बिजली लगाने की योजनाओं की क्रियान्विति से सरकार सन्तुष्ट है;

(ख) अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई गई है और कितने गांवों में बिजली लगानी अभी बाकी है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है कि वर्ष 1970–71 के अन्त तक, जब नई परियोजनाएं, जिनमें राजस्थान का आण्विक बिजली घर शामिल है, पूरी हो जायेगी, उपलब्ध होने वाली लगभग 800 मैगावाट बिजली का राज्य सरकार पूरा-पूरा उपयोग कर सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). वित्तीय संसाधनों की कमी होते हुए भी राजस्थान में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति संतोषजनक रही है। 32241 ग्रामों में से मार्च, 1967 तक 1679 ग्रामों को बिजली दी गई और 30562 ग्रामों को अभी बिजली दी जानी है। 1966–67 के आरम्भ से ग्राम विद्युतीकरण के अन्तर्गत पम्पों को ऊर्जित करने पर ज़ोर दिया जाने लगा है। तीसरी योजना के अन्त तक 6962 पम्प ऊर्जित किये गए और इस के प्रति 1966-67 में 4003 पम्प ऊर्जित किये गए। 1–4–67 से 31–12–67 की अवधि में 1672 अतिरिक्त पम्प ऊर्जित किये गए।

(ग) राजस्थान में विद्युत् उत्पादन क्षमता को 1970-71 के अन्त तक उपयोग में लाने के लिये 220 के० वी० का हिस्सार-खेतरी-जयपुर पारेषण पथ निर्माणाधीन है जिसके जून, 1968 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। सिरसा से हनुमानगढ़ तक 132 के० वी० पथ भी निर्माणाधीन है जिसके जून, 1968 तक पूर्ण होने की संभावना है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने 220 के० वी० और 132 के० वी० के कई एक पारेषण पथ और उपकेंद्रों का निर्माण करने तथा राजस्थान अण्विक बिद्युत केंद्र से जयपुर तक 150 मील लम्बे 220 के० वी० के पारेषण पथ बनाने के प्रस्ताव भी तैयार किये हैं। कई पारेषण पथ चम्बल चरण-2 पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत पहले ही बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में 1970-71 तक की बिजली माँग के प्राथमिक अनुमानों से पता चलता है कि उस समय तक जितनी भी बिजली राज्य में उपलब्ध होगी, प्रयोग में लाई जा सकेगी।

राजस्थान में बिजली का उपयोग

4173. डा० कर्णी सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कुल कितनी बिजली उपलब्ध है तथा क्या सरकार इस समय उपलब्ध सारी बिजली का उपयोग करने के लिये राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था से संतुष्ट है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या तत्सम्बन्धी कमियों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा क्या इस बारे में राज्य सरकार को कोई सुझाव दिये गये हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने बिजली की सप्लाई के उपयोग सम्बन्धी मूल योजनाओं में कोई परिवर्तन किये थे तथा क्या नियत धनराशि केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत मूल योजनाओं पर व्यय की गई थी; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने उपलब्ध बिजली का पूरा उपयोग करने के लिये कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी थी और यदि हां, तो उस मांग को केंद्रीय सरकार ने कहाँ तक पूरा किया था ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). इस समय राजस्थान में कुल 133 मैगावाट बिजली उपलब्ध है और वर्तमान पारेषण पथ इसको प्रयोग में लाने के लिये पर्याप्त है। भाखड़ा नंगल से राजस्थान का पूरा भाग लाने के लिये पंजाब से राजस्थान तक अतिरिक्त पारेषण पथ बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार सतपुड़ा से राजस्थान का पूरा भाग लाने के लिये मध्य प्रदेश से राजस्थान तक अतिरिक्त पारेषण पथ बनाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) मूल योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और आबंटित धन उसी प्रकार से खर्च किया गया है।

(घ) राज्य सरकार ने कुछ पारेषण पथों के निर्माण के लिये त्वरित केंद्रीय सहायता माँगी थी किन्तु संसाधनों की कमी के कारण भारत सरकार के लिये अतिरिक्त धन की माँग को पूरा करना संभव नहीं था।

Gold Seized at Santa Cruz Airport

4175. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some gold bars were recovered from a passenger proceeding to Cochin at Santa Cruz Airport in the third week of February, 1968;

(b) if so, the value thereof; and

(c) the action taken against the said passenger?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). On 20th February, 1968 the Bombay Customs authorities seized at the Santa Cruz Airport 3498 grams of gold with foreign markings and valued at about Rs. 30,000 (at the international rate) from a passenger bound for Cochin. The passenger was arrested and released on bail. On completion of further investigations a complaint will be filed in court.

Smuggling

4176. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large quantities of smuggled goods have been seized in different parts of the country;

(b) if so, the value of seized smuggled goods and the quantity of seized gold in Bombay, Delhi, West Bengal, Rajasthan, Assam and Jammu and Kashmir from 1963 so far; and

(c) the number of persons arrested and the action taken against them in this regard?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) The value of smuggled goods other than gold and the quantity of smuggled gold seized in Bombay, Delhi, West Bengal, Rajasthan, Assam and Jammu and Kashmir during the period from 1st January, 1963 to 29th February, 1968 are indicated below:—

Seizure of goods other than Gold.

Place of seizure		Value
Bombay	..	Rs. 17,28,34,845
Delhi	..	Rs. 78,75,386
West Bengal	..	Rs. 2,94,43,051
Rajasthan	..	Rs. 14,39,870
Assam	..	Rs. 16,04,847
Jammu and Kashmir	..	Rs. 1,95,419

Seizure of Gold

Place of seizure		Quantity
Bombay	..	5,766.5 Kg.
Delhi	..	1,666.5 Kg.
West Bengal	..	207.0 Kg.
Rajasthan	..	55.7 Kg.
Assam	..	7.5 Kg.
Jammu and Kashmir	..	4.3 Kg.

(c) In connection with these seizures 2,780 persons were arrested. Out of them 1,240 persons were prosecuted. So far 604 persons have been convicted and 345 persons acquitted.

Messrs Oriental Timber Trading Corporation and Messrs Mckanzies Ltd.

4177. Shri Suraj Bhan: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3342 on the 7th December, 1967 and state:

(a) the nature of contracts taken by Messrs Oriental Timber Trading Corporation and Messrs Mckanzies Ltd. with value of each of these contracts; and

(b) the amount of taxes assessed by Government on each contract?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The partnership of these two companies is for the purposes of carrying out construction contracts. The values of four contracts taken by the partnership are:—

Sharavaty	..	Rs. 1,35,00,000
Ootacamund	..	Rs. 89,00,000
Ranchi	..	Rs. 61,00,000
Rourkela	..	Rs. 2,27,89,000

(b) Since the regular assessments have not been completed, the question of taxes assessed does not arise. Moreover taxes are not assessed in respect of each contract but in respect of total income for each year.

M|s. Oriental Timber Trading Corporation and M|s. Mckanzies Ltd.

4178. Shri Suraj Bhan: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3342 on the 7th December, 1967 and state:

(a) the amount invested by M|s. Oriental Timber Trading Corporation and M|s. Mckanzies Ltd. during the last ten years and the total profit earned by them; and

(b) the amount of Income-tax assessed during the last ten years, the amount of Income-tax paid by them, the amount of Income-tax still outstanding against them and the action taken by Government to realise the same?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The information is not really available. It will be collected and laid on the Table of the House.

Automatic Machines in L.I.C.

4179. Shri Madhu Limaye:
Shri Ramavatar Shastri:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the steps taken for introducing automatic machines in the Branches of the Life Insurance Corporation of India;

(b) the names of the Branches of the Corporation where automatic machines have been introduced and the number of the automatic machines installed;

(c) the number of persons rendered jobless or deprived of the prospects of employment as a result thereof;

(d) whether the employees of the Life Insurance Corporation have protested against automation; and

(e) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). The Life Insurance Corporation has decided to instal computers at two places only, namely Bombay and Calcutta. The computer at Bombay has started functioning since July, 1967. As a result of the installation of computers at the above two places, the net reduction in the number of jobs is expected to be only 158 at the end of the completion of the process of switching over to computers which is expected to take some three years. The Life Insurance Corporation and the Government both have given the assurance that none of the employees whose jobs would become redundant will be retrenched or even transferred out of the cities where they are working and they will be fitted in other jobs. From the point of view of employment potential in L.I.C., computerisation is not expected to have any significant effect.

(d) All India Insurance Employees' Association is carrying on agitation against the introduction of computers.

(e) In view of the unequivocal assurance given both by Government and by the L.I.C. that there would be no retrenchment, Government do not propose to take any step.

मैसर्स राम नारायण एंड संस, बम्बई, के आयकर संबंधी मामले

4180. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1967 में एक संसद् सदस्य द्वारा उनको भेजे गये पत्र में उल्लिखित मैसर्स राम नारायण एंड संस, बम्बई के आय-कर के मामलों से सम्बन्धित अवधि में प्रत्यक्ष कर बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जे० पी० सिंह का पुत्र रूइयाज बन्धुओं द्वारा नियंत्रित किसी फर्म में कर्मचारी था;

(ख) क्या उपरोक्त श्री जे० पी० सिंह तत्कालीन निरीक्षण (जांच) निदेशक, श्री कन्हैया सिंह के रिश्तेदार थे अथवा उनके साथ उनके मैत्री वाले सम्बन्ध थे; और

(ग) क्या सरकार ने यह जांच की है कि क्या इस मामले में निरीक्षण (जांच) निदेशक पर कोई प्रभाव तो नहीं डलवाया गया था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) श्री जे० पी० सिंह के स्वर्गीय श्री कन्हैया सिंह के रिश्तेदार होने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) श्री कन्हैया सिंह को मरे लगभग 10 वर्ष हो गये हैं। उस अधिकारी पर किसी प्रकार का प्रभाव डाले जाने का कोई प्रमाण नहीं है।

महाराष्ट्र के हल्बा कोष्टी

4181. श्री देवराव पाटिल : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के हल्बा कोष्टी को अनुसूचित आदिम जाति के लोग समझती है तथा उन्हें केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियों समेत अनुसूचित आदिम जातियों को मिलने वाली सभी रियायतें दी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश के अनुसार हल्बा कोष्टी महाराष्ट्र की अनुसूचित आदिम जातियों की वर्तमान अनुसूची में नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत के अन्तर्गत मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्तियां केवल अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को ही दी जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र सरकार इस जाति को अनुसूचित आदिम जाति कैसे मानती है तथा उसे अनुसूचित आदिम जातियों को मिलने वाली सभी रियायतें कैसे मिल रही हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). कानून के अधीन ऐसी कोई जाति जिसका नाम संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) आदेश में शामिल नहीं है, अनुसूचित आदिम जाति की तरह समझे जाने के पात्र नहीं है। "हल्बा कोष्टी" नामक जाति संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) आदेश, 1950 में शामिल

856 (ai) LSD—6.

नहीं है। सम्भव है कि हल्बा कोष्टी जाति के कुछ सदस्यों ने अपने को 'हल्बा' जाति का (जो उक्त आदेश के अधीन अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्य है) बताकर प्रश्न में निर्दिष्ट प्रकार की रियायतें प्राप्त कर ली हों। महाराष्ट्र सरकार अनुसूचित आदिम जातियों के रूप में मान्य जातियों की सूची में और बढ़ावा कर सकती है। अन्य कतिपय जातियों के कुछ लोगों द्वारा गलत बयानी के मामलों को राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी से उत्पन्न घटना नहीं समझना चाहिए।

Utilization of Funds Allocated to Madhya Pradesh during 1967-68

4182. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the funds allocated for the annual plan of Madhya Pradesh for the year 1967-68 have been fully utilized;

(b) if not, the extent of shortfalls itemwise;

(c) whether the funds allocated to the State for the year 1967-68 have been fully paid to the State or a part thereof remains to be paid;

(d) if so,the details thereof; and

(e) whether some of the works have not been completed due to lack of funds?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). Information will be available only after the close of the current financial year.

(c) and (d). Under the existing procedure for payment of Central assistance for Plan Schemes, 5|6th of the agreed assistance has already been released in the form of ten monthly ways and means advances. The balance will be released by the end of March, 1968 on the basis of actual expenditure in the first three quarters and the anticipated expenditure in the fourth quarter of the year.

(e) Does not arise.

Prospects of Oil in Bihar

4183. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey for the exploration of oil and minerals in District Champaran in Bihar; and

(b) if so, the result of the survey and the action taken by Government for exploration of oil in the said area?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) and (b) The ONGC conducted aeromagnetic, geological, gravity, magnetic and seismic surveys, which indicated the presence of a large thickness of sedimentary rock formations in the area and of anaticlinal structures in the north-western part of the Camparan District. A well drilled south of Raxaul failed to give indications of the presence of oil or natural gas or of marine rock formations of the Lower Tertiary age which are generally considered as source rocks for the formation of oil or natural gas in India.

कोठागुडम में उर्वरक कारखाना

4184. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 775 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठागुडम में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1968-69 में आंध्र प्रदेश की योजना के लिये नियतन

4185. श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में आंध्र प्रदेश की योजना के लिए निर्धारित राशि में 20 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने हाल में दिल्ली में कहा था कि यदि योजना के लिये निर्धारित राशि की कटौती को बहाल न किया गया तो राज्य सरकार के लिये सामान्य कार्य करना भी कठिन हो जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियत राशि में कटौती को बहाल करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1968-69 के लिए आंध्र प्रदेश की आयोजना के लिए निर्धारित रकम में कोई कटौती नहीं की गयी है । लेकिन सारे राज्यों को दी जाने वाली 590 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता में से 1968-69 के लिए आंध्र प्रदेश के लिए निर्धारित की गयी रकम 1967-68 में दी गयी रकम से लगभग 20 करोड़ रुपया कम है । इसका कारण यह था कि पहले के दो वर्षों में आंध्र प्रदेश को अधिक केन्द्रीय सहायता दी गयी थी।

(ख) आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री का इस प्रकार का कोई वक्तव्य भारत सरकार ने नहीं देखा है ।

(ग) हाल ही में सिंचाई की चुनी हुई बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं के निर्माणकार्य की गति को तेज़ करने के लिये राज्यों को और 25 करोड़ रुपया देने का फैसला किया गया है और इस रकम में से कुछ रकम आंध्र प्रदेश को भी मिल सकती है ।

समाज कल्याण

4186. श्री जगेश्वर यादव : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों एवं गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों का गत दो वर्षों में पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या आगामी वर्षों में केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग के क्षेत्र और कार्यों को बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) सरकारी अभिकरणों की कार्यवाहियों पर सरकार द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है। जहां तक गैर-सरकारी संगठनों का संबंध है सरकार को ऐसे संगठनों से जिन्हें अनुदान दिए जाते हैं रिपोर्टें तथा जांचे हुए लेखा विवरण प्राप्त होते हैं।

(ख) सन्तोषजनक ।

(ग) और (घ) समाज कल्याण कार्यवाहियों को बढ़ाने के प्रस्ताव हैं। साधनों की निरूद्धता के कारण विभिन्न कार्यक्रमों के ब्यौरों को अन्तिम रूप देना सम्भव नहीं हुआ है।

समाज कल्याण के कामों के लिये धन का नियतन

4187. श्री जगेश्वर यादव : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 और 1967 में समाज कल्याण के कार्यों के लिये कुल कितना धन नियत किया गया ;

(ख) क्या इस काम के लिए नियत की गई सारी धन राशि का उक्त अवधि में उपयोग किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त अवधि में कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क)

वर्ष	विनिधान
1966-67	4,80,29,900
1967-68	4,95,52,900 रुपये

(ख) 1966-67 के लिए विनिधान का पूरा उपयोग नहीं किया गया था। 1967-68 में आवंटित राशि का लगभग पूरा उपयोग किए जाने की आशा है।

(ग) 1966-67 के लिए की गई व्यवस्था का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित है :--

(1) किफायत के लिए खर्च में कमी ;

(2) अधीनस्थ कार्यालयों में कतिपय पदों को न भरना ;

(3) राज्य सरकारों से खर्च-विवरण प्राप्त न होना ; तथा

(4) किफायत के उपाय के रुप में कतिपय कार्यक्रमों को लागू न करना ।

(घ) 1966-67 में 55,47,400 रुपए की धन राशि का उपयोग नहीं किया गया था ।

समाज कल्याण कार्यों के लिये वित्तीय सहायता

4188. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वयंसेवी संगठनों की संख्या कितनी है जिन्हें समाज कल्याण कार्य करने के लिये 1966-67 और 1967-68 में वित्तीय सहायता दी थी ;

(ख) उक्त अवधि में कुल कितनी सहायता दी गई ;

(ग) क्या सरकार संतुष्ट है कि इन संगठनो ने सारी धन राशि का ठीक उपयोग किया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; जिन्होंने उस धन राशि का उचित उपयोग नहीं किया ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) वर्ष	संस्थाओं की संख्या
1966-67	4524
1967-68	3382

(ख) अब तक 1,90,69,856 रुपए ।

(ग) हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रमजीवी महिलाओं के बच्चों की देखभाल

4189. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रमजीवी महिलाओं को काम पर जाने में होने वाली कठिनाइयों का पता है क्योंकि देश में जब वे काम करती हैं तो उनके बच्चों की देख भाल करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख): जी, हां ।

(ग) इस देश के विभिन्न श्रम अधिनियमों ने नियोक्ताओं के लिए श्रमजीवी महिलाओं के बच्चों के वास्ते बालगृहों की व्यवस्था अनिवार्य कर रखी है । स्वैच्छिक संस्थाओं को भी

बालवाड़ियों और बालगृह चलाने के लिए सहायता दी जाती है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बालगृहों की व्यवस्था करने की हाल में दिल्ली में शुरुआत की गई है।

River Valley Schemes in Bihar

4190. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance asked for recently by the Government of Bihar for Gandak, Kosi and Achhwara River Valley Scheme; and

(b) the reaction of Government thereto?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b) Against a request of Rs. 11.18 crores for the Gandak Project a sum of Rs. 10.33 crores has been released.

For the Kosi Project, a sum of Rs. 3.53 crores has been sanctioned against a request of Rs. 4.54 crores.

Achhwara Scheme is not getting any ear-marked loan assistance, but will benefit from the miscellaneous development loans sanctioned to the State Government for the Plan Schemes as a whole.

Central Assistance to Bihar

4191. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loan sanctioned by the Central Government to the Government of Bihar last year;

(b) the part of the loan which the Government of Bihar has been able to repay so far; and

(c) the details of the amount paid to the Government of Bihar in regard to all the items during the last drought?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Rs. 86,33 crores.

(b) Information regarding the repayments made during 1967-68 is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The following amounts were paid to the State Government during 1966-67 and 1967-68 so far, towards the expenditure incurred by them on draught relief measures including emergency water supply schemes:

(Rs. in crores)

Year	Loans	Grants	Total
1966-67	16.50	2.09	18.50
1967-68	29.00	9.25	38.25

Accommodation Facilities to Depressed Classes in Bihar

4192. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have undertaken minimum works in regard to accommodation facilities to the depressed classes in Bihar as compared to those in other States;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the scheme proposed to be adopted by Government for providing more accommodation facilities to landless persons in Bihar this year?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c). There is no separate Central Housing Scheme for the depressed classes. The Village Housing Project Scheme of this Ministry provides for allotment of free house sites to landless agricultural workers. Under the Scheme, the State Government can utilise upto 1/3rd of the total outlay for provision of house sites to landless agricultural workers. The Central Government reimburses this expenditure to the State Government concerned in the form of grant. According to the latest progress report (for the quarter ending the 30th September, 1967) received from the Government of Bihar, they have acquired 9.92 acres of land at a cost of Rs. 18.297 for this purpose. If the Government of Bihar so desire, they may increase the allocation under the Scheme in their annual plan and budget to enable them to provide more residential plots to the landless agricultural workers.

देहाती और शहरी क्षेत्रों पर कर

4193. **श्री रा० बरुग्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 15 वर्षों में देहाती और शहरी क्षेत्रों के 'प्रत्यक्ष कर' दायित्वों में कोई अन्तर हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रों की कर-देयता की क्षमता के अनुरूप है ; और

(ग) इस अन्तर को दूर करने और अतिरिक्त लाभ को उत्पाद कार्यों में विनियोजित करने के लिये इकट्ठा करनेहेतु यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) देहाती और शहरी क्षेत्रों के प्रत्यक्ष कर दायित्वों की अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है । लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि देहाती और शहरी क्षेत्रों पर उतना ही कर-भार पड़ता है जितना कृषि-क्षेत्र और ग़ैर-कृषि क्षेत्र पर पड़ता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले मुख्य प्रत्यक्ष करों (अर्थात् आय सम्बन्धी करों और निगम कर तथा सम्पत्ति-कर) का सारा भार ग़ैर-कृषि क्षेत्र पर पड़ता है और ग़ैर-कृषि-साधनों से होने वाली राष्ट्रीय आय से इन करों का अनुपात 1951-52 के 3·8 प्रतिशत से बढ़ कर 1966-67 में 5·4 प्रतिशत हो गया । दूसरी ओर, राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले प्रत्यक्ष करों में भू-राजस्व और कृषि-सम्बन्धी आय-कर शामिल है तथा कृषि-साधनों से होने वाली राष्ट्रीय आय से इन करों का अनुपात 1951-52 के 1·1 प्रतिशत से घट कर 1966-67 में 0·9 प्रतिशत रह गया ।

(ख) कर-दान-क्षमता की निश्चित परिभाषा न होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । इसके अलावा, शहरी और देहाती क्षेत्रों द्वारा वहन किये जाने वाले सापेक्ष कर-भार की तुलना करते हुए न केवल प्रत्यक्ष करों को बल्कि अप्रत्यक्ष करों को भी हिसाब में लेना जरूरी है ।

(ग) केन्द्रीय और राज्य य सरकारें राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को उत्पादनकारी कार्य में लगाने का बराबर प्रयत्न करती है ।

मोटर गाड़ी उद्योग पर करारोपण

4194. श्री न० कु० सोंघी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष-कर, जिसके कारण, किसी मोटर गाड़ी की कीमत लगभग 45 प्रतिशत बढ़ जाती है, घटाने के सम्बन्ध में मोटर-गाड़ी निर्माताओं ने सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) क्या मोटर-गाड़ियों के निर्माण में अपेक्षित पुर्जों पर उत्पादन शुल्क कम करने अथवा नया कर लगाने का सरकार का विचार है, क्योंकि मोटर-गाड़ियों पर पुनः यह शुल्क लगाया जाता है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरा जी देसाई) : (क) सम्भवतः यह प्रश्न अप्रत्यक्ष करों के बारे में है । निर्मित माल के अंग के रूप में साज-सामान दायरों और तैयार गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क न लगाने अथवा कम करने के बारे में मोटर-कार निर्माताओं से दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सांप के काटे की दवाई (सर्पदंश औषधि)

4195. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सांप के काटे की कोई कारगर दवाई नहीं बना सकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सांप के काटे की कारगर दवाई का नाम क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) गुणकारी औषधि का नाम "एण्टी वेनिन-लियोफिलाइज्ड पोलीवेलण्ट एण्टी स्नेक वेनम सीरम" है ।

Working of Public Undertakings

4196. Shri Mrityunjay Prasad: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 942 on the 19th February, 1968 and lay a statement on the Table showing the names of the public undertakings earning profit, the amount invested therein and the details of profit and loss during the last three years?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): Of the Public Enterprises other than LIC, 34 enterprises earned net profits

after depreciation, interest and taxes during 1966-67. A statement showing capital invested and profit|loss earned by these concerns during 1966-67, 1965-66 and 1964-65 is placed on the Table of the House. **(Placed in Library. See No. LT-488|68).**

दन्तचिकित्सों में बेरोजगारी

4197. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से अर्हताप्राप्त दन्तचिकित्सक बेरोजगार रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) प्रशिक्षित डैन्टिस्टों की बेरोजगारी के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के सामान्य मूल्यांकन के अनुसार ऐसी बेरोजगारी है ।

(ख) दन्त चिकित्सा सेवाओं का विस्तार नहीं हुआ और साथ ही दन्त चिकित्सकों ने प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं अपनाई ।

(ग) दन्त चिकित्सा सेवाओं का विस्तार राज्यों के पास उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार ही होगा ।

उर्वरकों की खरीद

4198. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उवरकों की खरीद के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु भारत का रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को 4½ प्रतिशत वार्षिक की दर से ऋण देता है ;

(ख) क्या सहकारी विपणन समितियों तथा सहकारी अपैक्स बैंकों को भी ये सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 29 जनवरी, 1968 को रिजर्व बैंक ने अपने इस फैसले की घोषणा की कि वह, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1966-67 की आधार अवधि की अपेक्षा इस प्रयोजन के लिये दिये गये अधिक अग्रिमों के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये पुनर्वित्त पर उनसे 4½ प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर से ब्याज लेगा ।

(ख) और (ग). राज्य सहकारी बैंकों को इस उद्देश्य से ऋण देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि वे विपणन समितियों को रियायती दरों पर रासायनिक खाद खरीदने और बांटने के लिए रुपया दे सकें ।

आयकर निर्धारण

4199. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में निर्धारण वर्ष सहित कितने मामलों में आयकर निर्धारित किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में निर्धारण वर्ष 1962-63 के लिए ऐसे कितने मामले पूरे किये गये जिनमें कर निर्धारण की राशि 25000 रु० से अधिक थी और करदाताओं ने कितनी राशि दिखाई थी ; और

(ग) अप्रैल, 1966 से दिसम्बर, 1966 तक की अवधि में 1962-63 के कर-निर्धारण के कितने मामले पूरे किये गये ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वित्तीय वर्ष 1966-67 में 24,18,066 मामलों में आय-कर निर्धारण किया गया। इनमें (i) 1,39,381 मामले ऐसे थे जो मियाद बाहर हो रहे थे, इनमें कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 के मामले भी शामिल हैं; (ii) 3,95,107 मामले कर-निर्धारण वर्ष 1963–64 और 1964–65 के थे ; (iii) 5,50,934 मामले कर-निर्धारण वर्ष 1965–66 के थे ; और (IV) बाकी 13,32,644 मामले कर-निर्धारण वर्ष 1966–67 के थे ।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) अप्रैल, 1966 से दिसम्बर, 1966 तक पूरे किए गये, कर-निर्धारण के मियाद-बाहर हो रहे मामलों की संख्या 86,724 है। इसमें 1962–63 के कर-निर्धारण के मामले और धारा 34/147 के अन्तर्गत कर-निर्धारण की कार्यवाही फिर से शुरू करने के वे मामले भी शामिल हैं जो 31–3–1967 को मियाद बाहर हो जाने वाले थे। 1962–63 के कर-निर्धारण के मामलों के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

पश्चिम बंगाल में आय-करदाता

4200. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के आय कर आयुक्त एक, दो, तीन और सेंट्रल कलकत्ता के आयकर आयुक्त के क्षेत्राधिकार में वर्ष 1965–66 और 1966–67 में आयकर के कितने मामलों का निर्धारण किया गया जिसमें निर्धारित आय प्राप्त आय की राशि से तीन गुना से अधिक थी ।

(ख) ऐसे कर निर्धारण के मामलों के विरुद्ध दायर की गई कितनी अपीलों में करदाता काफी सफल रहे ;

(ग) क्या उपर्युक्त अपीलों पर निर्णय किये जाने तक करदाताओं को निर्धारित कर न देने की अनुमति मिल गई थी और यदि हां, तो ऐसे मामले कितने प्रतिशत थे ; और

(घ) कितने मामलों में निर्धारित कर का भुगतान न किये जाने के कारण, जुर्माना लगाने के लिये दण्डात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई थी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसको इकट्ठा करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा ।

आय-कर सम्बन्धी अपीलें

4201. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 और 1966–67 में आय-कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कितना जुर्माना किया गया तथा अपीलों में कितनी छूट मिली तथा, अथवा जितनी राशि के सम्बन्ध में अपीलें की गई थीं उसमें दी गई छूट के परिणामस्वरूप आयकर की राशि में कितनी कमी की गई ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में किये गये जुर्माने के विरुद्ध कितनी अपीलें दायर की गईं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह सूचना देश भर में तैनात आयकर अधिकारियों से इकट्ठी करनी होगी। इसमें बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा तथा लाखों फाइलों, विभिन्न रजिस्टरों तथा रिकार्डों की छानबीन करनी पड़ेगी। प्राप्त परिणाम निहित श्रम के अनुरूप नहीं होंगे।

विदेशी चिकित्सा स्नातकों की शैक्षिक परिषद् संबंधी योजना के अन्तर्गत परीक्षायें

4202. **श्री मि० सु० मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी चिकित्सा स्नातकों की शैक्षिक परिषद् सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत परीक्षायें कराना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत पुनः परीक्षायें आरम्भ कराने की कोई योजना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) चिकित्सकों के देश से बाहर जाने को कम करने के लिए इस देश में विदेशी चिकित्सा स्नातकों की शैक्षिक परिषद् सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत होने वाली परीक्षा फरवरी, 1967 से बन्द कर दी गई है।

(ग) जी नहीं।

मध्य प्रदेश के लिये केन्द्रीय सहायता

4203. **श्री गं० ब० दीक्षित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश को अकाल सहायता कार्यों के लिए वर्ष 1966–67 में कुल कितना धन दिया ; और

(ख) उसमें से कितना धन उपयोग में लाया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 1966–67 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूखा-सहायता सम्बन्धी उपायों पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में, उसे केन्द्रीय सहायता के रूप में 16 करोड़ रुपया दिया गया था।

(ख) राज्य सरकार को दी गयी सहायता की सारी रकम इस्तेमाल कर ली गयी थी।

Fertilizer Plant in M.P.

4204. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh Government have sought technical assistance from the Central Government for setting up fertilizer plants for increasing wheat production in the State; and

(b) if so, the details thereof and the reacfion of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दुलियाजन (असम) में पेट्रोलियम विषयक सम्मेलन

4205. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22फरवरी, 1968 को दुलियाजन में पेट्रोलियम के सम्बन्ध में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) उस पर कितना व्यय हुआ तथा वह व्यय किसने उठाया ; और

(ग) तैल की खोज के लिये देशी उत्पादों का प्रयोग बढ़ाने के बारे में सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) प्रथम भारतीय पेट्रोलियम सम्मेलन (अन्वेषण एवं उत्पादन) 18 से 22 फरवरी, 1968 तक दुलियाजन में हुआ था ।

(ख) प्रतिनिधियों के सफल भत्ते आदि का खचो उनकी सम्बन्धित संस्थाओं ने किया । केवल स्थानीय खर्चों के अर्थात् सचिवालय सम्बन्धी सहायता, लेखन सामग्री आदि, जो मामूली थे, इस सम्मेलन के आतिथेय (होस्ट) अर्थात् आयल इण्डिया लि० ने सहन किया । उपर्युक्त खर्चों का ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यह सम्मेलन निम्न निष्कर्ष पर पहुंचा :—

(i) देश के अन्दर उपलब्ध सुविधाओं के अन्तर्गत उपकरणों के मुख्य मदों के डिजाइन और निमाण के अध्ययन के लिए एक सैल (Cell) की स्थापना करनी चाहिए ।

(ii) सकार्य (आप्रेटिंग) कम्पनियों को घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ाना चाहिए और प्रयोग किए जा रहे उपकरणों की विभिन्नता में कमी लाने के तरीकों को मालूम करना चाहिए ।

(iii) निर्माताओं को उत्पादन के प्रत्येक चरण में विश्वसनीय निमाण निरीक्षण तरीके अपनाने चाहिये तथा सुनिश्चय करना चाहिए कि वे यूनिटों को उचित मूल्यों पर पेशकश करें ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर, लिमिटेड

4206. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अनिरुद्धन :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, केरल के प्रबन्धकों ने कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए गत सप्ताह विशेष पूजा द्वारा धार्मिक पूजापाठ करावाया था;

(ख) इस समारोह पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या यह काम सरकार द्वारा इस बारे में निर्धारित की गई नीति के अनुरूप था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उटते ।

सीमा-शुल्क कर्मचारियों के लिये समयोपरि भत्ता

4207. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समयोपरि भत्ते की नई दरों का सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) समयोपरि भत्ते की ये नई दरें सीमा-शुल्क कर्मचारियों के लिए किस तिथि से लागू की गई हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस विभाग में अतिरिक्त-समय भत्ता अधिकांश में सीमा शुल्क विभाग कर्मचारियों को ही मिलता है और उनके सम्बन्ध में अतिरिक्त समय भत्ते की दरों में संशोधन करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। किन्तु, कुछ अन्य वर्गों के कर्मचारियों, अर्थात् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नाव कर्मचारी मूल्यांक तथा सीमाशुल्क निरीक्षकों के अतिरिक्त समय भत्ते की दरों में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) संशोधित दरों का व्यौरा अनुबन्ध 'क' में दिया गया है ।

(ग) 1 मार्च, 1968 से ।

कोचीन में काम करने वाले सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारी

4208. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन में काम करने वाले सीमा-शुल्क विभाग के चतुर्थ श्रेणी (बाल) के कर्मचारियों को रात्रि में काम करने के लिये कोई समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो भूतलक्षी प्रभाव से इन कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं। कोचीन सीमा-शुल्क गृह के चतुर्थ श्रेणी के (कार्यालय से बाहर काम करने वाले) कर्मचारियों को अतिरिक्त समय की ड्यूटी पर तैनात किये जाने पर अतिरिक्त-समय भत्ता दिया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश

4209. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के चिकित्सा महाविद्यालयों में कितने स्थान हैं ;

(ख) वर्ष 1967 में उनमें कितने ऐसे विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया गया जिनके अंक 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक थे ; और

(ग) क्या अधिक चिकित्सा विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उद्देश्य से और चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) 1967 में देश के मेडिकल कालेजों की प्रवेश क्षमता लगभग 11170 थी।

(ख) सूचना राज्य सरकारों तथा मेडिकल कालेजों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 25 नये मेडिकल कालेज खोलने का एक प्रस्ताव सम्मिलित किया गया था। चौथी योजना के प्रस्तावों की पुनरीक्षा की जा रही है।

Decoration Work at the Gates of Shastri Bhavan

4210. Shri Nitiraj Singh Chaudhary: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state the name of the architect who has designed the decoration work already done and being done at the gate of Shastri Bhavan, New Delhi the amount paid to him for the same and the t otal amount to be spent thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): Shri Satish Gujral, Artist, has been doing the murals on the two main entrances of 'A' Block of Shastri Bhavan. His total remuneration for the work will not exceed Rs. 1,19,845 which is 1 per cent of the building cost. A sum of about Rs. 48,000 has so far been paid to him for the work, which is in progress.

Reserve Bank Building, New Delhi

4211. Shri Nitiraj Singh Chaudhary: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the name of the architect who designed the images of Yaksh and Yakshini installed at the Reserve Bank building; New Delhi; and

(b) the amount paid to him for the same and the total amount spent thereon?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Shri Ramkinkar of Vishwa Bharati, Shantiniketan.

(b) A total expenditure of Rs. 3.38 lakhs was incurred, including a sum of Rs. 2.20 lakhs to Shri Ramkinker towards cost of stone and other labour and service charges.

कूच-बिहार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये होस्टल

4213. श्री ब० कृ० दासचौधरी : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कूच-बिहार जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये होस्टल खोलने का है जैसा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सब्जी मंडी, दिल्ली के फल व्यापारियों और फल आढ़तियों की आय

4214. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब्जी मण्डी दिल्ली के उन फल व्यापारियों और फल आढ़तियों के नाम क्या हैं जिनकी आय गत पांच वर्षों में दस हजार रुपये से अधिक थी ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार को पता है कि वे लोग आय-कर विभाग के अधिकारियों से मिल कर पूरे आय-कर अपवंचन कर रहे हैं क्योंकि फल आढ़तियों और फल व्यापारियों की प्रति दिन की आय एक हजार रुपये से अधिक है ; और

(ग) क्या आय-कर विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 490/68**]

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Houses for Harijans

4215. Shri Ramachandra Veerapa: Will he Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the number of houses constructed and given to Harijans and the people of other backward communities during the Third Five Year Plan period;

(b) the details in this regard about each District of Mysore State;

(c) the amount proposed to be allocated for the construction and giving Houses to the said classes of people during the Fourth Five Year Plan period; and

(d) the amount proposed to be allocated for Mysore State?

The Minister of State in the Department of Social Welfare [Dr. (Smt.) Phulrenu Guha]: (a) and (b). 13,102 Houses for Scheduled Tribes. 42,458 Houses for Scheduled Castes.

For Mysore State, the figures are:

Scheduled Castes—865 Houses.

Scheduled Tribes—625 Houses.

Information is not maintained District-wise.

(c) and (d). The Fourth Plan has not yet been formulated.

Karanja Project

4216. Shri Ramachandra Veerappa: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Mysore have submitted the draft of Karanja Project to Central Government for approval;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government have given their approval to the same?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) The Project envisages construction of an earthern dam (with central spillway) near Belhalli village in Bhalki Taluka of Bidar District of Mysore. The Project will irrigate an area of 67,000 acres and is eshtimated to cost Rs. 10 crores.

(c) The Project is under examination in the Central Water and Power Commission.

आल्किलेट का निर्माण

4218. श्री रा० बरुआ : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आल्किलेट के निर्माण के लिये एक परियोजना स्थापित करने के लिये साबुन व्यापारियों तथा कुछ अमरीकी फर्मों से हाल ही में बातचीत की है ;

(ख) क्या बातचीत पूरी हो चुकी है ; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार ने इस परियोजना के बारे में कोई अस्थायी निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (ग) बरौनी बिहार राज्य में प्रक्षालक आल्किलेट के निर्माण के लिये एक संयंत्र की स्थापना के लिये अमरीका से मैसर्स अटलांटिक रिचफील्ड कम्पनी को एक आशय पत्र जारी कर दिया है। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत अपेक्षित कच्चे माल की प्राप्ति के लिए वहां एक वैक्स क्रैकर की स्थापना करना है। जनवरी, 1968 में अमरीका की फर्म के प्रतिनिधियों ने अपनी परियोजना में भारतीय सहयोगियों के साथ सरकार से परियोजना से सम्बन्धित बातचीत की और उन्होंने अब सहयोग करारों का प्रारूप प्रस्तुत किया है। उचित प्राधिकारियों की सलाह से ये परीक्षणाधीन हैं।

Officers Going on Tour Abroad

4219. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of Class I Officers of his Ministry who were posted in autonomous bodies and other Committees and Commissions, etc., during the last five years upto March, 1967;

(b) the number of those out of them who went on foreign tour; and

(c) the expenditure involved on their foreign tours and pay and allowances respectively?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Expenditure on Electricity, Water and Telephone in respect of Ministers' Residences

4220. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state the expenditure incurred on electricity, water and telephone charges respectively at the residence of the Prime Minister, Deputy Prime Minister, Cabinent Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers, separately, during 1966-67?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Appointment of Former Cabinet Secretary as Chairman of Committee on Insurance

4221. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8662 on the 10th August, 1967 and state:

(a) the total expenditure so far incurred on the appointment of the former Cabinet Secretary after his retirement;

(b) the specific considerations taken into account in appointing as the Chairman of the Committee on insurance; and

(c) whether any report has been submitted by him in this regard and if so, the details thereof?

856(Ai) LSD—7.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). Shri S. S. Khera, formerly Cabinet Secretary, was appointed in January, 1965, as Chairman of the One-Man Study Team to review the problems of life and general insurance. He relinquished this appointment in July, 1967. He was chosen because of his long and varied experience.

Shri Khera submitted the results of his studies on administrative set-up of the L.I.C., the investment machinery of the L.I.C., the problem of re-insurance and "tariffs" in general insurance. Shri Khera's reports are documents meant only for use in the Ministry and not intended for publication.

It was decided to pay Shri Khera an honorarium of Rs. 15,000 for the said assignment. Besides this, a sum of Rs. 24,300 (approximate) was spent on travelling done by Shri Khera and by officers of the Ministry who assisted him in his work.

ग्राम्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता योजनाएं

4222. **श्री अगाड़ी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता योजनाओं के लागू होने के बाद से वर्ष 1967 के अन्त तक मद्रास, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में इस योजना के अन्तर्गत ग्राम्य क्षेत्रों के लिये वर्षवार कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Vasectomy Operations

4223. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of persons operated upon under the Family Planning Scheme during the last three months in respect of persons (i) less than 18 years, (ii) more than 50 years (iii) widows, (iv) widowers, and (v) unmarried;

(b) whether Government have received complaints to the effect that the employees of the Health Department have operated upon unmarried persons and minors also; and

(c) if so, the action taken against the persons concerned?

The Minister of State in the Mnistry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandarsekhar): (a) According to the reports received till 10-3-1968, 5,37,242 sterilization operations were performed during the months of November, December, 1967 and January, 1968. In accordance with standing instructions, sterilization operations are to be performed when the wife is in the reproductive age group, and the couple has at least three children.

The statistics as asked for are not available.

(b) A few such reports have come to the Government's notice.

(c) Such cases are dealt with according to the relevant provisions of law and the rules. Strict instructions have also been issued in the matter for avoiding recurrence of such cases.

Family Planning Camps

4224. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of family planning camps organised State-wise, during the last three months;

(b) the total expenditure incurred thereon; and

(c) whether any amount was spent by the State Governments and if so, the extent thereof?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as available.

Staff of Parliament Works Division of C.P.W.D.

4226. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Parliament Works Division has discontinued payment of the children allowance to those Closs IV employees whose children are studying in the places outside Delhi;

(b) if so, the number thereof and the reasons for the discontinuance of the payment of this allowance;

(c) whether Government propose to pay this allowance to the said employees in future; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No.

(b) to (d). Do not arise.

Goods Brought by Indians from Aden

4227. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of Indian nationals who came to India as immigrants as a result of riots in Aden some months back;

(b) the value of goods brought by them and the customs duty charged thereon;

(c) whether the said goods were purchased by the State Trading Corporation; and

(d) if so, the price paid therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Information regarding the actual number of Indian nationals who came to India as immigrants as a result of riots in Aden some months back is not available, but between 1st Semptemer, 1967 and 29th February, 1968, 2538 persons of Indian origin came to India from Aden.

(b) The value of the goods, in excess of the free allowances, brought by them is about Rs. 92,000 and the customs duty charged amounts to about Rs. 84,000.

(c) The said goods were not required to be sold to the State Trading Corporation.

(d) Does not arise.

Major and Medium Irrigation Schemes of Madhya Pradesh

4228. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the names of major and medium irrigation schemes of Madhya Pradesh sent to the Central Government for approval during the year 1967-68;

(b) the names of irrigation schemes which were accorded approval and the amount sanctioned for each scheme; and

(c) when a final decision is likely to be taken in regard to the schemes which are under consideration at present?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) No major or medium irrigation scheme was received from the Government of Madhya Pradesh during the year 1967-68.

(b) and (c). Do not arise.

Pesticides Factory

4229. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether any facility is being provided by Government to set up a Pesticide Factory in the private sector; and

(b) if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) and (b). All possible assistance is being extended to the Pesticides factories in the private sector. The Industry is included in the merit list for industrial licensing and is considered as a key industry for approving foreign collaboration terms and issue of capital goods licences. For supply of imported spares, components and raw materials, it is treated as a priority industry.

नार्थ और साउथ एवन्यू में सर्वेन्ट क्वार्टरों में सफेदी

4230. **श्री मयावन :**
श्री दीवीकन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नार्थ और साउथ एवेन्यू में सर्वेंट क्वार्टरों में सफेदी संसद् सदस्यों की प्रार्थना पर ही की जाती है ;

(ख) क्या पिछले वर्ष किसी भी सर्वेंट क्वार्टर में सफेदी नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं। अन्य भवनों के समान ही इन नौकरों के क्वार्टरों में भी वर्ष में एक बार सफेदी की जाती है। तथापि यदि कोई संसद् सदस्य चाहे तो कभी सामान्य अवधि से पूर्व भी सफेदी की जाती है।

(ख) और (ग). लगभग 45 नौकरों के क्वार्टरों में सफेदी नहीं की जा सकी क्योंकि किरायेदारों द्वारा वे उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धक

4231. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा सुझाव रखा गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के सफल प्रबन्धको को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रभारी नियुक्त किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकारी उद्यमों के ऊंचे पदों को भरने के लिए सरकार अब भी सभी स्रोतों से जिन में गैर-सरकारी क्षेत्र भी शामिल है उपलब्ध योग्य व्यक्ति लेती रहती है।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी कर विधि

4232. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग सम्बन्धी कर विधि में कुछ परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा किया क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

4233. **श्री नायनार :**
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर/अक्तूबर 1966 में उत्तरी कलकत्ता के ड्राई सेल बैटरी निर्माताओं से

(जिसमें लोक नाथ ड्राई सेल बैटरी निर्माता भी शामिल हैं) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो शिकायत क्या थी ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो जांच किसने की थी और इसके क्या परिणाम निकले थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) शिकायत में कलकत्ता तथा उड़ीसा समाहर्ता कार्यालय के एक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक द्वारा कुछ ड्राई सेल निर्माताओं से गैर-कानूनी भेंट मांगने तथा स्वीकार करने के बारे में आरोप था ।

(ग) और (घ). जी हां । इस मामले में विभागीय पूछ-ताछ की गई थी जिससे प्राथमिक रूप से ऐसा लगा कि गैर कानूनी भेंट मांगने-लेने के आरोप सही थे । इसके बाद इस मामले को जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (विशेष पुलिस विभाग) के पास भेजा गया था और उस विभाग की जांच-रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उक्त निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

बज बज अग्निकांड

4234. **श्री नायनार :** **श्री भगवान दास :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के बज बज अग्निकांड में कुछ सरकारी सम्पत्ति नष्ट हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यह आग किन परिस्थितियों में लगी थी ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 28-12-67, 29-12-67 और 30-12-67 को एक जहाज से बज बज स्थित बजरों (barges) में पैट्रोल के 1430 ड्रम उतारे गये थे । बजरे चित रागंज एनकोरेज बज बज में बांध दिये थे । इन मे 1-1-1968 को लगभग 23.10 बजे आग लग गई । आग लग जाने का कारण ड्रमों का चूना बताया जाता है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूंजी विनियोजन

4235. **श्री चक्रपाणि :** **श्री रमानी :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री उमानाथ :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 से 1967 तक की अवधि में जीवन बीमा निगम ने गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी पूंजी लगाई ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग-वार कितनी-कितनी पूंजी लगाई गई; और

(ग) उक्त अवधि में इस निगम ने किन किन कम्पनियों में तथा कितनी-कितनी पूंजी लगाई और किन किन व्यक्तियों के पास इन कम्पनियों के अधिकांश अंश हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1-1-61 से 31-3-67 तक कुल 97,45.40 लाख रुपये की शुद्ध रकम गैर सरकारी क्षेत्र में लगाई गई ।

(ख)

	उद्योग का नाम	शुद्ध निवेश (लाख रु० में)		उद्योग का नाम	शुद्ध निवेश (लाख रु० में)
1.	एल्यूमोनियम	2,44.57	2.	बैंक	3,77.56
3.	सीमेंट	4,58.60	4.	कोयला	1,49.26
5.	सूती वस्त्र	15,28.86	6.	रंग, रसायन और औषध निर्माण	6,62.59
7.	बिजली	3,21.67	8.	बिजली का सामान	6,80.00
9.	इंजीनियरी	24,87.11	10.	खाद्य,पेय और तम्बाकू	85.25
11.	बीमा	(–) 26.77	12.	निवेश ट्रस्ट	10.05
13.	लोहा और इस्पात	9,40.23	14.	जूट	2,00.88
15.	दियासलाई	26.72	16.	खनन	17.10
17.	खनिज तेल	(–) 3,12.06	18.	कागज और कागज का गत्ता	3,50.54
19.	बागान	76.32	20.	रेलें	6.08
21.	रबड़ उत्पाद	1,76.53	22.	जहाजरानी और परिवहन	(–) 20.28
23.	चीनी और मिष्ठान	3,74,86	24.	वस्त्र (सूती वस्त्रों से भिन्न)	4,29.05
25.	वनस्पति तेल	1,10.22	26.	विविधि	3,90.46
				जोड़	97,45.40

(ग) अलग-अलग कम्पनियों में भारतीय जीवन बीमा निगम ने कितना रुपया लगाया है इसका व्यौरा बताना लोक हित में नहीं होगा ।

टिप्पणी: (1) 1960 के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(2) शुद्ध निवेश का अर्थ है बिक्री तथा वापसी को घटाकर खरीद ।

मानव शरीर पर जमाये हुये तेल का प्रभाव

4236. श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री एस्योस : **श्री गणेश घोष :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव शरीर पर जमाये हुये तेल के प्रभाव के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण

जमाये गये तेलों के क्या-क्या असर पड़ते हैं इस बारे में विस्तृत अध्ययन किया गया है । इन अध्ययनों से पता चला है कि मूंगफली के तेल, तिल के तेल जैसे वनस्पति तेलों में तथा गलनांक 37 अंश सें० वाले उनके जमाये हुए रूपों और मक्खन में लगभग एक समान पौष्टिक तत्व होते हैं । जमाये गये तेलों की सुपाच्यता भी वैसी ही होती है जैसी बिना जमाये गये तेलों की । भारत में बिक रहे मक्खन तथा जमायी गयी वसा में विटामिन 'ए' काफी मात्रा में होते हैं ।

मनुष्यों और बन्दरों में किये गये प्रयोगों से पता चला है कि मक्खन, नारियल का तेल और जमाये हुए तेलों से जहां सीरम का स्टोरोल स्तर बढ़ने लगते हैं, वहां वनस्पति तथा समुद्री मछलियों के तेल, जिनमें पुरु अननुविद्ध वसीयाम्ल बहुत होता है । अधिक वसा अन्तर्ग्रहण के फलस्वरूप बढ़े हुए इन स्तरों को कम करते हैं । सीरम कालेस्ट रोल के बढ़े हुए स्तरों का सम्बन्ध एथिरोस्कलेरोसिस माना गया है । इस बात के प्रमाण हैं कि सीरम कालेस्टोरोल स्तरों में अनेक तत्वों से वृद्धि की जा सकती है । इनमें भी सर्वाधिक वृद्धि आहार में प्रयुक्त प्रोटीन, विटामिन और वसा जैसी कतिपय वस्तुओं के प्रभाव से होती है । उच्च वसा वाले आहारों अथवा पुरु अननुविद्ध (पोलि अनसेचुरेटेड) वसीयाम्लों की कमी वाली वसाओं से कालेस्टोरोल स्तर बढ़े हुए पाये गये हैं । इसके विपरीत कम वसा वाले भोजन अथवा पुरु अननुविद्ध (पोली अनसेचुरेटेड) अम्लों की बहुलता वाले आहार का स्टोरोल स्तर घटने लगते हैं । इन प्रयोगों से इस तथ्य में सन्देह की कोई गुंजाइसश नहीं रह जाती कि आहार में वसीयाम्लों का सीरम कालेस्टोरोल स्तरों पर असर पड़ता है । किन्तु यह याद रखना चाहिए कि इन में से अधिकांश प्रयोग अपेक्षतया अल्प कालीन रहे हैं । क्या ये मान्यतायें वर्षों तक इसी प्रकार सही मानी जाती रहेंगी और खास कर क्या कालेस्टरोल कम करने वाले प्रभाव एथिरोस्केलेरोसिस के लिए लाभदायक हैं अथवा क्या वे कारोनरी हृदय रोगों के मामले में निरोधक सिद्ध होंगे, ये ऐसी समस्यायें हैं जिन पर अभी खोज की जानी है । इन पर भी आहार और एथिरोस्केलेरोसिस के बीच सम्बन्ध के जो सबूत मिले हैं वे अधिकांश अप्रत्यक्ष ही हैं जिनमें एथिरोस्केलेरोसिस की सीरम कालेस्टोरोल के ऊंचे स्तरों के समान रखा गया है । अतः अभी किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना तो जल्दबाजी होगी किन्तु यह कहा जा सकता है कि एक ओर मक्खन, जमाये हुए तेल जैसी वसाओं को मिला जुला कर खाना तथा दूसरी ओर तिल, मूंगफली आदि जैसे कच्चे वनस्पति तेल खाना अच्छा रहता है । इस प्रकार मनुष्य के शरीर में खाने के साथ कैलौरी और पोलि अनसेचुरेटेड अम्ल पर्याप्त मात्रा में पहुंच जायेंगे ।

कीटनाशी दवाइयां

4237. **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री नम्बियार :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'जर्मन पेस्टीसाइड लॉ में पोज़ प्रौब्लम्ज़ फार यू० एस० फार्म ट्रेड' (जर्मनी की कीटनाशी दवाइयों सम्बन्धी कानून से अमरीकी प्रक्षेत्र व्यापार के लिये समस्यायें उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है), शीर्षक के अन्तर्गत नेशनल एग्रीकलचरल कैमिकल एसोसिएशन

एण्ड पेस्टीसाइड रिव्यू (एन०ए०सी० न्यूज) खंड 25, अंक 5, जून, 1967 में प्रकाशित जर्मन कीटनाशक दवाइयों सम्बन्धी कानून और अमरीकी प्रक्षेत्र व्यापार संबन्धी लेख का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को परिस्थिति की पूरी जानकारी है और शुद्ध भोजन एक्ट (प्योर फूड एक्ट) के अन्तर्गत खाद्य वस्तुओं पर कीटनाशक अवशेषकी उचित मात्राएं निर्धारित की जा रही हैं ।

संसद्-सदस्यों के क्वार्टरों का संसद्-सदस्यों से भिन्न लोगों को आवंटन

4239. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद्-सदस्यों के कितने क्वार्टरों में इस समय अन्य लोग रह रहे हैं;

(ख) इस तरह का क्वार्टर देने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या वे लोग वही किराया दे रहे हैं जो संसद्-सदस्य देते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो वे कितना किराया देते हैं; और

(ङ) उन में से कितने बंगले हैं और कितने नार्थ और साउथ एवेन्यू की तरह के फ्लैट हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ). अस्थाई रूप से सामान्य पूल में उपयोग के लिए लोक सभा/राज्य सभा के द्वारा नार्थ तथा साउथ एवेन्यु में 21 फालतू फ्लैट दे दिये (सरेंडर्ड) गये हैं । इनमें से 16 फ्लेटों को, संसद-सदस्यों को देय छूट के बगैर ताकि सरकार के राजस्व की हानि को बचाया जा सके, मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत संपूर्ण पूल्ड मानक किराये के भुगतान के आधार पर पात्र सरकारी कर्मचारियों को आवंटित कर दिये गये हैं। नार्थ तथा साउथ एवेन्यु, दोनों में एक-एक फ्लैट पुलिस पोस्ट के उपयोग के लिए दिल्ली प्रशासन को सौंप दिये गये हैं। दो फ्लैट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय (सेन्ट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम डिसपेंसरी) के उपयोग के लिए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सौंप दिये गये हैं। एक फ्लैट, लेडी हार्डिंग मैडीकल कालेज एंड हास्पिटल, नई दिल्ली के एक सर्जन को बाजार-किराये की अदायगी पर आवंटित कर दिया गया है। संसद-सदस्य पूल से कोई बंगला गैर संसद्-सदस्य को आवंटित नहीं किया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में पम्प जलाशय योजना

4240. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से 100 मैगावाट बिजली तैयार करने के लिये नागार्जुनसागर में आरम्भ की जाने वाली पम्प जलाशय योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने और योजना आयोग ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

बजट प्रस्तुत किये जाने पर मूल्यों में वृद्धि

4241. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968-69 के बजट के अन्तर्गत करारोपण के प्रस्तावों की घोषणा किये जाने के कुछ ही मिनटों में अनेक वस्तुओं के मूल्य, जैसे पटसन उत्पादन, रसायन, सिगरेट और शराब बढ़ गये थे और इन वस्तुओं का स्टाक बाजार से गायब हो गया था;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में अननु-पातिक वृद्धि नहीं होती है सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस बीच इन वस्तुओं के मूल्य कम हो गये हैं और यदि हां, तो कितने ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) इन वस्तुओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नही है । बजट से पहले और बजट के बाद, मूल्यों में इस प्रकार की घट बढ़, हर साल होती है लेकिन यह एक अस्थायी घटना होती है और मूल्यों में यथासमय अपने आप समायोजन हो जाता है । जहां तक अत्यावश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों को अन्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार दिये गये हैं और यह राज्य सरकारों का काम है कि वे अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में होने वाली अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को काम में लाएं ।

आय-कर अधिकारी पद की परीक्षा

4242. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर अधिकारियों के कुछ पदों पर नियुक्ति करने के लिये उम्मीदवारों का चयन करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने दिसम्बर, 1966 में एक परीक्षा ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम अभी तक घोषित नहीं किये गये हैं और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणाम कब तक घोषित किये जाने की संभावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यादेश को देखते हुए परीक्षाफल का प्रकाशन रोक दिया गया । स्थगन-आदेश न्यायालय द्वारा हाल ही में वापस लिया गया है । आगे की कार्यवाही के बारे में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ग) आशा की जाती है कि परीक्षाफल शीघ्र ही घोषित कर दिया जाएगा ।

नन्दीग्राम आन्ध्र प्रदेश में श्रमदान योजना

4243. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा नन्दीग्राम में आरम्भ की गई श्रमदान योजना सफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक तथा किस प्रकार ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के नन्दीग्राम ताल्लुक में 15 दुर्गम और अर्धविकसित ग्राम श्रमदान स्कीम के अन्तर्गत आते हैं। ग्रामीणों द्वारा मुफ्त काम करने तथा स्थल पर बिना भाड़े के सामग्री पहुंचाने से इन गांवों में बिजली लगाने की लागत लगभग 80000 रुपये कम हो गई जिस से राज्य बिजली बोर्ड इस कार्य को मितव्ययिता-पूर्वक कार्यान्वित करने के लिये हाथ में ले सका। दिसम्बर 1967 तक 13 गांवों को बिजली दी गई। इस स्कीम की सफलता के कारण किसानों ने कहा है कि वे राज्य बिजली बोर्ड को श्रमदान और धन की पेशगियाँ देने को तैयार हैं ताकि इस क्षेत्र के अन्य ग्रामों में बिजली लगाने के लिये उनके संसाधनों में वृद्धि हो सके।

इण्डिया गेट से किंग जार्ज पंचम की प्रतिमा हटाना

4244. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया गेट नई दिल्ली से किंग जार्ज पंचम की प्रतिमा हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके स्थान पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन–2

4245. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी विनिमय काउंटरों पर बदलने के लिये पेश की जा रही विदेशी मुद्रा की राशि काफी कम होती जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी मुद्रा बदलने में इस कमी का कारण यह है कि विदेशी मुद्रा के तस्कर व्यापारी प्रतिनिधियों को अधिक विनिमय दरें दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिए खोले गये विशेष काउंटरों पर विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में परिवर्तन करने में कोई उल्लेखनीय गिरावट की प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी है।

(ग) विदेशी मुद्रा के अवैध सौदे रोकने के उपाय पहले से ही किये हुए हैं। अवैध रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के प्रयत्नों को असफल बनाने की दृष्टि से दलालों तथा विदेशी मुद्रा के अवैध सौदे करने का जाल-चक्र चलाने वाले जाने माने लोगों पर सामान्य निगरानी बढ़ा दी गई है।

डुबाई से भारत में निषिद्ध सोना लाया जाना

4246. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 फरवरी, 1968 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुए उस लेख की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि डुबाई से भारत में निषिद्ध सोना लगातार आ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) डुबाई से सोने का अवैध आयात तथा अन्य तस्करी-आयात को रोकने के लिये सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं उनमें कुछ ये हैं :—

सूचना को ठीक ढंग से इकट्ठा करना और उसके आधार पर काम करते रहना, विश्वसनीय मुखबिरों को नियुक्त करना और तस्करों के विभिन्न गिरोहों पर गिरानी रखना, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की तलाशी लेना, तटवर्ती समुद्र, समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के पार करने योग्य भागों की गश्त करना, विभागीय न्याय-निर्णय के अलावा उपयुक्त मामलों में मुकदमें चलाना।

गठिया रोग के उपचार की कांग्रेस

4247. **श्री नंजा गोडर** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गठिया रोग निरोधी दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशान्त महासागर क्षेत्र लीग की पहली कॉंग्रेस का उदघाटन हाल में बम्बई में किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में उसमें क्या सिफारिशें की गई थीं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई।

तालचेर का ताप बिजली घर

4248. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर के ताप बिजली घर में पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली का पूर्ण उपयोग किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो बिजली के उपयोग के बारे में किये गये सर्वेक्षण का व्यौरा क्या है ;

(ग) जब तालचेर के ताप बिजली घर में बिजली पैदा होने लग जायेगी क्या उसके पश्चात् भी उड़ीसा में बिजली की कोई कमी रहेगी; और

(घ) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा उसमें सरकार का कितना अंश होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययनों के अनुसार अगले तीन वर्षों में उड़ीसा की विद्युत् स्थिति निम्नलिखित होने की सम्भावना है :—

वर्ष	प्रतिष्ठापित क्षमता (मै० वाट)	स्थायी क्षमता (मै० वाट)	अधिकतम माँग (मै० वाट)	फालतू (+) अथवा कमी (−) (मै० वाट)
1968-69	554	383	285	(+) 95
1969-70	554	383	312	(+) 71
1970-71	554	383	358	(+) 25

(ग) जी, नहीं।

(घ) तालचेर ताप विद्युत् केन्द्र प्रयोजना की अनुमित लागत 29.67 करोड़ रुपये है। परियोजना पर धन पूर्णतया उड़ीसा सरकार द्वारा लगाया जा रहा है।

दाऊदी बोहराओं के मुल्लाजी द्वारा विदेश से प्राप्त धन का हिसाब दिया जाना

4249. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दाऊदी बोहराओं के मुल्लाजी ने विदेशों में भारतीय नागरिकों को एजेन्टों के रूप में नियुक्त कर रखा है और ये एजेन्ट नकदी के रूप में काफी उपहार तथा नजराने एकत्रित कर रहे हैं ;

(ख) क्या मुल्लाजी पर विदेशी मुद्रा नियम लागू होते हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या वर्ष 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 तथा 1965-66 में स्वर्गीय मुल्लाजी डा० टी० सैफुद्दीन तथा वर्तमान मुल्लाजी डा० एम० बुराहनुद्दीन साहब ने विदेशों से प्राप्त रकमों का ब्यौरा भारत के रिजर्व बैंक तथा/अथवा आय-कर विभाग को दिया; और

(घ) यदि हाँ, तो कितनी राशि बताई गई ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को पता है कि पिछले वर्षों में दाऊदी वोहरा सम्प्रदाय के धार्मिक प्रधान को विदेशों में उपहार भेंट किये गये हैं और उसने उन्हें स्वीकार किया है। इस स्थिति का पता लगाया जा रहा है कि क्या रोकड़ रूप में "उपहार तथा नजराने" एकत्र करने के लिए कोई भारतीय नागरिक विदेशों में "एजेन्ट" नियुक्त किये गये हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायगी।

स्वर्गीय डा० टी० संफुद्दीन की सम्पत्ति के बारे में सम्पदा शुल्क का भुगतान

4250. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन की सम्पदा शुल्क के उद्देश्य से मूल्यांकन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी सम्पदा का मूल्य कितना है और कुल कितना सम्पदा शुल्क बकाया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इस काम के पूरा हो जाने की संभावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। सम्पदा शुल्क निधारण पूरा नहीं हुआ है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) इस समय मामले की जांच-पड़ताल चल रही है और वह पूरी हो जाने पर करनिरधारण की कार्यवाही यथासंभव शीघ्र पूरी कर दी जायगी।

मनीपुर में परिवार नियोजन योजनाएं

4251. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मनीपुर में आरम्भ परिवार नियोजन योजनाओं का व्यौरा क्या है ;

(ख) मनीपुर में अब तक कितने परिवार नियोजन केंद्र खोले गये हैं ;

(ग) कितने डाक्टरों को परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया है और उनके नाम क्या हैं; और

(घ) 1967-68 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और अब तक उन पर कितना धन व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) छः डाक्टरों को परिवार नियोजन में प्रशिक्षण दिया गया है। उनके नाम हैं :—

(1) डा० एन० जी० बुद्धिमन्त सिंह

(2) डा० सत्यावती देवी ।

(3) डा० (श्रीमती) पाम घोष

(4) डा० वाई० इबेमा देवी

(5) डा० ए० जुगेश्वर सिंह

(6) डा० कृष्ण चन्द्र सिंह

(घ) 1967–68 वर्ष के लिए 2 लाख 24 हजार रुपये की राशि का नियतन किया गया है । 31–12–1967 तक लगभग 14,000 रुपये खर्च हुए थे ।

विवरण

मणिपुर की परिवार नियोजन योजनायें समस्त देश के लिए बनाए गए परिवार नियोजन कार्यक्रम के सामान्य आदर्श पर चलती हैं, जैसे :—छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित और शिक्षित करना, और गांवों और नगरों के परिवार नियोजन केन्द्रों और उपकेन्द्रों तथा चलते फिरते एककों द्वारा, जहां तक सम्भव हो सके, लोगों के घरों के निकट से निकट स्थान पर परिवार नियोजन की सेवाएं और सप्लाई पहुंचाना । जन-शिक्षा और प्रेरणा का काम सभी उपलब्ध प्रचार साधनों द्वारा किया जाता है । सेवाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अभी तक एक नगरीय और 11 ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की स्थापना की है । इसके अतिरिक्त तीन अन्य चिकित्सा संस्थाएं भी गर्भनिरोध के विभिन्न तरीकों पर सलाह देती हैं । एक चलते फिरते नसबन्दी एकक का भी प्रयोग किया जा रहा है । 10–3–1968 तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1967–68 वर्ष के दौरान 108 नसबन्दी आपरेशन किए गए और 784 लूप पहनाए गए । राज्य में कार्यक्रम को तीव्र करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

मनीपुर में आयकर की बकाया राशि

4252. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की उन फर्मों तथा उद्योगों के नाम क्या हैं, जो प्रतिवर्ष 5000/– रुपए से अधिक आयकर देते हैं;

(ख) उन फर्मों/उद्योगों के नाम क्या हैं, जिनसे आयकर की 10,000 रुपए अथवा इस से अधिक राशि लेनी बकाया है; और

(ग) आयकर की वसूली को ठीक करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

भारतीय तेल निगम द्वारा तीव्र गति डीजल तेल का उत्पादन

4253. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम द्वारा तीव्र गति डीजल तेल का अब तक कितना उत्पादन किया गया है ;

(ख) भारत द्वारा विदेशों को तीव्र गति डीजल तेल का अब तक कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है ; और

(ग) निर्यात का क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) 1967 के दौरान भारतीय तेल निगम को कुल लगभग 1.8 मिलयन मीटरी टन डीजल उपलब्ध था ।

(ख) भारत से अब तक (1967 तक) 152,000 मीटरी टन तीव्र गति डीजल तेल निर्यात किया गया ।

(ग) कोई तत्कालिक निर्यात वचनबद्धता नहीं है परन्तु समय-समय पर उत्पाद की उपलब्धता पर निर्यात प्रोग्राम तय किया जायेगा ।

नेफ्था का उत्पादन

4254. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तेल शोधक कारखानों का नेफ्था के उत्पादन का क्या कार्यक्रम है और उसमें इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का कितना अंश है ;

(ख) अब तक कुल कितना उत्पादन किया गया है; और

(ग) अब तक नेफ्था का कितना निर्यात किया गया है और इस से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख). 1968 में हल्के आसुत का अनुमानित कुल उत्पादन 28 लाख मीटरी टन है, जिसमें भारतीय तेल निगम का अंश लगभग 32 प्रतिशत होने की सम्भावना है । 1967 के दौरान हल्के आसुत का कुल उत्पादन 24 लाख टन था जिसमें भारतीय तेल निगम का हिस्सा 22 प्रतिशत था ।

(ग) नेफ्था का 1964 से 1967 तक कुल निर्यात 1,276,663 मीटरी टन था जिसका मूल्य 12.80 करोड़ रुपये था ।

समाज कल्याण बोर्ड

4255. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है समाज कल्याण बोर्डों केवल समृद्ध संस्थाओं को ही लाभ पहुंच रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समाज कल्याण बोर्डों ने गरीब और उपयुक्त वर्गों की अपेक्षा धनवान वर्गों के लिये रोजगार की व्यवस्था की है ; और

(ग) बोर्डों में अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह] : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में अनुसूचित जातियों के सात कर्मचारी हैं। राज्य बोर्डों के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

तीनों योजनाओं में राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये धन का नियतन

4256. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी-कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ;

(ख) इन तीनों योजनाओं में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितना धन नियत किया गया है ;

(ग) इन तीनों योजनाओं में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिये प्रति व्यक्ति अथवा प्रति राज्य धनराशि का नियतन करने की कसौटी क्या रही ; और

(घ) उस राज्य का नाम क्या है जिसे इन तीनों योजनाओं में सब से कम राशि का नियतन किया गया है, उसके बाद किस का नम्बर आता है तथा उसके बाद किस राज्य का नम्बर आता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है, जिसमें तीनों पंचवर्षीय आयोजनाओं की अवधियों में राज्यों को दी गयी कुल और प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता और संघीय राज्य-क्षेत्रों का कुल और प्रति व्यक्ति आयोजना सम्बन्धी परिव्यय दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 491/68**]

(ग) केन्द्रीय सहायता का निर्धारण प्रति व्यक्ति रकम के अनुसार नहीं किया जाता। जहां तक संघीय राज्य-क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उनका आयोजना सम्बन्धी परिव्यय केन्द्रीय सरकार के खर्च का ही हिस्सा होता है और यह परिव्यय, केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध साधनों का ध्यान रखते हुए, उनकी विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर तय किया जाता है।

जहां तक पहली तीन आयोजनाओं के दौरान राज्यों के बीच केन्द्रीय सहायता के वितरण का प्रश्न है, यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि सारे राज्यों के लिए एक ही मापदंड या समान सिद्धांत लागू करना संतोषजनक नहीं होगा। लेकिन आयोजना परिव्ययों और केन्द्रीय सहायता का निर्धारण करते समय जिन सामान्य बातों को ध्यान में रखा गया था वे इस प्रकार है :—

(1) आबादी ;

(2) सिंचाई और बिजली की बड़ी प्रायोजनाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, आयोजना शुरू होने की अवधि से पहले से आगे लाये गये वचन;

(3) अलग-अलग राज्यों द्वारा प्राप्त विकास का स्तर और उनकी विकास क्षमता; और

(4) राज्यों द्वारा अपने ही वित्तीय साधनों से विकास-आयोजनाओं का खर्च जुटाने की क्षमता।

यह सूचना उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के संदर्भ में सभा की मेज पर रखे गये विवरण में दी गयी है।

856(ai)LSD—8.

गोल मार्केट (नई दिल्ली) में सरकारी रिहायशी क्वार्टरों को गिराने की योजना

4257. **श्री राम स्वरूप** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूल-पार्कों कार पार्कों और सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के लिये सरकारी रिहायशी क्वार्टरों को बहुत बड़े पैमाने गिराये जाने के कारण गोल मार्केट के इलाके में रिहायशी माकनों की संख्या कम होती जा रही है ;

(ख) गिराने और निर्माण की यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत किन्हीं इलाकों को किसी नमूने के और बिना नमूने के इलाकों की संज्ञा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इनका अभिप्राय क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के जोनल प्लान के अनुसार सुविधाजनक प्रक्रमों में इस क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाना है । उन क्वाटरों को गिराया जा रहा है जोकि खतरनाक घोषित कर दिये गये हैं, अथवा जिनमें अत्याधिक मरम्मरत की आवश्यकता है अथवा जो स्कूलों संस्थाओं आदि के लिए आवंटित क्षेत्र में हैं।

(ख) दिल्ली के मास्टर प्लान के अंतर्गत पुनर्विकास 1981 तक पूरा हो जाना है । यह बताना संभव नहीं कि गाल मार्केट क्षेत्र का पुनर्विकास कब पूरा होगा ।

(ग) और (घ) जी हां । जिन क्षेत्रों का वर्तमान भूमि उपयोग वही है जोकि निर्धारित जोनल प्लान में हैं, उन्हें "नमूने" के इलाके, (कन्फर्मिग एरियाज) की संज्ञा दी गयी है । "बिना नमूने" के इलाके (नान-कन्फर्मिंग एरियाज) वे हैं जिनका वर्तमान भूमि उपयोग निर्धारित जोनल प्लान से भिन्न है ।

आय-व्ययक के प्रस्तावों का समूचे राष्ट्रीय उत्पादन पर प्रभाव

4258. **श्री शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित करों तथा परिष्कर्ता उद्योगों के सम्बन्ध में आय-व्ययक के प्रस्तावों को और बैंक दर को, जो 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, ध्यान में रखते हुए क्या वर्तमान ऋण नीति में उदारता बरती जाती रहेगी; और

(ख) क्या इन आय-व्ययक प्रस्तावों के परिणामस्वरूप समूचे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार और रिजर्व बैंक ऋण-नीति पर लगातार विचार करते रहते हैं और आवश्यक होने पर उस में परिवर्तन किये जाते है । ऋण-नीति में, भविष्य में किये जाने वाले परिवर्तनों की घोषणा सरकार, पहले से नहीं कर सकती ।

(ख) बजट प्रस्तावों का एक मुख्य उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था को फिर से गतिशील बनाना है और सरकार को आशा है कि इसके परिणामस्वरूप कुल (ग्रास) राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ मकान बनाने का कार्यक्रम

4259. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास की समस्या को हल करने के लिये नगरो में गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ मकान निर्माण कार्यक्रम आरम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). नगरीय क्षेत्र में, गैर सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर आवासीय निर्माण की संभावनाओं अथवा अन्यथा पर विचार किया जा रहा है ।

कैंसर की औषधि

4260. श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर पर नियंत्रण करने तथा इसका उन्मूलन करने की औषधि का जापान में आविष्कार किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत में ऐसी औषधि तैयार करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख) जहाँ तक हमारी जानकारी है कैन्सर के इलाज के लिए गत दस वर्षों में जापान में निम्नलिखित दवाओं का प्रयोग किया गया है :—

1. नाइट्रोमिन
2. सार्कोमाइसिन
3. माइटोमाइसिन 'सी'
4. मर्फिरिन

ये दवाइयाँ अधिस्वामिक दवाइयाँ हैं जो भारत में नहीं बनायी जाती हैं ।

दिल्ली में स्पिरिट की कमी

4261. श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्पिरिट की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कारण है तथा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कब तक स्थिति सुधर जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमया) : (क) दिल्ली को मिलाकर सारे देश में स्पिरिट (अल्कोहल) की कमी है। कुछ अन्य राज्यों के मुकाबले में दिल्ली में उपलब्धता की स्थिति अच्छी है।

(ख) स्पिरिट का उत्पादन खांड उद्योग के उपोत्पाद शीरे की उपलब्धता पर निर्भर है। पिछले मौसम 1966–67 के दौरान खांड का कम उत्पादन और चालू मौसम 1967–68 के दौरान अनुमानित उत्पादन कमी के कारण हैं। कुल उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये स्पिरिट के आयात के प्रबन्ध किये गये हैं तथा स्पिरिट के वितरण के लिये कुछ अग्रताएं दी गई हैं और घाटे वाले राज्यों, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, को आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति के लिये अन्तर्राज्य आवंटन भी किये गये हैं।

(ग) चालू खांड मौसम (नवम्बर, 1967 से अक्तूबर, 1968) के दौरान, स्थिति में पर्याप्त सुधार होने की आशा नहीं है। आगामी मौसम 1968–69 के दौरान उत्पादन का इतना पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

गर्भ-निरोधकों में आत्मनिर्भरता

4262. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि सरकार ने बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन कार्यक्रम आरम्भ किया है, किन्तु देश को काफी समय तक आयातित गर्भ-निरोधकों पर निर्भर रहना पड़ेगा और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर होने के लिए दीर्घकालिक उपाय क्या किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) निरोध के अतिरिक्त, परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रयोग में लाये जाने वाले अन्य प्रकार के गर्भ-निरोधकों में देश आत्म-निर्भर है। हो सकता है निरोध का आयात कुछ समय के लिए जारी रखना पड़े, क्योंकि आवश्यकता के अनुकूल स्वदेशी उत्पादन होने में अभी समय लगेगा।

(ख) निजी क्षेत्र में निरोध उत्पादन की आधिकारिक क्षमता बढ़ा दी गई है और यथाशीघ्र उत्पादन आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राजकीय क्षेत्र में हिन्दुस्तान लेटक्स लिमिटेड द्वारा एक निरोध उत्पादक कारखाना त्रिवेन्द्रम में स्थापित किया जा रहा है जो 1968 के अन्त तक 14 करोड़ 40 लाख निरोध हर साल तैयार किया करेगा। इस कारखाने में उत्पादन क्षमता को दुगुना करने की व्यवस्था है। निरोध के स्वदेशी उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है ताकि देश में जितनी माँग है, उतना उत्पादन किया जा सके।

आन्ध्र प्रदेश सरकार की ऋण के लिये प्रार्थना

4263. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिये 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है और केन्द्रीय सरकार को वचन दिया है कि यदि उसे यह सहायता दी गई, तो वह प्रति वर्ष एक लाख टन अतिरिक्त अनाज देगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई ऐसी प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक उद्योग में संगठनात्मक परिवर्तन

4264. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने, जिसमें कुछ अमरीकी विशेषज्ञ भी हैं, सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उद्योग में कुछ संगठनात्मक परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :
(क) जी हाँ ।

(ख) रिपोर्ट का निष्कर्ष और सिफारिशों का सारांश का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

विवरण

1. एक अकेला सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक निगम होना चाहिए ।

2. निगम 6 या 7 सदस्यों के बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाना चाहिए । इस बोर्ड में पूरे समय के लिए कार्य करने वाले निदेशक और दो सरकारी प्रतिनिधि हों ।

3. निगम के मुख्यालय कार्यात्मक प्रभागों के प्रधानों द्वारा संगठित होने चाहिएं ; जो सेवा करते हों और विस्तृत विकेन्द्रीकरण नीति के अन्तर्गत यूनिट तथा प्रादेशिक कार्यकलापों का नियंत्रण करते हों ।

4. गवेषणा, डिजाइन और इंजीनियरिंग ग्रुपों और उत्पादन यूनिटों के बीच पूर्णतया अलग प्रशासन स्थापित किया जाना चाहिए ।

5. एक तकनीकी निदेशक के अधीन पी और डी और फीडों को एण्टोटीज के रूप में जारी रखना चाहिए, जो गवेषणा, डिजाइन और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे ।

6. पी और डी और फीडो द्वारा कुछ परियोजनाओं पर उप-संयंत्रों का अलग इंजीनियरिंग संभाव्य है ।

7. नई परियोजनाओं के लिए एक निदेशक के पद का सृजन किया जाए, जो सारी नई परियोजनाओं और मुख्य विस्तार के निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा।

8. निगम से बाहर भारतीय नियुक्त संस्थाओं द्वारा देशीय रूपांकन, इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य को और विकसित करना चाहिए। इन संस्थाओं द्वारा रूपांकन करना और संरचनाओं को बनाना और कार्य जो प्रत्यक्ष रूप में रसायन प्रक्रियों में शामिल नहीं है, किये जाएं।

9. निरीक्षण करने, उत्पादन एवं निर्माण को शीघ्र सम्पादित करने और भारत या विदेश में बनाये गये उपकरणों के परिवहन के लिये तकनीकी प्रभाग में अलग ग्रुप स्थापित किये जाने चाहिएं।

10. कारपोरेशन के सारे निर्माण करने वाले यूनिटों के उत्पादों और ऐसे उर्वरकों को बेचने के लिए, एक अलग मार्किटिंग प्रभाग खोला जाना चाहिए, जो दूसरी सरकारी क्षेत्रीय निगमों में संयंत्रों द्वारा उत्पादित किये जाते हों तथा उनके मुख्य कार्यों के प्रासंगिक हों ।

11. मार्किटिंग प्रभाग देश में प्रदेशों और क्षेत्रों में संगठित किया जाना चाहिए और इन्हें केन्द्रीय मुख्यालयों के निदेशक के अधीन कार्य करना चाहिए ।

Electrification of Villages

4265. Shri Chandra Shekhar Singh: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the total number of villages in India; and

(b) the time by which all of them are likely to be electrified?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) There are 5,66,878 villages in India according to 1961 census.

(b) Up to 30th September, 1967, 57,660 villages have been electrified representing 10.1 per cent of the total number of villages. The following numbers of additional villages were electrified during each of the three Five Year Plans:

First Plan—**6,072**
Second Plan—**16,286**
Third Plan—**24,628**

Since the beginning of the Fourth Plan, the emphasis in rural electrification has shifted towards energisation of irrigation pumping sets for increasing agricultural production. From 1st April, 1966 to 31st March, 1968, about 12,300 additional villages are expected to be electrified. It is difficult to indicate the time by which all the villages in India are likely to be electrified as this will depend upon the targets fixed and the provisions made in this behalf in the Fourth and the subsequent Plans.

दस रुपये के चांदी के सिक्के

4266. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कि जनता प्रस्तावित दस रुपये के चांदी के सिक्कों को जमा न करे, क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकार केवल एक खास सीमित संख्या में स्मारक सिक्का जारी करना चाहती है (इस संख्या के बारे में अभी फैसला किया जाना है) । यह सिक्का भारत में जारी किया जायेगा और विदेशों में भी बेचा जा सकेगा । विदेशों में इन सिक्कों की बिक्री से विदेशी मुद्रा की कुछ आमदनी होने की सम्भावना के अलावा, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, अर्थव्यवस्था पर और किसी उल्लेखनीय प्रभाव के पड़ने की आशा नहीं है । चूंकि सिक्के का अंकित मूल्य, सिक्के के धात्विक अंश से अधिक होगा, इसलिए इस बात की कोई सम्भावना नहीं कि सिक्के की जमाखोरी के लिये कोई प्रोत्साहन मिले ।

Staff Car for Central Government Employees

4267. Shri Chandra Shekhar Singh: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide staff cars to the staff residing in far flung colonies in Delhi working late in the offices when other means of transport are not available;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) In certain departments where the nature of work demands it, Government transport is made available as a standing arrangement to the staff required for duty at night. In others, non-gazetted employees required to work beyond normal working hours are compensated by payment of overtime allowance. Conveyance charges are also allowed in certain circumstances. However, there is no bar on the use of staff car in extreme situations when the staff is required to work very late in the night and when no other means of transport is available. The use of staff cars in such cases is, however, dependent upon their availability and administrative considerations, including that of the extra expenditure on overtime allowance of the driver.

खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले

4268. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1965 से 1967 तक की अवधि में खाद्य पदार्थों में मिलावट के राज्यवार कितने मामलों का पता लगाया ; और

(ख) कितने मामलों में चालान किये गये तथा सजा दिलाई गई ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख) 1965 और 1966 वर्षों के लिये अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 492/68]** 1967 वर्ष की सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रंगपुर कूच बिहार सीमा पर स्थित भारतीय राज्यक्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे का समाचार

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : मैं वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"रंगपुर कूच बिहार सीमा पर स्थित भारतीय राज्यक्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे का समाचार"

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : 8 मार्च, 1968 को रेडियो पाकिस्तान से प्रसारित समाचार को सरकार ने देखा है जिसमें यह कहा गया है कि रंगपुर जिले के चिलहाटी क्षेत्र में भारत ने पाकिस्तानी भूमि के एक बड़े भाग पर कब्ज़ा कर रखा है।

सम्भवत: इस समाचार का अभिप्राय चिलहाटी गांव की 512 एकड़ भूमि से है। इस क्षेत्र की स्थिति के सम्बन्ध में 29 नवम्बर, 1963 को तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने इस सभा में स्पष्टीकरण कर दिया था। उस समय यह बताया गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वयं केन्द्र को वर्ष 1957 में यह सूचना दी थी कि देवीगंज थाने के चिलहटी गांव में 512 एकड़ भूमि गलत रूप से कब्ज़े में है। इसमें यह भी कहा गया था कि देश के विभाजन के समय से ही चिलहाटी गांव बंगाल सरकार के कब्ज़े में है और उस गांव के 512 एकड़ क्षेत्र का बेरुबाड़ी के सम्बन्ध में किये गये भारत-पाकिस्तान समझौते से कोई सम्बन्ध नहीं है। चिलहाटी क्षेत्र के सम्बन्ध में बाद में रैडक्लिफ निर्णय हुआ जिसमें यह कहा गया कि इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा देवीगंज थाने के उत्तरी कोने से होकर जायेगी।

इस क्षेत्र में सीमा का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ और यह क्षेत्र हमारे कब्ज़े में है।

वर्ष 1964 में बेरुबाड़ी तथा चिलहाटी गांव के आस पास के क्षेत्रों के कुछ लोगों ने कलकत्ता उच्च-न्यायालय में यह आवेदन दिया कि यह क्षेत्र देवीगंज थाने का उत्तर-पूर्वी कोना नहीं है अपितु जलपाईगुडी थाने का एक भाग है और इस प्रकार यह भारत का अंग है। कलकत्ता उच्च-न्यायालय ने यह आवदन अस्वीकृत कर दिया। अपील करने पर उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 1965 में कलकत्ता उच्च-न्यायालय का समर्थन कर दिया था।

पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी पाकिस्तान के भूमि सम्बन्धी कागजात तथा सर्वेक्षण के निदेशक चिलहाटी क्षेत्र में सीमा निर्धारण करने के लिए सहमत हो गये थे। गत नवम्बर में इस सम्बन्ध में

कार्य आरम्भ किया जाना था, किन्तु ऐसा हो नहीं सका क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने भारत के प्रतिनिधि की सलाह के बिना ही अपने कर्मचारियों को वापिस बुला लिया। तब से इस दिशा में और कोई प्रगति नहीं हो सकी।

Shri K. N. Tiwary: Why the boundaries have so far not been demarcated between India and Pakistan? What steps have been taken to settle this issue since the representative of East Pakistan had withdrawn his field staff?

Shrimati Indira Gandhi: No steps have so far been taken. In certain areas, like Mizo Hills demarcation could not be completed due to some particular reasons.

श्री चे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : इस ध्यानाकर्षण सूचना में भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे के समाचार के बारे में जानकारी मांगी गई थी किन्तु प्रधान मन्त्री के वक्तव्य में कुछ दूसरी ही बातें कही गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस तथ्य की ओर सरकार का ध्यान गया है या नहीं। चूंकि यह उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है तथा कोई भी क्षेत्र उस क्षेत्र के निवासियों को उचित मुआवजा दिये बिना किसी दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता है, पता नहीं भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार भूमि सम्बन्धी कागजातों आदि के निदेशकों के सम्मेलन में इस सीमा को हस्तान्तरित करने के लिए कैसे सहमत हो सकती है ?

सरकार तथा प्रधान मन्त्री ने सारे मामले को दबाया है। कलकत्ता से निकलने वाले 13 मार्च, के समाचार-पत्र बसुमती में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि रंगपुर–कूच बिहार जिले के सम्पूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में सेना जमा कर रखी है तथा उस क्षेत्र में भारी तनाव है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को बड़ी संख्या में हथियार दिये जा रहे हैं। भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठिये भेजे जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में भारी तनाव को देखते हुए गत 26 फरवरी को इन क्षेत्रों के भारतीय और पाकिस्तानी कमाण्डरों की एक बैठक हुई थी। किन्तु तनाव को कम करने के लिए कोई समझौता न हो सका। इस बैठक के अन्त में पाकिस्तानी कमाण्डर ने यह मांग की थी कि रंगपुर–कूच बिहार का तिस्तनाड़ी-पयास्थी नाम सम्पूर्ण सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान में जाना चाहिए। इस प्रकार ये पाकिस्तानी अधिकारी झगड़े के लिए एक दूसरा तरीका निकाल रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के इस प्रकार के निराधार दावों को रोकने के लिए सरकार की कोई निश्चित नीति है ? क्या इस विशेष क्षेत्र तिस्ता नाडिर पयोस्थी अथवा नितस्था की भूमि अथवा तिस्था डेल्टा के बारे में पाकिस्तान ने रैड क्लिफ पंचाट अथवा बागे पंचाट अथा भारत और पाकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय किसी बैठक में दावा किया था ? इन क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करने तथा निकट भविष्य में पाकिस्तान के आक्रमण को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : न्यायालय में बेरुबाड़ी का मामला है न कि चिलहाटी का। चिलहाटी का मामला रैडक्लिफ पंचाट के अन्तर्गत आता है। उस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के असाधारण जमाव की पुष्टि हमें प्राप्त जानकारी से नहीं होती है। मुझे बताया गया है कि जब कभी तनाव की स्थिति पैदा होती है तो दोनों ओर के क्षेत्रीय कमाण्डरों की बैठक होती है और वे स्थिति पर विचार करके तनाव को दूर करने का प्रयत्न करते हैं।

श्री चे० कृ० दासचौधरी : 26 फरवरी को तीन बीघा में हुई भारतीय और पाकिस्तानी-क्षेत्रीय कमाण्डरों की बैठक असफल रही तथा पाकिस्तानी क्षेत्रीय कमाण्डर ने भारतीय क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग मांगा था।

श्रीमती इंदिरा गांधी : यह पाकिस्तान रेडियो ने कहा है । हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Neither we want war with Pakistan nor we are war minded, but it cannot be tolerated that we go on handing over our territories to Pakistan one after another. May I know whether China and Pakistan are taking undue advantage of the fact that the Bengal Government or the Central Government say that these areas are still not demarcated? May I know whether our Prime Minister is prepared to settle this question of demarcation for ever after having talks with President Ayub or whether Government have any scheme to protect our soil with military force or the morale of the people?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह ध्यान दिलाने वाली सूचना केवल चिलहाटी से सम्बन्धित है । माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्नों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य ने इसे एक नया मामला कह कर सभा को गुमराह करने का भी प्रयत्न किया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग और बडा प्रश्न है । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इस बारे में कोई बैठक होगी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : राष्ट्रपति अयूब के साथ इस विषय में विचार विमर्श करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । प्रत्येक मामले में यह देखना पड़ता है कि इसका क्या उपयोगी परिणाम रहेगा । अनुकूल समय पर हम अवश्य आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

Shri Bal Raj Madhok: This is not a new thing. Pakistan has adopted a policy to put forward a claim on Indian territory which she considers strategically and economically important and the Government of India declares those areas as disputed areas and undemarcated areas. Then Pakistan occupy these areas by her military force. This time Sheikh Abdullah has a hand behind all these activities. Keeping in view the fact that Pakistan is creating tension and making ground for attacks, may I know total areas of Indian territories in eastern and western sectors is in illegal occupation of Pakistan at present? Is it not a fact 10 police stations of Karimganj area, Tharkarkar area, Nagarparkar area etc. are Indian territories and the county was divided on the basis of these areas? May I know whether the Government of India have put foward their claim on these areas and if not whether they propose to do so?

May I also know whether any suitable steps will be taken to stop Pakistani infiltration into Kashmir, Dumabari or Chilahati areas so that the situation like that of 1965 may not arise again? Sheikh Abdullah has a hand in these activities. May I know whether any steps have been taken to curb the activities of Sheikh Abdullah? May I also know whether any steps will be taken to have possession on the areas on the East Pakistan border which are in adverse possession.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि मैं एडवर्स पोजेशन की सूची देने लगूं तो यह एक लम्बा वक्तव्य हो जायेगा। 31 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1484 के उत्तर में इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी गई है। यदि माननीय सदस्य आवश्यक समझें तो वह सूची देख सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : यह सूची सभा पटल पर रखी जा सकती है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसे सभा पटल पर रखने से क्या लाभ होगा। माननीय सदस्य इसे स्वयं देख सकते हैं।

मैं समझती हूं कि इनमें कुछ क्षेत्र हमारे हैं और उनके बारे में हमने दावा किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने नागर पारकार आदि क्षेत्रों पर हमारा दावा किया है किन्तु ये हमारे क्षेत्र नहीं हैं। हम इन पर दावा नहीं कर सकते हैं।

जहां तक शेख अब्दुल्ला के वक्तव्य का सम्बन्ध है, मैंने उसे समाचार पत्र में देखा है। उनके कुछ वक्तव्य अनुचित हैं। किन्तु हमें उनसे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मैं सभा को विश्वास दिलाती हूं कि यदि पाकिस्तान ने वर्ष 1965 जैसा बर्ताव किया तो उसका और अधिक दृढ़ता से सामना किया जायेगा। इन क्षेत्रों को वापिस लेने में कुछ वर्ष लगेंगे। यहां पर उठाया गया प्रश्न सीमित है। वर्ष 1963 में भी यह प्रश्न उठाया गया था। उस समय केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने यह माना था कि यह 512 एकड़ भूमि पर गलत ढंग से कब्जा है।

श्री ओमप्रकाश (बडागरा) : प्रायः देखा गया है कि कुछ देश हमारे क्षेत्र पर अपना अनुचित और अवैध दावा करते रहे हैं। पाकिस्तान सदा हमारे क्षेत्र को हथियाने की नीति अपनाता है। पहले वह रेडियो से प्रसारण करता है बाद में सीमा पर घटनाएं होती हैं और उसके बाद हमारे देश पर खुले तौर पर आक्रमण किया जाता है और पश्चिम के देश हम पर दबाव डालते हैं। काश्मीर पर पाकिस्तान के पहले आक्रमण के समय हमारी सेना को विजय मिलने वाली ही थी कि ब्रिटेन ने हम पर युद्ध बन्द करने के लिए दबाव डाला। यही स्थिति कच्छ पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय हुई। गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भी हमारे सामने यही स्थिति आई। पाश्चात्य देशों के दबाव के कारण हमें अपनी सेनाएं पीछे हटानी पड़ीं। इस प्रकार विश्व के सामने भारत एक कमजोर देश समझा जाता है।

मैं प्रधान मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत विश्व को स्पष्ट शब्दों में यह बताने का साहस कर सकता है कि भारत की सीमाएं स्थायी रूप से निर्धारित हो चुकी हैं और हम इनके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते हैं तथा जब तक पाकिस्तान अनधिकृत रूप से हथियाए हुए कश्मीर के क्षेत्र को वापिस नहीं करता, भारत कड़ी कार्यवाही करता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कूच-बिहार के बारे में प्रश्न न पूछ कर अन्य प्रश्न पूछे, इस लिए इनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

अब सभा पटल पत्र पर रखे जायेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पाकिस्तान और काश्मीर के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। उसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है।

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargone): Sir, 400 Congressmen have been arrested in Delhi, teargas is being used...

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): Mr. Speaker, the Prime Minister has recently visited Calcutta...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। जो कुछ वह कह रहे हैं, वह सभा के कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री इसहाक साम्भली : **

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा की अनुमति दे चुका हूं। इस बार बार चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्या माननीय सदस्य कलकत्ता की स्थिति की ही भांति यहां भी स्थिति पैदा करना चाहते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : गृह-कार्य मन्त्री को वक्तव्य देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा बार बार उठ कर गड़बड़ पैदा करना उचित नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है। गृह मन्त्री महोदय को वहां की घटनाओं के बारे में जांच करानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरा विषय लेने के लिए कह चुका हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमाशुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद पन्त) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 40 जो दिनांक 2 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 413 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 414 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 415 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

**सभा के कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

(पांच) जी० एस० आर० 416 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) जी० एस० आर० 417 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी० एस० आर० 418 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० एस० आर० 419 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) जी० एस० आर० 420 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) जी० एस० आर० 421 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 422 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) जी० एस० आर० 423 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तेरह) जी० एस० आर० 424 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चौदह) जी० एस० आर० 425 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 426 जो दिनांक 1 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सोलह) जी० एस० आर० 469 जो दिनांक 9 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सत्रह) जी० एस० आर० 470 जो दिनांक 9 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(अठारह) जी० एस० आर० 477 जो दिनांक 7 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय मे रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—469/68]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 29वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 9 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 466 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 30 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 9 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 467 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 31 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 9 मार्च, 1968 के भारत के के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 468 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—470/68]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव--मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी 14 मार्च, 1968 की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्याजोन) विधेयक को पारित कर दिया।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

छियालीसवां प्रतिवेदन

श्री पे० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : मैं शिक्षा मन्त्रालय--बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय---के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के सौवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

लोक-लेखासमिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): मैं अणुशक्ति विभाग, वैदेशिक कार्य, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार (सामुदायिक विकास तथा सहकार विभाग) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा सम्भरण (सम्भरण विभाग) मन्त्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल) 1965-66 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 1967 के विषय में लोक-लेखा समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY THE MINISTER

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : लन्दन में तथा अन्य बाजारों में सोने की गैर-सरकारी मांग बहुत अधिक बढ गयी है जिस के परिणामस्वरूप ब्रिटिश अधिकारियो ने तब तक के लिये लन्दन स्वर्ण बाजार को बन्द कर दिया जब तक कि स्वर्ण पूल के सक्रिय सदस्य देशों के सेंट्रल बैंकों के गवर्नरों की बैठक में जो वाशिंगटन में पिछले सप्ताह हुई इस विषय पर विचार विमर्श नहीं कर लिया जाता। अब यह घोषणा कर दी गई है कि ये सेन्ट्रल बैंक स्वर्ण बाजारों को जिनमें गैर सरकारी पक्ष स्वर्ण का व्यापार कर सकते हैं सोना नहीं देंगे। इसका यह परिणाम होगा कि लन्दन या अन्य बाजारों में सामान्य व्यक्ति अब सोना उसी भाव पर खरीद सकेंगे जो उन बाजारों में मांगा और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होगा। इससे अमरीकी डालर या अन्य किसी मुद्रा के अन्तर्राष्ट्रीय मूल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अमरीकी अधिकारियों ने फिर इस बात को दोहराया है कि वे मुद्रा अधिकारियों से सोने का लेन-देन 35 डालर प्रति औंस के भाव से करेंगे।

यह सन्तोष की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था का संकट दूर किया जा चुका है। सुव्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वित्तीय व्यवस्था का होना भारत तथा अन्य विकासशील देशों के सुचारु रूप से व्यापार चलाने तथा भुगतान के लिए आवश्यक है। मुझे आशा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की देख-रेख में अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की योजना शीघ्र ही स्वीकार कर ली जायेगी जिससे यह व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके गवर्नरों की पिछली वार्षिक बैठक में इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई थी। इस समय इस कोष के कार्यकारी निदेशक धन निकालने के विशेष अधिकारों की योजना के बारे में योजना का व्यौरा तैयार कर रहे हैं। हमें आशा है कि यह योजना पूरी तरह तैयार की जायेगी और बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के क्रियान्वित की जायेगी।

सोने के दो बाजार होने से भारत के व्यापार और भुगतान की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में सोने के तस्कर व्यापार पर इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि विश्व के गैर-सरकारी बाजारों में सोने के प्रभाव कुछ बढ़ सकते हैं इसलिए भारत में सोने के तस्कर व्यापार में मुनाफा कुछ कम हो जायेगा। इससे भारत में सोने के तस्कर व्यापार को मिलने वाला प्रोत्साहन कुछ कम हो जायेगा।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें

SUPPLEMENTAR DEMANDS FOR GRANTS

अध्यक्ष महोदय : अब हम वर्ष 1967-68 के बजट (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार करेंगे। ये मांगें सभा के सामने हैं। इसके लिए हमारे पास एक घंटे का समय है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मांगें बहुत अधिक हैं इसलिए समय बढ़ा कर दो घंटे कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति ने इसके लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया है। मुझे समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु अन्य मांगों के समय में कटौती करनी पड़ेगी।

इन मांगों पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar): Sir, when we got independence, it was decided to make the country self-sufficient through Khadi industry.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

But it is regrettable that even after so many years that objective has not been achieved. Even though the Central Government has been subsidising this industry, Khadi has not become popular with the result that Rs. 20 crores worth of Khadi cloth is lying untilised. Some steps have to be taken in this regard so that the money on this industry produces some useful results.

So far our exports are concerned, there is a suspicion that Russia wants to earn profit by purchasing our good at cheap rate and selling them at higher prices to other countries. It has to be ensured that other countries do not earn undue profits by the labour put in by our people. The Finance Minister should be very cautious in this regard.

Shri Deorao Patil (Yeotmal): Sir, I would like to invite the attention of the Minister to Demand Nos. 110 and 119. Government propose to set up a Corporation for running the sick cotton mills. I think that one of the reasons for bad financial position of these mills is that they are not interested in purchasing cotton. It is because of the severe restrictions put on these mills. It is, therefore, very necessary that these restrictions should be removed.

As regards national water supply and sanitation schemes, the loans given by the Central Government to the State Governments for the purpose are not being fully utilised. There are instances where the money of these loans has even been misused.

There is a great demand for water supply arrangement in Yeotmal and Dharwar areas of Maharashtra. The State Government has sent a scheme to the Centre in this regard. These schemes should be implemented as early as possible.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : उपाध्यक्ष महोदय ये मांगें 325 करोड़ रुपये की हैं। इन पर चर्चा के लिए निर्धारित एक घंटे का समय बहुत कम है।

यह एक विचित्र सी बात है कि एक वर्ष में यह तीसरा बजट सभा में लाया गया है। यह वित्त मन्त्रालय की योग्यता पर आक्षेप है कि सामान्य बजट के पास किये जाने के तीन महीने बाद ही सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं। समय की कमी के कारण मैं केवल पांच बातों का उल्लेख करूंगा।

सर्वप्रथम मैं सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय के बारे में कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि विभिन्न मन्त्रालयों को इतनी अधिक स्टाफ कारें देने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति के उद्यान तथा फर्नीचर के लिए भी इतनी बड़ी रकम मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन मदों पर किये जाने वाले व्यय को सामान्य बजट तक रोका जा सकता था। इन सब मदों पर किये जाने वाले व्यय के बारे में मन्त्री महोदय को औचित्य का स्पष्टीकरण करना चाहिए।

दूसरी बात मैं कर्मचारियों पर किये जाने वाले अपव्यय के बारे में कहना चाहता हूं । कुछ समय पहले मुझे बताया गया था मन्त्रालयों में 30 से 35 प्रतिशत तक कर्मचारी आवश्यकता से अधिक और इस सम्बन्ध में एक समिति विचार कर रही है । एक ओर तो मन्त्रालयों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं और दूसरी ओर मन्त्रिमण्डल सचिवालय तथा अन्य मन्त्रालयों में कर्मचारी बढ़ाने के लिए धन मांगा जा रहा है । मैं समझता हूं कि कुछ समय के लिए इस व्यय को रोका जा सकता था ।

अब मैं तीसरी बात विभिन्न समितियों पर होने वाले व्यय के बारे में कहना चाहता हूं । इन समितियों पर पर्याप्त धन व्यय किया जा रहा है । समितियों की संख्या बहुत अधिक है उदाहरणार्थ लाइसेंसों की जांच समिति विमान निगम के कार्य मूल्यांकन सम्बन्धी समिति, यातायात करारोपण समिति आदि । सरकार बार बार प्रत्येक छोटे मोटे कार्य के लिए एक समिति नियुक्त कर देती है । इस प्रकार इन समितियों पर काफी धन व्यय होता है । अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि छोटे मोटे मामलों में इतनी समितियां क्यों नियुक्त की जाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मध्यान्ह भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

अब सभा 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

इस के पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर पांच मिनिट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then reassembled after lunch at Five minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोबोप्रभु अपना भाषण जारी रखें ।

श्री लोबो प्रभू (उदीपी): पूंजी लगाये जाने के सम्बन्ध मे धन को बर्बाद किया जा रहा है । पूंजी माल सम्बन्धी 109 करोड़ रुपये के खर्च का पता चला है और विशेष रूप से इस बात का पता चला है कि आयातों के बारे में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि कीमतें गिर रही है । ब्रिटिश पौंड का अवमूल्यन हो गया है और हो सकता है कि अमरीकी डालर का भी अवमूल्यन हो जाये । इन परिस्थितियों मे पूंजी माल प्राप्त करने के लिये मांगों में जो जल्दबाजी की गई है उससे ज्ञात होता है कि सरकार ने अपनी व्यापार सम्बन्धी स्थिति पर विचार नहीं किया है । इन मामलों मे जनता का धन अन्तर्ग्रस्त है तथा इन कार्यवाइयों से ज्ञात होता है कि सरकार को अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं है ।

ऋणों के बारे में 130 करोड़ रुपये की मांग की गई है । यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि नवम्बर मे बजट बनाते समय सरकार इन आवश्यकताओं का पूर्वानुमान नहीं लगा सकी ? इन मदों में पूर्वी यूरोप के देशों और संयुक्त अरब गणराज्य के लिये आवर्तक पूंजी का भुगतान उल्लेखनीय है । जब वे देश अपने वित्त की व्यवस्था नहीं कर सकते तो उन देशों के साथ व्यापार क्यों किया जाता है ? जब हमें उनके व्यापार के लिये धन की व्यवस्था करनी पड़ती है,

356 (ai) LS—9.

[श्री लोबो प्रभू]

तो उस धन पर उनसे ब्याज क्यों नहीं वसूल किया जाता ? बताया गया है कि कुछ राशि पर ब्याज लिया जायेगा तथा कुछ राशि पर ब्याज नहीं लिया जायेगा। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि इन साम्यवादी देशों को ये रियायतें क्यों दी जा रही हैं ?

इसके उपरान्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों का प्रश्न है। यह बड़े दुख की बात है कि हिन्दुस्तान स्टील इतने वर्षों के बाद भी ऋणों के सहारे अपना काम चला रही है। हिन्दुस्तान स्टील जैसे सरकारी उपक्रम को जारी रखने का सरकार का क्या औचित्य है, जब कि अपनी पूरी क्षमता के लिये मंडी ढूंढने में वह असफल रही है। इस उपक्रम को समाप्त किया जाना चाहिये। इससे भी खेद की बात यह है कि सरकार इस स्थिति के होते हुए भी बोकारो की बात सोच रही है। सरकार ने दलील पेश की है कि यदि बोकारो इस्पात कारखाने को पूरा न किया गया तो उस पर अब तक लगाई गई 69 करोड़ रुपये की पूंजी बेकार हो जायेगी। मैं समझता हूं कि और 110 करोड़ लगाने से जिनका कोई लाभ नहीं होगा, 69 करोड़ रुपये की राशि को बेकार जाने देना अधिक अच्छा है। इस समय सरकार को देश के वर्तमान तीनों इस्पात कारखानों के लिये ऋण लेना पड़ता है, अतः इसके बावजूद बोकारो की बात सोचना देश के हित में नहीं होगा।

मैं अपने निष्कर्ष निकालने से पहले दो चार बातें कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है स्टाफ कारों की खरीद पर अन्धाधुन्ध धन खर्च किया जा रहा है। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि इन स्टाफ कारों का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिये किया जाता है, इन में से कितनी स्टाफ कारें चलने योग्य हैं तथा कितनी बेकार हो गई हैं और अनुमानतः एक स्टाफ कार कितने समय तक चलने योग्य रहती है तथा इस सब बातों को देखते हुए क्या यह उचित है कि वर्ष 1947 के बाद जारी की गई स्टाफ कार पद्धति को जारी रखा जाये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह कर्मचारियों के बारे में है। पेट्रो रसायनिक उद्योगों में 4000 रुपये के वेतन पर एक सचिव की नियुक्ति की गई है, हालांकि उस मंत्रालय के कार्यभार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सरकार को यह नियुक्ति केवल इसलिये करनी पड़ी क्योंकि उसे एक वरिष्ठ सचिव को स्थान देना था। सरकार के लिये क्या यह अधिक अच्छा नहीं होता कि करदाता पर 4000 रुपये का अतिरिक्त भार डालने के बजाये, एक कनिष्ठ सचिव को पदावन्नत किया जाता और उसके स्थान पर इस वरिष्ठ सचिव को नियुक्त किया जाता।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि योजना आयोग मे कर्मचारियों का आधिक्या है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस बात का उल्लेख किया है। इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता। योजना आयोग के वर्तमान ढांचे मे परिवर्तन किया जाना चाहिये।

वित्त मंत्री ने स्वतन्त्र दल पर यह आक्षेप लगाया है कि स्वतन्त्र दल उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सका है क्योंकि श्री मसानी ने मांग की है कि ५,000 रुपये तक के लाभांशों को छूट दी जाये। मैं सभा में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्वतन्त्र दल उद्योगपतियों का पक्ष नहीं लेता बल्कि उद्योगों का पक्ष लेता है जिससे जनसाधारण और उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर अच्छी चीजें मिल सकें। यह दल उपभोक्ताओं के हित को प्रोत्साहन देने की सिफारिश करता है।

श्री किरुतिनन (शिवगंज): मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामनाथापुरम जिला है, जो कि भारत का सब से पिछड़ा हुआ जिला है। गत वर्ष भी मैंने अपने भाषण में सरकार से अनुरोध किया था कि वहां जो बहुत सी भूमि परती पड़ी है उसकी सिंचाई का प्रबन्ध किया जाये तथा वहां जो हजारों तालाब बेकार पड़े हैं, उनको ठीक किया जाये तथा वहां के गरीब किसानों की मदद की जाये, परन्तु वर्ष 1967–68 में इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया गया है।

स्वाधीनता प्राप्ति के बीस वर्ष बाद भी—मुथकुलाथुर, थिरुवादनाई तथा थीरुपायर—इन तीन तालुकों में रेलवे लाइनों की व्यवस्था नहीं की गई है। इन तालुकों में कोई रेलवे लाइन नहीं है। रेलवे लाइनें केवल यातायात का साधन नहीं होती, अपितु वे संचार साधन भी होती है। रेलवे लाइनों से पिछड़े क्षेत्रों के विकास को सहायता मिलती है। योजना आयोग के अधीन संयुक्त अध्ययन दल द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन ने कहा गया है कि समाज को समाजवादी बनाने की दिशा में देश को जो उन्नति करनी है उस में संतुलित प्रादेशिक विकास की नीति मूल महत्व को ध्यान में रखते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी भारत सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। इस उद्देश्य के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों से पिछड़े क्षेत्रों की सूचियां मांगी थीं। मद्रास सरकार ने भी कुछ ऐसे तालुकों की सूची भेजी थी, जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं। परन्तु उस सूची से केन्द्रीय सरकार द्वारा शिवगंगा तालुक को निकाल दिया गया है। शिवगंगा तालुक वास्तव मे एक पिछड़ा हुआ तालुक है और उन तालुकों के बीच मे स्थित है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े हुए तालुक माना है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शिवगंगा तालुक को भी पिछड़े हुए तालुकों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये तथा उसके विकास के लिये भी उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

वित्त मंत्री महोदय चाहते हैं कि उन्हें अधिक धन दिया जाये। नये कर लगा कर अथवा घाटे का बजट बना कर अथवा अनुपूरक मांगों के द्वारा वित्त मंत्री अधिक धन की मांग करते हैं। इस समय वित्त मंत्री अनुपूरक मांगों के द्वारा 325 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। उन्हें कोई धन नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि भूतकाल में उन्हें जो धन दिया गया है उसको वह तथा उनकी सरकार उचित रूप से इस्तेमाल नहीं कर पायी है। हम अतिरिक्त धन देने को तैयार हैं तथा कठिनाइयां सहने को तो तैयार हैं, बशर्ते कि वह यह साबित करें कि उन्हें पहले जो धन दिया गया है, उसका उचित रूप से इस्तेमाल किया गया है।

हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था भारी संकट से गुजर रही है। इस वर्ष हमने अनुमान लगाया है कि हमारा खाद्य उत्पादन 9 करोड़ 50 लाख मीटरी टन होगा। परन्तु हमारी जनसंख्या में हुई 4 करोड़ की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हमें संदेह है कि वित्त मंत्री कैसे खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर रख पायेंगे।

बिजली के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अधिकांश बिजली उद्योगों को ही दी जाती है और सिंचाई के लिये बहुत कम बिजली दी जाती है। तथ्य यह है कि प्रत्येक 10 यूनिटों मे से 7 यूनिट बिजली उद्योगों को दी जाती है और व्यापारिक भवनों, सार्वजनिक प्रकाश तथा सिंचाई के लिये केवल 2 यूनिट बिजली दी जाती है।

Shri Sheo Narain (Basti): Mr. Deputy Speaker, Sir, while speaking on these Supplementary Demands for Grants, I would like to refer to three Demands only. First of all I would like to refer to Demand No. 29. As the administration of U.P. is at present under Centre's Control, I want to point out that the farmers of U.P. are in great difficulty. They are no longer being paid any subsidy for tubewells etc; which was henceforth being paid to them, because the former Government of U.P. had discontinued it. I appeal to the Government that subsidy for tubewells etc. should be given to the farmers of U.P. Necessary facility of power should also be made available to them, so that they may increase their food production.

Secondly I want to point out that there is every likelihood that the prices of foodgrains may go down this year, because the production of goodgrains has increased. So it is the duty of the Government to ensure that if the prices of foodgrains go down, the prices of industrial commodities are also reduced. If that is not done, it will be disastrous for our farmers, who constitute the majority of our population.

Next I want to congratulate the Food Minister. He has done a very good job and it is only due to his efforts that our food production has increased. He being a farmer himself is well aware of the difficulties and problems of the farmers and I hope he will do everything possible for their betterment.

So far as the question of defence is concerned, we should be very vigilant and there should be no relaxation in our defence efforts. We are a country, which is surrounded by two unfriendly and aggressive nations—i.e. Pakistan and China.

Lastly I would like to say a few words about police. There is mismanagement in U.P. police and riots are taking place there. We have declared that ours is a secular country and every Hindu, Muslim or Sikh has a right of honourable living in this country, without any discrimination. I want to warn the Government that they should keep up this promise and tighten their machinery, because what is happening in U.P., Bengal or Bihar is contrary to their promise.

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad): Mr. Deputy Speaker, Sir, I oppose these demands. I am opposing these demands because the money that is going to be sanctioned will not be utilised for the welfare of common man. I want to say that the condition of landless Harijans and especially of Balmikis is very pitiable in U.P. They were hopeful that after independence land will be allotted to them and they too will be able to lead an honourable life. But all their hopes have ended in smoke. Even now they are facing numerous problems. They are not given employment. They are deprived from education. Their lot has not at all improved, rather it has deteriorated. So I demand that Government should very carefully consider their problems and solve them and proper arrangements should be made for their education and they should be given other facilities, so that they may feel that they are living in an independent country.

Secondly I want to point out that the farmers are being robbed both-ways. The prices of agricultural commodities are lowered at the time when these are sold by the farmers and the prices of those very commodities are raised when they are sold by the Traders. Moreover the prices of farm products are lower than the prices of mill-products. Sugarcane is purchased from the farmer at the rate of Rs. 2 and Annas 4 per maund. but sugar is sold at the rate of Rs. 6 and Annas 4 per kilo. It is a mockery of socialism. It is nothing but capitalism.

So far as irrigation is concerned I want to say that there is a place—Bateshеrwah—in my constituency of Firozabad, where annually a fair has been being held since last 400—500 years. Every year lakhs of people take part in that fair. But this year that fair is not being held, because the area has been flooded by Jamuna water. I have repeatedly drawn the attention of the Irrigation Minister of U.P. towards this and requested him that necessary action should be taken to prevent the Jamuna water entering there, so that, that fair may be held there. Now there is Presidential rule in U.P. I request the Central Irrigation Minister to take necessary steps in this regard. In addition to this I want to point out that Firozabad is a backward area and there are no arrangements for irrigation. The agriculturists have to depend on the mercy of rain God. So I request the Irrigation Minister that necessary arrangements for irrigation should be made in that area. Tube-wells should be provided and power should be supplied in the areas of Firozabad and Tundla etc.

Before concluding I want to say that our plans are confined to papers only. The lot of the common man has not changed at all. He is groaning under the burden of poverty. On one hand money is being concentrated in few hands who are leading a life of abundance and luxury and on the other hand the life of the poor people is becoming more and more miserable. So I request the hon. Minister to give a serious thought to the problems of the common man and get them solved as early as possible.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय मैं अपना भाषण केवल माँग संख्या 5,6, 21, 44 तथा 59 तक ही सीमित रखूंगा ।

माँग संख्या 6 में कुछ धन राशि की व्यवस्था की जा रही है, जो सेवा निवृत एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को दी जायेगी । इस सभा में प्रतिरक्षा मंत्री तथा उन के उपमंत्री ने आश्वासन दिया था कि एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अन्य कामों पर लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि छः हजार एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों में से कितनों को अन्य कामों पर लगाया गया है । इन युवक अधिकारियों ने अपनी पढ़ाई को तिलाँजलि दे कर, मातृ भूमि की रक्षा के लिये अपने प्राणों की बाज़ी लगाई है और परमवीर आदि के पुरस्कार किन्हीं और अधिकारियों को दिये गये हैं और उन्हें दिये गये हैं छंटनी पत्र। अत: मैं जानना चाहता हूं कि यह बताया जाये कि कितने एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वैकल्पिक रोजगार दिया गया है और उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये सरकार और क्या कदम उठाने की सोच रही है ?

पेंशन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि असैनिक कर्मचारियों को पेंशन देने के मामले में भेदभाव बरता जा रहा है । असैनिक कर्मचारियों के उन सब संवर्गों के व्यक्तियों को परिवारिक पेंशन

[श्री स० मो० बनर्जी]

दी जाती है जो पर्यवेक्षक या अन्य पदों पर हैं, जब कि औद्योगिक संवर्ग के व्यक्तियों को जो ज्यादा पैदा करते हैं, पारिवारिक पेंशन नहीं दी जाती इस प्रकार का भेदभाव खत्म किया जाना चाहिये ।

माँग संख्या 26 के बारे में मैं उप प्रधान मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने इस सभा में कहा था कि वह पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने के बारे में विचार कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या 40 रुपये अथवा 30 रुपये अथवा 20 रुपये की राशि जैसी कम पेशन पाने वाले व्यक्तियों की पेंशन की राशि में वृद्धि करने तथा उन्हें मंहगाई भत्ता देने आदि के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

माँग संख्या 44 के बारे में कहना चहाता हूं कि हम पुलिस के लिये धन देने को तैयार हैं, बशर्ते कि वह सामप्रदायिक दंगों तथा चोरी इत्यादि को खत्म करने में सफल हो सके। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि देश में जो कुछ हो रहा है वह इस से विपरीत है । पुलिस सामप्रदायिक दंगों को दबाने में अफसल रही है । कलकत्ता, इलाहाबाद तथा कानपुर में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं वह इस बात के उदाहरण हैं । इन घटनाओं से तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस में भी सामप्रदायिकता घुसती जा रही है । हमें साम्प्रदायिकता को भड़कने नहीं देना चाहिये, अन्यथा हमारी सब योजनायें बेकार हो जायेंगी । अतः गृह कार्य मंत्री को साम्प्रदायिक दंगों के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये । अल्पमत समुदायों को सरकार के हाथ में अपने आप को सुरक्षित समझना चाहिये ।

माँग संख्या 51 के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अन्डमान की विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं से मुझे तार प्राप्त हुए हैं वहाँ श्री प्रसाद नामक एक प्रख्यात कार्मिक संघ नेता भूख हड़ताल पर हैं। वहाँ ठेकेदार आज भी श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। अन्डमान स्थित इमारती उद्योग में हड़ताल चल रही है । इस समय गृह कार्य मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये और श्री प्रसाद के जीवन को, जो कि अंडमान में श्रमिकों के पक्ष का पोषण कर रहे हैं, बचाया जाना चाहिये ।

माँग संख्या 59 में थेकर समिति के लिये कुछ धन की माँग की गई है । मुझे प्रसन्नता है कि अन्ततः हजारी समिति के प्रतिवेदन की सफिारिशों के अनुसरण में थेकर समिति का गठन किया गया है । इस समिति के लिये धन देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस समिति का गठन बिड़लाओं की फर्मों की जाँच करने के लिये किया गया है । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि समिति को बाज़ोरियाओं की ब्रिटिश इण्डिय कारपोरेशन तथा उस से सम्बन्धित फर्मों के काम की जाँच करने का कार्य भी सौंपा जाना चाहिये क्योंकि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में बहुत गोलमाल किया गया है और किया जा रहा है । ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन को सरकार ने अपने अधिकार में ले लेना चाहिये ।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि हम बचत की बहुत बातें करते हैं। कानपुर का एक कारखाना जिसमें 4000 अथवा 5000 श्रमिक काम करते हैं बन्द किया जा रहा है, जबकि रायबरेली में $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की लागत से जूते बनाने का एक नया कारखाना लगाया जा रहा है । रायबरेली में चमड़ा अधिक नहीं होता है । प्रधान मंत्री का चुनाव क्षेत्र होने के कारण वाणिज्य मंत्री ने सोचा है कि वहाँ चमड़े का कारखाना खोलना उचित होगा। दूसरी ओर कानपुर में जूतों के उस कारखानें को बन्द किया जा रहा है, जो पिछले 60 वर्षों से जूतों का निर्माण कर रहा है । मैं समझता हूं कि बचत के हित में तथा देश के हित में यह अच्छा होगा कि कानपुर के कारखाने को चालू

रखा जाये और रायबरेली में नया कारखाना न खोला जाये। मेरा अनुरोध है कि देश के हित को ध्यान में रख कर वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak). I shall confine myself to Demand Nos. 5, 34, 44, 50, 60, 63, 120 and 121.

In respect of Demand No. 5, I congratulate the Finance Minister for the increase he has made in the emoluments of other ranks and officers of the Armed Forces. At the same time I would like to draw his attention to the fact that the incentive given to the ex-servicemen in their pensions has proved ineffective. I wish that special steps should be taken to enhance the pension rates of those ex-servicemen—whether they belong to Army or Air Force or Navy—who are getting pension at the old rates. Secondly it is unfortunate that some concessions were granted to ex-servicemen of Haryana and Punjab but they are not being properly implemented. An investigation should be made in this regard. Formerly no case of consolidation of land holdings was decided in the absence of a serviceman, if he was a party to it. But unfortunately the cases of consolidation of land holdings are being decided in the absence of servicemen. It has adversely effected the interests of the serving personnel. Similarly certain concessions were given to ex-servicemen in the allotment of waste land, but now these concessions have been withdrawn by the State Government. There were some other concessions also in respect of court fees, stamp duty and registration fees etc. which have been withdrawn by the State Governments. It is unfortunate that the travelling and medical facilities which were given to the Jawans in Punjab and Haryana have been curtailed to a large extent. These should be restored.

Coming to Demand No. 50. I want to point out that 40 per cent expenditure of Punjab University is being borne by Haryana, though Haryana has no representation in Punjab University. No person from Haryana has ever been appointed as the Vice-Chancellor or Registrar or Deputy Registrar or Assistant Registrar or even as a superintendent in the Punjab University. In the ministerial staff of the University there are nearly two thousand employees, but the represention of Haryana is less than one per cent. So far as the Senate and Syndicate of the University are concerned, in them also Haryana's representation is negligible. This being the case how it could be justified that this University belongs to Haryana also and Haryana should bear its 40 per cent expenditure. There is a well-known maxium "No taxation without representation". Moreover the name "Punjab University" itself means that this University belongs to Punjab only. If Haryana is required to pay its share then the name of this University should either be Haryana-Punjab university or some other suitable name.

So far as Delhi Police is concerned it is most fortunate and surprising that the recruitment of Haryanavis has been banned in Delhi Police. It is slur on the name of Government. The brave people of Haryana have sacrificed their lives for the country in Chashul, Singapore, NEFA,, Ladakh and Kashmir. Even then when the question of recruitment in services comes, they are being discriminated. In addition to this I want to say that the case

[Shri Randhir Singh]

of the employees of Delhi Police, who have participated in strike and who are being prosecuted should be considered sympathetically. Whatever crime they have committed is only that they have participated in a demonstration, otherwise they are simple and patriot people. They have committed no such crime which could be termed as unpardonabble.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : अतिरिक्त व्यय के लिये सभा के सामने जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है उस में 325 करोड़ रुपये की राशि की माँग की गई है । सरकार ने जो अति-रिक्त खर्च किया है, जिस के लिये वह अनुपूरक माँगें पेश कर रही है, वह सरकार की फजूलखर्ची का परिणाम है । यदि यह खर्च केन्द्रीय सरकार के वार्षिक खर्च में बचत करके बचाया गया होता, तो अधिक अच्छा होता । यह बड़े खेद की बात है कि सरकार अन्धाधुन्ध खर्च कर रही है और फिर सभा में बहुमत होने के कारण अनुपूरक माँगें पास करवा लेती है । यदि माँगों के पृष्ठ संख्या 2 को आप देखें तो पता चलेगा कि तीन स्टाफ कारों को, जिन्हें बेकार घोषित किया गया था तथा स्टाफ कारों के रख-रखाव की लागत में हुई वृद्धि के कारण 1. 21 लाख रुपये का खर्च दिखाया गया है । यह राशि बहुत अधिक है । उसी प्रकार इन माँगों में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन से सिद्ध होता है कि सरकार फज़ूल खर्ची कर रही है ।

अनुपूरक माँगों में कुछ विचित्र बातें हैं । कुछ मदों का अतिरिक्त व्यय मौलिक मांगों से दुगना अथवा तिगुना दिखाया गया है । उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के लिये बजट में 25 लाख रुपये की राशि रखी गई थी, परन्तु अनुपूरक माँगों में 75 लाख रुपये की राशि रखी गई है । यह खर्च कैसे हुआ कोई नहीं जानता । इस प्रकार के बजट से बच जाना चाहिये । सरकार को बचत करनी चाहिये तथा यह समझ कर कि एक घंटे की चर्चा के बाद अनुपूरक माँगें पास हो जायेंगी, अन्धाधुन्ध खर्च नहीं करना चाहिये ।

अब मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । कुछ लघु उद्योगों की व्यवस्था करने के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया था तथा उसे कुछ अनुदान दिये गये थे, परन्तु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग किसी लघु उद्योग की स्थापना नहीं की है । दूसरी ओर इस आयोग के बोर्ड में कुछ असंतुष्ट काँग्रेसियों को आश्रय दिया गया है । पराजित तथा असंतुष्ट काँग्रेसियों को पद देने के लिये देश में विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनों को भारत सरकार द्वारा अनुदानों के रूप में करोड़ों रुपये दिये जा रहे हैं । संसद में भारत सेवक समाज और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की बड़ी कड़ी आलोचना की गई थी, इसलिये ये अनुदान नहीं दिये जाने चाहिये ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि देश में लघु उद्योगों का नाममात्र भी विकास नहीं हुआ है । ऐसे उद्योग स्थापित करने की विचारधारा की कमी है । देश में इस के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है ताकि लघु उद्योगों का विकास हो और इस से साधारण व्यक्तियों को लाभ हो । इस समय तो हमारे युवक यह भी नहीं जानते कि उन्हें भारत सरकार से क्या तथा कैसी सहायता मिल सकती है । धन केवल उन ही लोगों को दिया जाता है जिन के पास पहले ही बहुत धन है तथा वे उस से करोड़ों रुपये बनाते हैं ।

श्री नाम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : इस समय देश में गम्भीर औद्योगिक अशांति फैली हुई है और मद्रास राज्य में उस ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया है । मद्रास राज्य में 15

कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने की आशंका है, जिसे से एक लाख से अधिक व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे। यह एक बहुत गम्भीर मामला है और इस की ओर उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री तथा वित्त मंत्री का ध्यान भी दिलाया गया है परन्तु इस संकट को टालने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है । केन्द्रीय सरकार से आश्वासन प्राप्त करके मद्रास राज्य के मुख्य मंत्रि ने श्रमिकों को वचन दिया था कि उन की भलाई के लिये हर संभव प्रयत्न किया जायेगा । परन्तु खेद की बात यह है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही और ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार अपना वचन पूरा नहीं कर रही इस के परिणामस्वरूप मद्रास तथा कोयम्बटूर में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है । मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में तुरन्त कार्यवाहीं की जानी चाहिये, अन्यथा मद्रास और उस के पड़ोसी राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

इस के बाद में सिगार उद्योग पर लगाये गये लेबल प्रशुल्क के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सिगार कुटीर उद्योग में एक हजार से भी अधिक श्रमिक काम करते हैं तथा भारत से उस उद्योग से काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । हमारे सिगार संसार भर में प्रसिद्ध हैं। पश्चिम के देश केवल हमारे देश से ही सिगारों का आयात करते हैं। परन्तु अब इस उद्योग को बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्योग पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक कर लगाया जाता है । तम्बाकू के बोने से लेकर सिगार बनने तक हर चरण पर कर लगाया हुआ है । सरकार के इस असहायक रवैये के कारण यह उद्योग संकट में है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस उद्योग को खत्म होने से बचाया जाये ।

इसके साथ ही मैं मद्रास में स्थित हाथ करघा उद्योग के बारे में यह कहना चाहता हूं कि वहां लाखों रुपये की मालियत का कपड़ा पड़ा है। उसके लिये मंडी नहीं मिल रही तथा रिजर्व बैंक का रवैया उसके प्रति उचित नहीं है और वह उसकी सहायता नहीं कर रहा है। उस उद्योग में कार्य करने वाले लाखों व्यक्तियों को भूख से बचाने के लिये वहां कुछ करना होगा । जब तक केन्द्रीय सरकार कोई साहसी कदम नहीं उठायेगी उस उद्योग के लोगों की कठिनाई दूर नहीं होगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो भाषण आज सुने उनको सुनने के पश्चात् मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि सामान्य बजट पर वह भाषण होते तो अच्छा था। परन्तु कुछ सदस्यों को उस समय अवसर न मिलने के कारण वे अब इस पर बोले हैं।

इनकी आलोचना का एक कारण यह दिया गया कि इस समय 325 करोड़ रु० की अतिरिक्त मांगें पेश की गई हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इनमें 147 करोड़ रु० तो अतिरिक्त आय वसूली, समायोजना समर्पण आदि के लिये निर्धारित किया हुआ है। इस कारण 325 करोड़ की बजाय केवल 178·02 करोड़ रु० ही व्यय होना है।

बाकी आलोचनाओं के बारे में मैं खादी तथा ग्राम उद्योगों सम्बन्धी आयोग से प्रारम्भ करूंगा। उनमें एक दूसरे के विरोधी तर्क दिये गये हैं। एक सदस्य का सुझाव था कि इस कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिये जबकि दूसरे सदस्य ने कहा कि इस पर बहुत अधिक धन व्यय किया जा रहा है। यह कहना उचित नहीं है कि आयोग में असन्तुष्ट कांग्रेसियों को स्थान दिया जा रहा है। इस कार्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

रिज़र्व बैंक ने कपास के बारे में दी जाने वाली धन राशि के बारे में कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। भारतीय कपड़ा मिल संघ ने कपास की खरीद पर स्वेच्छित प्रतिबन्ध लगाया है। रिज़र्व बैंक इस सम्बन्ध में छान-बीन कर रहा है। हमारे विचार में वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त उपाय किये गये हैं। यह भी पूछा गया कि इतना धन कुल तीन महीनों में क्यों व्यय किया गया। उदाहरणार्थ महंगाई भत्ते के लिये 33.53 करोड़ रु० रखा गया तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों की सहायता आदि के लिये 19.45 करोड़ रु० रखा गया तथा केन्द्रीय आरक्षण पुलिस, सीमा सुरक्षा दल आदि के लिये 8.65 करोड़ रु० रखा गया है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि पूंजी पर 109 करोड़ रु० की वृद्धि की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु इसी राशि में से अतिरिक्त अनाज की खरीद और उसके भाड़े पर खर्च की राशि भी शामिल है।

130 करोड़ रु० की व्यवस्था "ऋण तथा अग्रिम धनराशियों" के अधीन की गई है। यह राज्यों की बड़ी-बड़ी मांगों को पूरा करने के लिये करना पड़ा।

राष्ट्रपति "एस्टेट" पर "प्रोटोकोल" के कारण विशेष ध्यान दिया जाता है।

हम छानबीन कर रहे हैं कि पदों पर ठीक लोगों की ही नियुक्ति हो।

यह भी आपत्ति उठाई गई कि उप-सचिवों को मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्रियों के निजी सचिव क्यों रखा जाता है। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है।

"बोकारो" परियोजना के बारे में कहा गया कि इस्पात की कुछ किस्में फालतू होंगी। परन्तु 1970-71 तक "फ्लैट" उत्पादकों की मांग और पूर्ति में बड़ा अन्तर होगा। यदि हम बोकारो स्थापित नहीं करते तो उत्पादकों के आयात पर 90 करोड़ रु० खर्च करना पड़ता। इन उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिये इस परियोजना को चालू किया जाना चाहिये।

श्री बनर्जी का कहना है कि राय बरेली में कारखाना क्यों खोला जा रहा है। मेरे विचार से श्री बनर्जी जैसे समाजवादी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन पर जो 45 लाख का व्यय हुआ वह वहां के कर्मचारियों तथा सेवाओं पर व्यय हुआ।

कुछ सदस्यों ने सिगार पर लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क का उल्लेख किया है। जब बीड़ी पर शुल्क लगाया जा सकता है तो सिगार पर भी शुल्क लगाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि निम्न मांगें स्वीकृत की जायें :

> मांग संख्या 1 से 3 तक, 5, 8, 15, 17 से 20 तक, 22 से 26 तक, 29, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 49 से 52 तक, 54, 56, 58 से 61 तक, 63, 66, 69, 73 से 75 तक, 78, 80 से 82 तक, 85 से 88 तक, 93, 95, 96, 103 से 105 तक, 110, 117, 119 से 121 तक, 124, 127, 131, 135 तथा 138 ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विनियोग विधेयक, 1968

APPROPRIATION BILL 1968

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिये विनियोग विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 1967–68 के लिये विनियोग विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1967-68 के विनियोग विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1967–68 के विनियोग विधेयक पर चर्चा की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची स्वीकृत हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 तथा 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक

DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये।"

सदन को पता है कि अधिनियम में संशोधन करने के बारे में हमें क्यों अध्यादेश जारी करना पड़ा।

[श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए)
(Shri Balraj Madhok in the Chair)]

मैंने इस सम्बन्ध में वह कारण सभा पटल पर रख दिये हैं कि अध्यादेश क्यों जारी किया गया।

क्योंकि यह गैर राजनीतिक तरह का है तथा विवाद का विषय नहीं है। इस कारण इस विधेयक को एक मत से पास करना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): This is piece meal Bill as it has not touched the problem in its entirety. There was a Bill regarding Mayor's Council which will have two or three members and they would have all the rights of the Municipal Commissioner.

The Minister has rightly stated that the financial position of the Corporation is not good. After the last elections it transpired that there was a deficit of Rs. 8 crores in the Corporation. The Central Government is also not doing its duty in this regard. The Delhi Congress Committee and the Central Government want to put an end to Delhi Corporation.

It is not true that the Central Government does not treat the non-Congress and Congress Governments differently.

Reddy Commission was appointed to inquire into the affairs of the Corporation. The recommendations of these Commissions have not been implemented. This all indicates the bias attitude of the Central Government.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : सभापति जी मुझे तथा हमारे दल को कर देने वालों तथा उपभोक्ताओं के बारे में चिन्ता रहती है।

एक प्रथा यह है कि जब विधान पास किया जा सके तो अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिये। फिर क्या कारण है कि इस प्रथा की अवहेलना की गई। इसका कारण क्या है ?

स्थायी समिति ने 11 जनवरी को एक बजट तैयार किया जिसमें आमदनी में 3 करोड़ रु० की वृद्धि करके 5 लाख रु० अधिक दिखाया गया। सीमा कर, मनोरंजन कर तथा सम्पत्ति कर भी लगाये गये ।

सरकार ने निगम की कर-सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत करने के बारे में अध्यादेश जारी किया है। इसकी आवश्यकता नहीं थी। सामान्य सम्पत्ति के बारे में सीमा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये और व्यापारी संगठनों को बिक्री-कर उत्पादन कर, आय कर आदि का भुगतान करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो कर लगाये जायेंगे उनका प्रभाव जन साधारण पर पड़ेगा। सरकार को चाहिये कि न्यायसंगत कार्य ही करे। उन्हें जन साधारण की सेवा करनी चाहिये। तभी उनका कर लगाना उचित समझा जायेगा ।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut): I rise to oppose the increase in taxes. It is easy to increase the expenditure with the growing income but it is difficult to reduce the expenditure with the decreasing income. In 1950 the budgets of the States and Delhi were to the tune of one thousand crores of rupees which have now risen to eight thousand crores of rupees. Our income has not increased accordingly. It is, therefore, not correct to increase the expenditure indiscriminately because it will result in more and taxation and consequently hardship to the common man.

So far as Delhi Corporation is concerned, it is not justified in increasing the taxes because even essential amenities and facilities hav enot been provided to the people. Dwellers have not yet been rehabilitated. It is difficult to get a room in Delhi even at Rs. 100 per month. Thousands of students are going to neighbouring States such as Uttar Pradesh and Haryana for getting education. Congress as well as Jan Sangh has failed to provide more schools in Delhi. Even bus service is not satisfactory in Delhi. The problem of providing cheap and efficient transport cannot be solved on permanent basis by giving routes to private bus owner and charging commission from them. Some thing should be done in direction to solve this problem on permanent basis because poor people are worst sufferers as they cannot afford taxi. Even milk is not available in Delhi which is most essential for the development of children. The Delhi Milk Supply Scheme has failed to supply milk to needy persons. Neither the Delhi Corporation not the Centre is ready to take the responsibility because Delhi Milk Scheme suffers heavy losses.

All big people including the Prime Minister in Delhi have acquired their farms which produce nothing. On the other hand cultivable land is being used for the construction of buildings. I would request the construction should be done on waste land where essential amenities are not available and cultivable should be handed over to the farmers.

In the end I would say that we should reduce our expenditure rather than imposing more taxes which are already on the high side.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore): I oppose the Bill. As has been demanded by Jan Sangh Centre should make good the shortfall in revenue.

[Shri Mohammad Ismail]

Central Government has special responsibility towards Delhi because it is the Capital of India.

Delhi Corporation have recently passed the orders for raising the terminal tax to the tune of 1.81 crores. It will result in the increase of prices of consumer goods. Secondly tax on the small stall holders have been increased manifold. This has hit the stall holders hard and now they have started agitation. Thirdly tax is being imposed even on the sign-boards of the shops. This is an illegal thing because sign-boards have been exampted from tax under the law.

As far as corruption and wastage is concerned, I would like to say that there are as far as 16 godowns belonging to the Delhi Corporation where account are not kept properly. Even the details of the material lying in those godown are not available. A great deal of pilferage is going on there. In my view of corruption and pilferage is checked and existing taxes are realised honestly, there will be no need to increase the taxes.

Delhi Corporation should construct houses as has been done in Bombay and Calcutta and provide them to the poor people on low rent. I also expect from the Jan Sangh that they will make proper arrangement for the Supply of milk to the children in Delhi as they are controlling the Corporation.

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): There is no doubt that Jan angh is constrolling the Delhi Corporation since last year. The financial position of the corporation was very bad. There was loan of Rs. 4 crores over the Corporation. After taking over the administration Jan Sangh has streamlined the working of the Corporation and has made best use of the resources available. On the other Central Government has effected reduction in the grants. This has added to the difficulties.

Jan Sangh, a party in power in the Corporation. is not in favour of increasing the existing level of taxation. That is why it has insisted that rise in house tax from 11 to 16 per cent should be made effected only on those houses which are used for commercial purposes. It should not be imposed on the residential houses. Moreover it should be imposed keeping in view the capacity of the payer. There was also a proposal to raise fire tax from ½ per cent to 1 per cent. But on the instance of the Jan Sangh party rates of many taxes such as cycle tax have been reduced. Further proposals for introducing fire tax, professional tax, education tax have been dropped. Entertainment tax and Octroi on the luxury goods have only been increased. So we are bringing socialism without professing it.

More education facilities have been provided in the Delhi Schools and Colleges. More seats have been provided. Seats were lying vacant in Delhi Schools and Colleges last year. Students possessing even 40 per cent marks are now admitted in Colleges.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

Permanent structures will be provided for the schools which are now being run in tents.

As the ruling party in corporation is determined to bring improvements in Delhi it becomes the duty of the Central Government to be more co-operative. Corporation is not getting its due share from the house-tax. If that is given to the Corporation then it will not be needing any more assistance. There will also be no need to increase or levy more new taxes.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): It has been the misfortune of Delhi that more and more taxes have been imposed in the name of development. Taxes have increased rapidly and corruption has increased still more rapidly in Delhi.

Congress party during its control over the Corporation went on imposing more and more taxes in the name of beautifying the city. It has also uprooted thousand of people in that pretext and have not given them alternative accommodation. When Jan Sangh took over control of the Corporation it gave away paying routes to the private bus operators on the meagure amount of Rs. 25 per day. It has helped the vested interests. They are also ejecting large number of poor people. These ejected people have been sent to those places where essential amenities of life such as water and electricity it not available. When such is the situation I do not know for what purposes the taxes are being raised. If the arrears of the taxes are realised from the big people, I think, there will be no need to impose fresh taxes or increase the rate of existing taxes.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): The people of Delhi expected better and clean administration from Jan Sangh. They were also hoping that corruption will diminish. But all their hopes and expectations have been frustrated.

More funds should not be granted to the Delhi Corporation. It should tap its own resources. Funds of the Central Government should be utilized for the improvement of the villages in the country. They should not be spent on beautifying the big cities like Delhi. Needy people should get it.

The people controlling the Corporation have failed to rehabilitate the people ejected from slums, eliminate corruption, clearance of roads. They have also failed in providing other essential amenities to the people. This Bill will augment the resources of the Corporation and prove helpful in balancing the budget. The Bill should not be criticised on basis of party politics. With these words, I support the Bill.

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi): I agree with the hon. Member Shri Bohra that this Bill should not be considered on the basis of party politics. I would say that he should advise the Congress benches to act upon this advice.

After twenty years of Congress rule the administration of Delhi has come in the hands of Jan Sangh in April, 1967. During the period of Congress

[Shri Bal Raj Madhok]

misrule in Delhi its problems have increased manifold. When Jan Sangh took over the administration in Delhi it has to deal with the accumulated problems as well as the deficit of 7 crores left over by Congress in Corporation budget. We tried our best to bridge that gap by effecting economy in the expenditure and by realising old taxes properly. But the Chief Commissioner insisted on increasing the taxes to augment the resources. That had to be done as Central Government effected reduction in the grants. We impressed upon the Chief Commissioner that the taxes should be increased in such a way that they may not burden the poor people. That is why the increase in the house-tax from 11 to 16 per cent has been made effected on the houses used for commercial purposes. I regret to say that our Communists have opposed it. However, I feel, that it would have been better had this limit been increased to Rs. 250.

We have reduced the rate of cycle tax from Re. 1 to 25 Paise. Actually we wanted to abolish it altogether but we are not allowed to do so under the law. I would request the hon. Minister to make amendment in that direction.

If Congress party and Central Government provide cooperation to the corporation it will be able to solve many problems. Now the Corporation has to pay its 35,000 employees dearness allowance at the Central Government rates. It will result in the additional burden of Rs. 3 crores in the Corporation. The Central Government should meet this additional expenditure. Similarly additional facilities have been provided to the middle as well as primary classes. It will cost Rs. 1.40 crores. I would request the Central Government to meet this expenditure also. Several villages have been included in the Corporation limits under the Delhi Corporation Act. Expenditure worth 50 lakhs of rupees have increased on that account. It is, therefore becomes the duty of the Central Government provide more funds to the Corporation.

A scheme has also been formulated by the Corporation to construct over-bridges over the railway crossings. On the construction of these over-bridges people will not have to wait till the passing of the trains. The railway administration undertake the construction work only when the matching funds are forthcoming for approach roads also. I would, therefore, request the Central Government to give necessary funds to the Corporation.

Shri R. S. Vidyarthi (Karol Bagh-Delhi): Delhi Corporation has no concern with the Jhuggi Jhonpri Scheme. It is the direct responsibility of the Central Government. So, I would say that Corporation should not be connected or blamed for Jhuggi Jhonpri Scheme.

It is not correct to say that private bus operators have been allowed to operate their buses for vested interest. On the other hand I would say that transport problem has been solved this way to some extent. Moreover Corporation has gained financially as each bus is giving Rs. 25 per day to the Corporation.

The Central Government is not happy at the domination of the Jan Sangh in Corporation. When Jan Sang came to power Congress at the Centre had initiated move for the supersession of the Corporation.

There was no alternative left with the Jan Sangh except to impose more taxes on the people or to agree to supersede the Corporation. The present budget is, perhaps, the best under the prevailing circumstances.

So far as house-tax is concerned it is being levied on the graduated scale. Some improvements have also been made therein.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): It is absolutely unjustified to say that Central Government wants to bring the Jan Sangh bad name. We also never wanted to supersede the Corporation. In moving this Bill our intention is to help the Corporation sincerely. It was with this intention that an ordinance was promulgated by the President on the 3rd February, 1968.

No reduction has been effected in the grants. The provision made in the budget is interim.

we are waiting the report of Morarka Committee which is expected in May and June. After considering the report Central Government will take decisions for providing adequate resources to the Corporation.

Rs. 17 lakhs have been provided in the Budget for the construction of over-bridges on the Railway crossings. Due to the tight and difficult financial position it is not possible to provide a huge sum such as 50 or 60 lakh of rupees immediately. I hope that this work will be completed before long.

So far as the Bill in regard to the Mayor-in-Council is concerned it was sent to metropolitan Council as is required to under the law. The whole thing was delayed there. The Home Ministry have received it only 20 or 25 days back. The proceedings have been received only ten days earlier. So Central Government cannot be blamed for delay.

I would like to assure the hon. Member, Shri Kanwarlal that Central Government does not discriminate with the Corporation as has been alleged by him. As I have said earlier we do not want to supersede the Corporation. Government is not guided by the narrow political considerations.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि बिजली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1968 पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3, खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 3, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"विधेयक को पारित किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक को पारित किया जाये"।

श्री सोनावने (पंढरपुर): आज बसों की हालत पहले से भी खराब है। बसों में अत्यधिक भीड़ होती है। आज बसों में यात्रा करना ख़तरे से खाली नहीं है। जनसंघ दल इस विधेयक से लाभ उठा सकता है। वे करों में वृद्धि कर सकते हैं। वे भारत सरकार की आरक्षित निधि में से धन निकलवा कर लोकप्रिय होना चाहते हैं। जनसंघ को इस विधेयक से लाभ उठा कर और कर बढ़ा कर सर्वप्रथम बसों की स्थिति में सुधार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

[**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**
The motion was adopted.]

जम्मु तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनूपुरक) विधेयक

JAMMU AND KASHMIR REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SUPPLEMENTARY) BILL.

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम) : श्री गोविन्द मेनन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं। "कि जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 को अनुपूरित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

वर्ष 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1966 के एक अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया और उस संशोधन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक परिवर्तन यह था कि चुनाव-न्यायाधिकरण समाप्त कर दिये गये थे और चुनाव याचिकाओं पर विचार करने का अधिकार उच्च न्यायालय को सौंप दिया गया था। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था भी की गयी थी।

जहां तक लोक सभा के चुनावों का सम्बन्ध है, वर्ष 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जम्मू और काश्मीर में भी लागू होता था। परन्तु जहां तक विधान सभा के चुनावों का सम्बन्ध है,

जम्मू तथा कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 में भी राज्य विधान मंडल द्वारा पारित 1967 के एक अधिनियम द्वारा संशोधनकिया गया था जिससे अधिनियम में वह परिवर्तन सम्मिलित किये जा सकें जो 1951 के अधिनियम में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966 द्वारा सम्मिलित किये गये थे ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

य संशोधन इसलिये पुरःस्थापिश किया गया था ताकि चुनाव सम्बन्धी कानून के मामले में जम्मू और काश्मीर को शेष भारत के साथ मिलाया जा सके । इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में जम्मू तथा काश्मीर के उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अब सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी । परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये राज्य विधान-मंडल सक्षम नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने का काम यह सभा कर सकती है । अतः इस स्थिति के साथ निपटने के लिये संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्ट 72 को बढ़ा दिया गया है । इस उद्देश्य के लिये 9 फ़रवरी 1968 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत एक अध्यादेश जारी किया गया था । उपयुक्त संशोधन के साथ इस प्रविष्टि का विस्तार करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि संसद् का अधिनियमन आवश्यक था । क्योंकि जब यह परिवर्तन किया गया था उस समय संसद का सत्र चल नहीं रहा था—इसलिये एक अध्यादेश जारी किया गया था । इस विधेयक का जब अधिनियमन हो जायेगा तब यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान ले लेगा ।

जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्तियां उठाई थीं और उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के कुछ उपबन्धों का उल्लेख किया था । इसलिये विधेयक के खण्ड 2 का एक संशोधन सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया गया है । इस संशोधन के पश्चात् परिवेदित व्यक्ति चुनाव याचिकाओं पर जम्मू तथा काश्मीर के उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 को अनुपूरित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : काश्मीर कानूनी, संवैधानिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक रूप से भारत का अभिन्न अंग है अतः इस प्रकार के पृथक् विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि यह संसद् जो भी कानून बनाती है वह जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू होता है । इस सम्बन्ध में यदि कोई कानूनी या संवैधानिक बाधाएं हैं तो उन्हें हटा देना चाहिये । उदाहरणार्थ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है जो एक अस्थायी उपबन्ध है और इसे अवश्य हटाया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त और भी कोई बाधा हो तो उसे भी हटाया जाना चाहिये ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये पृथक संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है । जब देश के 50 करोड़ लोगों के लिये भारतीय संविधान श्रेयस्कर है तो काश्मीर के 15 लाख लोगों के लिये भी वह श्रेयस्कर होगा । वास्तव में भारत ने काश्मीर को अलग संविधान बनाने की अनुमति देकर और संविधान में अनुच्छेद 370 को रख कर काश्मीर और शेष भारत में रुकावट खड़ी कर रखी है। मेरे विचार में अब इस अनुच्छेद को हटा देना चाहिये ।

[श्री बलराज मधोक]

शेख अब्दुल्ला ने स्वयं भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किये हुए है और अब वह ऐसे बातें करते हैं जैसे भारत एक पृथक् राज्य है। अब वह यहां तक कहते है कि काश्मीर को जबदस्ती कब्जे में नहीं रखा जा सकता। अब समय आ गया है जब शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये क्योंकि शेख अब्दुल्ला के भाषणों से उनके विचार स्पष्ट हो गये हैं।

इसलिये मेरे विचार में इन समस्याओं का एक ही समाधान है और वह यह कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाना चाहिये जिस से इस संसद् द्वारा पारित प्रत्येक कानून अपने आप जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू हो सके।

Shri Ghulam Mohammad Bakshi (Srinagar): I would like to suggest that Representation of People Act should be enforced in Jammu and Kashmir in its entirety so that this confusion comes to an end once for all. Government want to validate the Presidential order by adopting this Act. But this Bill is not comprehensive and would not solve the problem for ever. It has been suggested that Supreme Court would follow the procedure of High Court of Jammu and Kashmir. But I want to inform the House that there is a difference between the Civil procedure of that High Court and the one in rest of the country. Therefore there is bound to be confusion. We are not aware as to which procedure Supreme Court would follow. In my opinion there will be more confusion if Government would try to find piece-meal solutions. The purpose of this Bill would not be served. This Bill would not bring the people of Jammu and Kashmir at par with the people of rest of India is so far as elections are concerned.

A good number of election petitions are still pending and steps should be taken to dispose of them expeditiously. In this connection I would suggest that the number of Judges should be increased at least to six.

Shri Ahmad Aga (Baramulla): It has been said that there are many shortcomings in this Bill and therefore it is incomplete. The jurisdiction of Election Commission had been extended to Jammu and Kashmir and now the people of that State will be in a position to file an appeal against the decision of High Court. It is incorrect to say that the elections were not fair. The elections in Jammu and Kashmir were fair and impartial. The fact remains that some of the candidates of opposition group were underage and some of them were Government servants and therefore their candidature was rejected. In some constituencies they withdrew and therefore election of our candidates was unopposed. In view of this position it is alleged that elections in Jammu and Kashmir were not fair and this Bill is incomplete. This Bill is a step in the right direction and we should, therefore welcome it.

श्री मुहम्मद यूनस सलीम: विचाराधीन विधेयक के विषय में कुछ गलतफहमी है। यह कहा गया है कि इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर में लागू हो चुका है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 'निर्वाचन' शब्द की व्याख्या को देखते हुए एक विधेयक प्रस्तुत करने की इसलिये आवश्यकता थी जिस से जम्मू तथा काश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने की शक्तियां उच्चतम न्यायालय को दी जा सके।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी ने यह आरोप लगाया है कि विधेयक की भाषा में त्रुटियां हैं। इस सम्बन्ध में धारा 116 क, ख और ग को उल्लेख करना चाहता हूं। इन धाराओं की भाषा जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123, 124-क और 124 के साथ शब्दश: मिलती है और इन उपबन्धों की भाषा में कोई त्रुटि नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी।

जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है उच्च न्यायालय द्वारा पास किये गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अधिकारक रूप में अपील रखी जायेगी। इस लिये असंतुष्ट व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में अपील करने के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी।

इस बारे में संदेह व्यक्त किये गये हैं कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य का साक्ष्य अधिनियम तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय व्यवहार प्रक्रिया संहिता में अन्तर है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जब उच्चतम न्यायालय में अपील की जायेगी तो वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या इन उपबन्धों को ठीक प्रकार से कार्यरूप दिया गया है या नहीं। इस लिये यदि राज्य के साक्ष्य अधिनियम और व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय व्यवहार प्रक्रिया संहिता में यदि कोई भाषागत अन्तर है तो उससे इस विधेयक के प्रयोजन के लिये कोई अन्तर नहीं पड़ता।

यह भी सुझाव दिया गया है कि चुनाव याचिकाओं की संख्या देखते हुए दो न्यायाधीश कम रहेंगे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है यदि सभी सम्बन्धित पक्ष सहयोग की भावना से काम लें तो एक सप्ताह में एक याचिका का निपटान हो सकता है फिर भी मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि यदि यह महसूस किया गया कि इस कार्य के लिये दो न्यायाधीश अपर्याप्त हैं तो सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार एक या दो और न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार करेगी। परन्तु अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 को अनुपूरित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.]

***केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के विरुद्ध शिकायतें

COMPLAINTS AGAINST CPWD ENQUIRY OFFICES

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों का कार्य संतोषजनक नहीं है । इस विभाग को देश के प्रगति में सहायक हो और वह निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम और उचित परिरक्षण कार्यक्रम में देश के सामने आदर्श स्थापित करे परन्तु देखा यह गया है कि इस विभाग में कई सप्ताहों बल्कि महीनों तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती ।

केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा हम यह जानना चाहते हैं कि इन के कार्य की जांच पड़ताल के लिये कौन कौन से तरीके अपनाये जा रहे हैं क्योंकि मुझे संदेह है कि बहुत से मामलों में मंत्री महोदय को गलत सलाह दी जाती है । सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिये कि क्या इस स्थिति के लिये कार्यप्रणाली दोषपूर्ण है या इस प्रणाली को बनाने वाले व्यक्ति दोषी हैं । हम चाहते हैं कि आज जो स्थिति है उसकी अच्छी प्रकार से जांच करनी चाहिये । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जब कोई शिकायत की जाती है तो अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर सम्बन्धित अधिकारी की तलाश करता है क्योंकि विभिन्न कार्यकारी इंजीनियर अलग अलग स्थानों पर बैठते हैं । यदि उन से कोई काम रह जाये तो मेरे विचार में उस सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाती । इसलिये मेरे विचार में हमें यह प्रणाली बदल देनी चाहिये जिसके अनुसार एक कार्य के लिये एक व्यक्ति भेजा जाता है । हमें अन्य आधुनिक देशों की तरह कार्य करने वाले जत्थे रखने चाहिएं जो सक्षम तथा समर्थ हों तथा जिनसे परस्पर मिलकर काम करने की भावना हो तथा जो इस बात का पता लगा सके कि कहां पर खराबी है और उसे किस पर ठीक किया जा सकता ।

मेरे विचार में दफतरशाही सुधार के काम में बाधा डालती है । मुझे इतना पता है कि कन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सैनिक इंजीनियरी सेवा से कुछ परम्परा विरासत में मिली है । सब सैनिक इंजीनियरी सेवा में तो काफी सुधार हो गया है परन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर उसी साम्राज्यवाद की छत्रछाया बनी हुई है । जब उनकी काम करने की इच्छा होती है तो वे अच्छी तरह से करते हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के सम्बन्ध में बड़े बड़े सुन्दर रिहाइशी भवनों का निर्माण किया गया है । परन्तु यदि उनकी इच्छा हो तभी वे ऐसे कार्य करते हैं नहीं तो कागजी कार्यवाही चलती रहती है ।

भवन का नक्शा तैयार करते समय न केवल उस पर लगने वाली लागत पर बल्कि इस बात पर भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि वह उसमें रहने वाले लोगों के लिये सुखप्रद हो । जहां तक भवनों की मरम्मत का प्रश्न है मेरा यह कहना है कि मूल लागत प्रारम्भिक शिल्प कौशल और मरम्मत में एक प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए। आजकल जितने सरकारी भवन बने हैं और जिनमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ के कार्यलय काम कर रहे हैं, उनमें प्रारम्भिक कारीगरी ठीक नहीं हुई है, रामाकृष्णपुरम् और कालकाजी की कहानी बड़ी ही दुखपूर्ण है । वहां पर लगभग 10,000 क्वाटर पिछले दो वर्षो से इसलिये खाली पड़े हैं कि विभागों में परस्पर समन्वय नहीं है । निर्माण कार्य का स्तर बहुत नीचा है । देखने में भद्दी और आर्थिक दृष्टि से महंगी इमारतें बनाई गई हैं । हमारे डिजाइनरों को इंजीनियरी विज्ञान की प्रगति से लाभ उठाना चाहिये

***आधे घण्टे की चर्चा ।

Half-an-Hour Discussion.

ग्रौर डिजाइन उसी के ग्रनुरूप बनने चाहियें ताकि मरम्मत ग्रादि पर ग्रधिक धन खर्च न किया जाये। निर्माण तथा ग्रावास मंत्रालय में जो तकनीकी निरीक्षण कार्यालय है उसे ग्रधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। ग्रन्य देशों में मरम्मत की ग्रावश्यकता भवन निर्माण के 16 वर्ष बाद तक नहीं होती है परन्तु भारत में तो निर्माण कार्य समाप्त होने के एक वर्ष बाद ही मरम्मत की ग्रावश्यकता पड़ने लगती है क्योंकि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के ग्रनुसार नहीं किया जाता।

लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय से जब साधारण मरम्मत के लिये कहा जाता है तब वहां के ग्रधिकारियों द्वारा यह बहाना किया जाता है कि ग्रावश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है। जिन नलों या टंकियों से पानी टपकता रहता है उनकी मरम्मत नहीं की जाती। पंचकुइयां मार्ग के क्वाटरों में बिल्कुल भी मरम्मत नहीं की जा रही है ग्रौर यह तर्क दिया जाता है कि वे शीघ्र ही गिराये जायेंगे। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये जो क्वाटर बने हैं उनमें शौचालयों की सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक क्वाटर में ग्रलग ग्रलग शौचालय होना चाहिये।

कुछ बस्तियां तो ऐसी हैं जहां मंत्री महोदय या उक्त विभाग के ग्रतिरिक्त मुख्य इंजीनियर दौरा ही नहीं करते हैं। प्रयागराज नगर इसका उदाहरण है। कई स्थानों पर पानी भरा रहता है ग्रौर वहां मच्छर पलते रहते हैं। रामाकृष्णपुरम जो सबसे ग्रच्छी सरकारी कालोनी मानी जाती है उसमें सीढ़ियों पर लगे दरवाजे टूट फूट गये हैं। वहां बिजली के बल्वों ग्रौर नलों की टूटियों की चोरी ग्रधिक होती है। वहां सुरक्षा का प्रबन्ध ठीक नहीं है। किदवई नगर के क्वाटरों में वर्षा से बचने के लिये छज्जे नहीं हैं। वहां गन्दे नाले खुले रूप से बहते हैं। ग्रलीगंज में पानी की सप्लाई की व्यवस्था ठीक नहीं है।

ग्रन्त में मेरा यह निवेदन है कि उक्त विभाग पर भ्रष्टाचार या निर्माण सामग्री की चोरी ग्रादि के जो ग्रारोप लगाये जाते हैं उनकी जांच की जानी चाहिये। इस से एक नया वातावरण बनेगा जिसमें उक्त विभाग के पूछताछ कार्यालय निष्ठा ग्रौर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर मरम्मत ग्रादि का काम करेंगे।

Shri Rabi Ray (Puri): I would like to know the number of Central Government employees, who are stationed in Delhi and who are drawing less than Rs. 500 per month; the number out of them, who applied for Government accommodation and the number of those, who have been allotted Government quarters?

Shri Randhir Singh (Rohtak): This Department is often called "Plunder without Danger" or "Public Waste Department" in place of Public Works Department. The corruption is rampant in this Department. In alomst all cases 50 per cent of the money, shown spent on a particular project, is actually spent thereon. I would like to know whether the Minister will evolve a machinery to ensure that not even a single paisa is misused or mis-appropriated and the public money is used for the purpose it is meant for. There should be no wastage, leakage and corruption in this Department.

Shri O. P. Tyagi (Moradabad): May I know whether it is a fact that the buildings, roads, etc., constructed by CPWD are deliberately left defective so that the occasion of repairs may soon come giving scope for corrupt practices? Is it not possible to construct these roads or buildings in a sound way from the very beginning?

निर्माण, ग्रावास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के कार्य संचालन के संबंध में यह

[श्री जगन्नाथ राव]

चर्चा उठाई है और उसमें सुधार लाने के लिये कुछ सुझाव भी दिये हैं। मैं यह मानता हूं कि प्रत्येक विभाग में सुधार करने की गुंजाइश होती है। इस चर्चा के दौरान जितनी बातें कही गई हैं उन सब का तो मैं उत्तर इस समय नहीं दे सकूंगा। इस समय मैं केवल उन आलोचनाओं का उत्तर दूंगा जो पूछताछ कार्यालयों के कार्य करने की प्रक्रिया आदि के बारे में की गई है।

रामाकृष्णापुरम् के क्वाटरों को अलाट न किये जाने का कारण यह था कि वहां पानी और बिजली का अभाव था। अब निगम को कुछ अग्रिम राशि देकर पानी और बिजली की वहां व्यवस्था करवा दी गई है। अक्तुबर और नवम्बर से इन क्वाटरों को अलाट किया जा रहा है और सेक्टर 12 को छोड़कर शेष सब क्वाटर दे दिये गये हैं। विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए हर सम्भव काम किया जा रहा है।

जहाँ तक पूछताछ कार्यालयों की कार्य पद्धति का संबंध है, मैं यह मानता हूं कि उसमें कुछ दोष हैं। 1963 में राष्ट्रीय निर्माण संगठन ने पूछताछ कार्यालयों को प्रभावशाली ढंग से चलाने के बारे में अध्ययन किया था और कुछ सिफारिशें दी थीं उनमें से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करके लागू कर दिया गया है। चीफ टेक्नीकल एग्जामिनर ने अलग से इस बारे में अध्ययन किया था और कुछ सिफारिशें दी थीं। उनमें से भी अधिकतर सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

दिल्ली और नई दिल्ली में कुल 98 में पूछताछ कार्यालय हैं। फरवरी के महीने में संसद् सदस्यों से कुल 3975 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2755 शिकायतों को उसी दिन दूर कर दिया गया था। कुछ शिकायतें ऐसी भी थीं जिन्हें इसलिए दूर नहीं किया जा सकता था कि उनमें उच्च अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता थी। रिकार्ड से पता चलता है कि शिकायतों को तुरन्त दूर किया जाता है। केलव उन शिकायतों के मामले में देर होती है जिनमें उच्चाधिकारियों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जिन मामलों में अतिरिक्त फरनीचर या पंखे के लिये अनुरोध किया जाता है, उन्हें वास्तव में शिकायत नहीं कहा जा सकता। नल की टूंटी के टपकने, फयूज़ बल्ब को बदलने जैसी शिकायतों को तुरन्त दूर कर दिया जाता है। जो कुछ गत तीन वर्षों में किया गया उसके अतिरिक्त इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं कि सुपरवाइजर या ओवरसियर को प्रति दिन, असिस्टैन्ट इंजीनियर को हर तीसरे दिन तथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सप्ताह में एक दिन पूछताछ कार्यालय में जाकर यह देखना चाहिए कि शिकायतों को ठीक प्रकार से दूर किया जा रहा है अथवा नहीं। जिन कार्यालयों में टेलीफोन नहीं है, उनमें भी हम टेलीफोन लेना चाहते हैं परन्तु संचार विभाग और अधिक टेलीफोन देने की स्थिति में नहीं है। हम चाहते हैं कि ये कार्यालय रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी खुले रहें, ताकि छुट्टी वाले दिन भी शिकायत दूर की जा सकें। यह व्यवस्था की जा रही है। यह बात सच है कि मरम्मत पर होने वाले खर्च का संबंध मूल निर्माण लागत से होता है। मंहगाई बढ़ जाने के कारण अब हम मरम्मत पर होने वाले खर्च की प्रतिशतता बढ़ाने के लिये कोशिश कर रहे हैं। अन्त में सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे विभाग या अधिकारियों पर सामान्य रूप से इस प्रकार के आरोप न लगायें, कि विभाग द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है या अधिकारी भ्रष्ट हैं। यदि कोई निश्चित मामला उनकी नजर में आये तो वे मुझे बताने की कृपा करें, जिससे उस संबंध में उचित कार्यवाही की जा सके।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 19 मार्च, 1968/29 फाल्गुन, 1889 (शक) के 11 म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 19th March|Phalguna 29, 1889 (Saka).

GMGIPND LSIII 856 (ai) LS 12-10-68 600